लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ३, १९५५

(२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

1st Lok Sabha

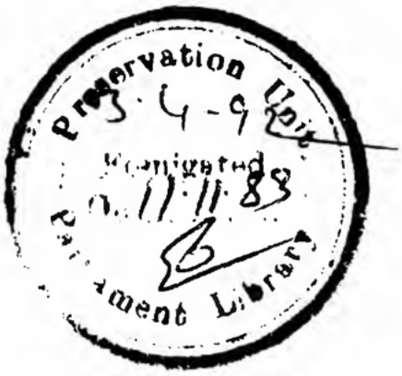

नवम् सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ४१ से ५२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, अंक ४१ से ५२—२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

अंक ४१—बुधवार २० अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३९९, २४०१, २४०३, २४०५, २४०९, २४११, २४१४ से २४१९, २४२१ से २४२३, २४२६, २४२७, २४२९ से २४३६, २४३९, २४४०, २४४२, २४४३, २४००, २४०४, २४०६ और २४१३ . . . . . २९७३—३०१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०७, २४०८, २४१२, २४२०, २४२४, २४२५, २४२८, २४३७ और २४४१ . . . . ३०१५—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०९ से ९११, ९१३ से ९४५ और ९४७ . ३०१९—४२

अंक ४२—शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २४७७ से २४८३, २४८६ से २४८८, २४९०, २४९१, २४९३ से २४९५, २४९८, २५०१, २५०२, २५०४ से २५०६, २५०८ से २५१०, २५१२, २५१६ और २५१७ . . . ३०४३—७९

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . . ३०८०—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४४४ से २४७६, २४८४, २४८५, २४८९, २४९२, २४९९, २५००, २५०३, २५०७, २५११, २५१३ से २५१५, २५१८ और २५१९ . . . . . ३०८७—३१११

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९८३, ९८५ से ९९१ और ९९३ . ३१११—३१४०

अंक ४३—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२१, २५२४ से २५२६, २५४०, २५४२, २५४४ से २५४७, २५५०, २५५२, २५५५ से २५५७, २५५९, २५६२ से २५६४, २५४१ और २५३८ . . . . . ३१४१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५२०, २५२२, २५२३, २५२७ से २५३७, २५३९, २५४३, २५४८, २५४९, २५५१, २५५३, २५५४, २५६० और २५६१ ३१६५---३१७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १०१९ और १०२१ से १०४३ . ३१७८---३२०८

अंक ४४---मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५६५ से २५६८, २५७०, २५७३, २५७४, २५७७, २५७९, २५८०, २५८२, २५८४, २५८५, २५८७, २५८८, २५९० से २५९७, २५९९, २६०२, २६०३, २५७८ तथा २५६९ . ३२०९---३२४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५७१, २५७२, २५७५, २५७६, २५८१, २५८३, २५८९, २५९८, २६००, २६०१, २६०४ . . . ३२४७---३२५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४४ से १०५७, तथा १०५९---१०७० . ३२५२---६८

अंक ४५---बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०५, २६०७, २६०८, २६१० से २६१८, २६२० से २६२२, २६२४, २६२५, २६३०, २६३२ से २६३४, २६३८, २६४०, २६४२, २६४५ से २६४९, २६५१, २६५६, २६५६-क, २६०६, २६२८ और २६५३ . . . . ३२६९---३३१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०९, २६१९, २६२३, २६२७, २६२९, २६३१, २६३६, २६३७, २६३९, २६४१, २६४३, २६४४, २६५०, २६५२, २६५४, २६५५ और २६५७ . . . . ३३१२---३३१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७१ से ११०४, ११०४-क और ११०४-ख ३३१९---३३४०

अंक ४६—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६५८ से २६६२, २६६४, २६६७, २६७० से २६७२, २६७४ से २६७७, २६७९, २६८२ से २६८४, २६८६, २६८७, २६८९, २६९०, २६९०—क, २६९१, २६९२, २६९३—क, २६९४, २६९६, २६९८, २६९३, २६९६, २६८५, और २६९९ ३३४१—३३८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६५, २६६८, २६७३, २६७८, २६८०, २६८१, २६८८, २६९३, २६९५, २६९७ और २६९९ ३३८८—३३९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०५ से १११८, ११२० से ११२७, ११२९ से ११५३ और ११५३—क. ३३९३—३४२६

अंक ४७—शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७००, २७०१, २७०३, २७०६, २७१२, २७१३, २७१५, २७१८, २७२२ से २७२५, २७०९ और २७१० ३४२७—३४४५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि— ३४४५-३४४६

तारांकित प्रश्न संख्या २७११ ३४४६-३४४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०२, २७०४, २७०५, २७०७, २७०८, २७१४, २७२०, २७२१ और २७२६ ३४४७—३४५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५४ से ११६०, ११६१ से ११८७ ३४५१—३४७०

अंक ४८—सोमवार, २ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० ३४७१—३४७४

अंक ४९—मंगलवार, ३ मई, १९५५

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२८, २७२९, २७३१ और २७३२	३४७५-३४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२७ और २७३०	३४८१-३४८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से ११९४	३४८३-३४८८

अंक ५०—बुधवार, ४ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२	३४८९-३४९४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	३४९४-३४९६

अंक ५१— गुरुवार, ५ मई, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३४९७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५	३४९७-३५०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६	३५०६

अंक ५२—शनिवार, ७ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ और १८	३५०७-३५१२
अनुक्रमणिका	१-८९

लोक-सभा

मंगलवार, ३ मई, १९५५

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

दूतावासों का निरीक्षण

*२७२८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो :

(क) विदेशों में भारतीय दूतावासों के खर्च का सर्वेक्षण करने के लिये हाल ही में भेजे गये सरकारी दल ने क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) क्या उनकी सिफारिशों में से किन्हीं को स्वीकार तथा कार्यान्वित किया गया है ;

(ग) उन पर कितना खर्च किया गया है ; और

(घ) वे कितना समय बाहर रहे और किन किन देशों में गये ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १३, अनुबन्ध सं० १०]**

श्री एस० सी० सामन्त : निरीक्षणालय में कौन कौन से व्यक्ति थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : पिछली बार भेजे गये निरीक्षणालय में हमारे मन्त्रालय के दो संयुक्त सचिव और वित्त मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव था ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इन मिशनों का निरीक्षण करने जाने से पूर्व इस निरीक्षणालय में यही व्यक्ति थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां, श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस निरीक्षणालय ने इन मिशनों की कार्यकुशलता बढ़ाने के बारे में भी विचार किया ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस निरीक्षण का मूल उद्देश्य दूतावासों में विदेशी भत्ता, खर्च सामान और फरनीचर इत्यादि के बारे में हमें मंत्रणा देना और दूतावासों की कार्यकुशलता बढ़ाने के विचार से इनके कार्यसंचालन को देखना था ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या निरीक्षणालय का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा और क्या इस निरीक्षणालय ने हमारे विदेशी मिशनों में किसी अपव्यय के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पूरा प्रतिवेदन एक गुप्त दस्तावेज है । साधारणतः ऐसे दस्तावेज सभा पटल पर नहीं रखे जाते । रखे गये पत्र में उनकी सिफारिशें दी गई हैं । कई मिशनों का निरीक्षण किया गया है, अतः अपव्यय और अन्य कई प्रकार की बातों के बारे में सूचना

मिली है । परन्तु मुझे ऐसी कोई विषेश बात याद नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या इस निरीक्षणालय को इन दूतावासों के कार्यसचालन के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन देखने के भी निदेश दिये गये हैं?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसे मंत्रालय देखता है और निरीक्षणालय भी देख सकता है ।

श्री केलप्पन : क्या लोक लेखा समिति को यह प्रतिवेदन दिया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, श्रीमान् ।

पारपत्र कार्यालय

*२७२९. **श्री रामानन्द दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय, नई दिल्ली में कितने आवेदन पत्र लम्बमान पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उस कार्यालय में बहुत काम जमा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस जमा काम के निबटारे के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय, दिल्ली में इस समय पारपत्रों तथा अन्य सेवाओं के लिये ५०० आवेदनपत्र पड़े हुए हैं ।

(ख) तथा (ग). पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पैप्सू, अजमेर और हिमाचल प्रदेश से पारपत्रों का काम अपने हाथ में ले लेने के कारण दिल्ली कार्यालय में बहुत काम जमा हो गया है । इस जमा काम का यथासम्भव शीघ्र निबटारा करने के लिये भारत सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की है और आशा है कि इस मास में पिछला काम निबट जायगा ।

श्री रामानन्द दास : क्या यह सच है कि केवल उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है जो यात्रा अभिकर्ताओं, दलालों और कमीशन एजंटों के द्वारा भेजे गये थे और प्रत्यक्ष रूप से भेजे गये आवेदन पत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया, यदि हां, तो क्या इसी कारण काम जमा हुआ है ?

श्री सादत अली खां : बिना किसी भेदभाव के सब आवेदन पत्रों पर विचार किया गया था ।

पाकिस्तान में तीर्थ स्थान

*२७३१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में अब तक कितने हिन्दू और सिक्ख यात्री पाकिस्तान के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिये गये ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : १ जनवरी १९५५ से १६ अप्रैल १९५५ तक ५७२ तीर्थयात्री पाकिस्तान गये ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें हिन्दू यात्रियों की संख्या कितनी होगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : यहां दी गई संख्या में कोई हिन्दू व्यक्ति नहीं थे ।

श्री रघुनाथ सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान सरकार साधू विलास आश्रम के टापू को सांस्कृतिक रूप देने के लिए ले लेना चाहती है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): वह उसको ले कर कहां ले जायेगी ? वह तो टापू है, उसको वह कहां ले जायेगी ?

श्री रघुनाथ सिंह : पाकिस्तान टाइम्स में एक समाचार शाया हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान सरकार आश्रम के टापू को सांस्कृतिक रूप देना चाहती है

श्री अनिल के० चन्दा : उन्होंने इस बात से इनकार किया है।

लंका आप्रवासी अधिनियम

*२७३२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लंका की सरकार ने लंका आप्रवासी अधिनियम के संशोधन के सम्बन्ध में भारत की प्रार्थना को ठुकरा दिया है ?

वैदशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : भारत सरकार ने लंका की सरकार को लंका इमीग्रेन्ट्स एण्ड एमिग्रेन्ट्स एक्ट १९४,८ के संशोधन के लिये बिल पर विचार स्थगित करने की प्रार्थना की थी, क्योंकि भारत सरकार के विचार से वह बिल जनवरी १९५४, के समझौते के अनकूल न था। लंका की पार्लियामेंट के दोनों भवनों द्वारा वह बिल अब पास किया जा चुका है और गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए रुका हुआ है ।

श्री कासलीवाल : क्या भारत सरकार ने यह इच्छा प्रकट की है कि जब तक श्रीलंका में भारतीय राष्ट्रजनों की पंजी तैयार नहीं होती तब तक श्रीलंका आप्रवासी अधिनियम पारित नहीं किया जाना चाहिये और यदि श्रीलंका सरकार से इसका कोई उत्तर मिला है तो वह क्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीलंका सरकार को अपने स्मरण पत्र में हमने यह सुझाव दिया था कि उन वयस्कों की पंजी तैयार होने से पूर्व जिनका पंजीयन नहीं हुआ है, उनका इस विधेयक पर आगे कार्यवाही करना उचित न होगा। फिर भी श्रीलंका संसद के दोनों भवनों द्वारा विधेयक पारित किया जा चुका है ।

श्री कासलीवाल : क्या श्रीलंका में भारतीय राष्ट्रजनों की पंजी तैयार करने का काम जारी रखा गया है ।

श्री अनिल के० चन्दा : पंजी अभी तयार नहीं की गई है ।

श्री जोकीम आल्वा : यदि परिस्थिति अधिक खराब हो जाये तो हमारी सरकार ने कोई ऐसा स्पष्ट कार्यक्रम निश्चित कर रखा है जिस के अनुसार श्रीलंका से निकाले जाने वाले उन लोगों को आश्रय दिया जा सके जो किसी राज्य के नागरिक न होंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : नहीं । उन लोगों की देखभाल करना इस सरकार का काम नहीं है जो किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं ।

श्री कासलीवाल : जब श्रीलंका संसद में इस विधेयक पर चर्चा की जा रही थी उस समय श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त पर यह आरोप लगाया गया था कि वह भारत-श्रीलंका करार में बाधा डाल रहा है। यह आरोप कहां तक सच है और क्या सरकार उन वक्तव्यों का विरोध कर सकती है जो श्रीलंका के शिक्षा मंत्री ने श्रीलंका संसद में दिये ?

श्री अनिल के० चन्दा : आरोप बिल्कुल निराधार हैं। इस विषय में हमारे उच्चायक्त ने श्रीलंका सरकार को पूरी सहायता और सहयोग दिया है ।

श्री थानू पिल्ले : उन भारतीय राष्ट्रजनों का क्या होगा जो श्रीलंका से निकाल कर भारत भेज दिये जायेंगे । क्या भारत सरकार उनका ख्याल करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक भारतीय राष्ट्रजनों का सम्बन्ध है उन्हें जो सहायता दी जा सकती है अवश्य ही दी जायेगी ।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या श्रीलंका सरकार ने उन व्यक्तियों के प्रश्न पर विचार करने के लिये या भारतीय राष्ट्रजनों के पंजीयन के बारे में विचार करने के लिये श्रीलंका

सरकार और हमारे उच्चायुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों का कोई सम्मेलन बुलाया है और क्या हमारी सरकार ने यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक हम पता है औपचारिक रूप से कोई सम्मेलन नहीं हो रहा है परन्तु हाल ही में हमारे उच्चायुक्त को कुछ कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिये निमन्त्रण भेजा गया था। उन्हें बातचीत का विषय नहीं बताया गया है अतः हम भी नहीं जानते। उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है और वह बातचीत में भाग लेने के लिये जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

संगठन तथा रीति विभाग

*२७२७. **श्री एस० एन० दास :**
श्रीमती गंगा देवी :

क्या प्रधान मंत्री २१ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न सं० ११५४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठन तथा रीति विभाग के कार्यसंचालन का पुनरावलोकन तथा परीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसने कहां तक अपना उद्देश्य प्राप्त किया है ;

(ग) क्या इस विभाग के कार्यसंचालन पर कोई प्रतिवेदन तैयार किया गया है अथवा करन का विचार है ; और

(घ) क्या यह विभाग स्थापित करने के परिणामस्वरूप किसी पदाधिकारी को कार्य-कुशलता के लिये पारितोषक अथवा अवहेलना के लिये दंड दिया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). विभाग के प्रथम वर्ष के कार्यसंचालन के बारे में प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सं० एस० १८८/५५**]

(घ) संगठन तथा रीति विभाग के कहने पर सब मंत्रालयों और विभागों में अपनाये गये नियन्त्रण के उपायों से प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मचारिवृन्द के काम में हुई प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। उनके काम और व्यवहार पर दिये गये गुप्त प्रतिवेदनों, जो कि पदोन्नति का आधार होते हैं, से भी इसका पता चल सकता है। जिन पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विभिन्न वेतन-कर्मों में उनकी शीघ्र पदोन्नतियां की गई हैं। जिन लोगों का काम सन्तोषजनक नहीं समझा गया है उनको कोई पदोन्नति नहीं दी गई है यद्यपि सेवा के मूल संगठन के समय उन्हें ऊंचे पद दिये गये थे।

भारत-पाकिस्तान पारपत्र

*२७३०. **श्री आर० पी० गर्ग** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान पारपत्र प्रणाली को उदार बनाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किन मख्य मद्दों के अधीन इस प्रणाली को उदार बनाया जायेगा।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). हाल ही में हमारे पुनर्वास मंत्री और पाकिस्तान के आन्तरिक मंत्री के बीच कराची में इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी और वर्तमान प्रणाली को उदार बनाने के सिद्धान्तों पर एक करार हुआ था। इस करार का अनुसमर्थन अभी किया जाना है। दोनों सरकारों द्वारा करार का अनुसमर्थन हो जाने के बाद सर्वसाधारण की जानकारी के

लिये विस्तृत योजना तैयार कर के प्रकाशित की जायेगी।

ब्रिटेन में भारतीय

११८८. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सामान्यतः ब्रिटेन में रहने वाले १८ से २६ वर्ष तक के भारतीयों को ब्रिटेन राष्ट्रीय सेवा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेनाओं में काम करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीयों पर इसका प्रभाव पड़ा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ब्रिटेन में सैनिक सेवा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश राष्ट्रीय सेवा अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत है जो राष्ट्र-मंडल के १८ से २६ वर्ष तक के ब्रिटेन में कम से कम दो वर्ष रहने वाले सभी नागरिकों (जिनमें भारतीय राष्ट्रजन भी सम्मिलित हैं) पर लागू होता है।

यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर नहीं लागू होता जो ब्रिटेन में केवल शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन से रहते हैं या जिनके ब्रिटेन निवास की परिस्थितियां ऐसी हैं जिन से प्रकट होता है कि वह ब्रिटेन में अस्थायी प्रयोजन से रह रहे हैं। क्योंकि दो या दो वर्ष से अधिक तक ब्रिटेन में निवास करने वाले भारतीय राष्ट्रजनों में मुख्यतः विद्यार्थी और प्रशिक्षणार्थी होते हैं अतः सैनिक सेवा के लिये बुलाये जाने वाले भारतीयों की संख्या बहुत थोड़ी है।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुस्तकालय

११८९. **श्री राम शंकर लाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैदेशिक कार्य मंत्रालय के पुस्तकालय में कितने समाचार पत्र आते हैं ; और

(ख) इनमें से कितने पत्र समादर प्रतियों (कामप्लीमेंट्री) कापी के रूप में मिल जाते हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ९।

(ख) कोई नहीं।

भूटान

११९०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ के दौरान में भारत की विभिन्न संस्थाओं में कितने भूटानियों को प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ख) उनके प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). १९५४ में किसी भूटानी को भारत की किसी संस्था में प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। भूटान सरकार की प्रार्थना पर ३ भूटानी छात्र सैनिकों को इस समय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पारपत्र कार्यालय

११९१. **श्री रामानन्द दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय, नई दिल्ली को मुख्य सचिवालय भवन में स्थापित न कर के नई दिल्ली में कनाट प्लेस स्थापित करने में क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय को जनता की सुविधा के लिये कनाट प्लेस नई दिल्ली में रखा गया है क्योंकि कनाट प्लेस एक केन्द्रीय स्थान है और यहां नई और पुरानी दिल्ली के किसी भी भाग से सरलता पूर्वक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि प्रादेशिक कार्यालय एक सचिवालय विभाग नहीं है इसलिये इसे

मुख्य सचिवालय के भवन में जहां स्थान कम है रखना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त कनाट प्लेस की भान्ति के केन्द्रीय स्थान की तुलना में यह स्थान साधारण जनता के लिये कम सुविधाजनक होता।

ब्रिटेन के लिये पारपत्र

११९२. **श्री रामानन्द दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम दिसम्बर, १९५४ के पश्चात् नई दिल्ली के प्रादेशिक पारपत्र पदाधिकारी द्वारा ब्रिटेन के लिये कितने पारपत्र दिये गये हैं;

(ख) प्रथम दिसम्बर, १९५४ के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कितने पारपत्रों और पृष्ठाकनों की स्वीकृति दी गई थी ; और

(ग) यात्रा अभिकरणों के द्वारा कितने पृष्ठाकनों की स्वीकृति दी गई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। क्योंकि इन पृथक मदों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

११९३. **श्रीमती गंगा देवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ में वैदेशिक कार्य मंत्रालय में अनसूचित जातियों के कितने साइफर सहायक थे और १९५५ में कितने हैं ; और

(ख) केन्द्रीय साइफर विभाग में अनुसूचित जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :

(क) १९४८—शून्य
१९५५—दो।

(ख) केन्द्रीय साइफर विभाग में भर्ती बुद्धि परीक्षा के आधार पर वदेशिक कार्य मंत्रालय में काम करने वाले सहायकों, स्टेनोग्राफरों, स्थायी या स्थायी तुलय क्लर्कों और अस्थायी ग्रेजूएट क्लर्कों में से की जाती है। रिक्तियों के होने पर समय समय पर परीक्षा ली जाती है। चुने जाने के लिए उम्मेदवारों के लिए परीक्षा के लिए निर्धारित तीन निर्धारित विषयों में से प्रत्येक में ३५ प्रतिशत अंक और कुल ७० प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

केन्द्रीय साइफर विभाग वैदेशिक कार्य मंत्रालय की एक शाखा है और मंत्रालय में प्रारंभिक भर्ती के समय अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुसार पूरा गरूभार दिया जाता है। यह गरूभार मंत्रालय की प्रत्येक शाखा के लिए संभव नहीं है। तथापि सरकार यह चाहती है कि केन्द्रीय साइफर विभाग में अनसूचित जातियों के अधिक से अधिक कमचारी नियुक्त किये जायें और वह विचार कर रही है कि इस प्रयोजन के लिए क्या पग उठाये जायें।

सीमान्त घटनाएं

११९४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर १९५४ से मार्च १९५५ तक की अवधि में पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब के भारत-पाकिस्तानी सीमान्तों पर कितनी सीमान्त घटनाओं का समाचार सरकारी तौर पर मिला था ;

(ख) ये घटनाएं किस प्रकार की थीं ; और

(ग) इस प्रकार की कितनी घटनाओं का झगड़ा दोनों सरकारों के बीच शान्तिपूर्ण रीति से निपटाया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ग). १ नवम्बर, १९५४ से ३१ मार्च १९५५ तक की अवधि में तीन घटनाएं होने का समाचार मिला था ।

पहली घटना यह थी कि २६ नवम्बर, १९५४ को पाकिस्तान सीमान्त पुलिस और पंजाब (भारतीय) सशस्त्र पुलिस में परस्पर गोली चली थी, जब कि पाकिस्तान पुलिस ने सतलुज नदी पार करने के बाद फीरोजपुर जिले में राजा महतम ग्राम के समीप भारतीय राजक्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयत्न किया था । किन्तु २७ नवम्बर १९५४ को पाकिस्तान सीमान्त पुलिस वापस चली गई थी ।

दूसरी घटना तब हुई जब ८ दिसम्बर १९५४ को पाकिस्तान सीमान्त पुलिस ने सतलुज नदी पार करने के बाद फिरोजपुर जिले में लखा हाजी ग्राम के समीप भारतीय राजक्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयत्न किया था। इस बार भी पंजाब (भारतीय) सशस्त्र पुलिस के हस्तक्षेप पर पाकिस्तान सीमान्त पुलिस वापस चली गई थी ।

तीसरी घटना २० मार्च, १९५५ को हुई थी जब कि पाकिस्तान सीमान्त पुलिस ने सीमान्त पर स्थित अमृतसर जिले के गजजल ग्राम के समीप भूमि के एक टुकड़े के बारे में झगड़ा उठाया था और इस पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयत्न किया था और जिस के फलस्वरूप पाकिस्तान सीमान्त पुलिस और पंजाब (भारतीय) पुलिस में परस्पर गोली चली थी किन्तु दोनों पक्षों के वरिष्ट पुलिस पदाधिकारियों के बीच यह समझौता होने के बाद कि राजक्षेत्र के झगड़े को मैत्रीपूण तरीके से निपटाने के लिए उच्च प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाये, पुलिस वहां से चली गई थी और गोली चलना बन्द हो गई थी ।

खण्ड ४—अंक ५५

३ मई, १९५५ (मंगलवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ५८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

६ आने, (देश में) २ शिलिंग (विदेश में)

147 LSD

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
मद्रास मनोरंजन कर आन्ध्र (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५	४५९२
भारतीय विमान नियम, १९३७ में संशोधन, एक व्याख्यात्मक टिप्पण	४५९२
सहित—चाय नियम, १९५४ में संशोधन	४५९२
सम्पदा शुल्क नियम, १९५३, में संशोधन	४५९२–४५९३
विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणा—	४५९३–४५९४
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर	४५९४
राज्य सभा से सन्देश	४५९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४५९४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल	४५९५–९७
सभा का कार्य	४५९७
वित्त-विधेयक	४५९७–४६०९
अनुसूचियां तथा खंड १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६०९–४६३०
प्रधान सेनापति (पद नाम में परिवर्तन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६३०–४६३४
खंड १ से ३ तथा अनुसूची	४६३२–४६३३
भारत में राज्य बैंक विधेयक—	४६३४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बधी समिति—	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	४६३६
बाहों तथा नापों के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में पारित	४६३६–४६५५
केन्द्रीय कृषिवित्त निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त	४६५५–४६८४
अंक ४७— शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५	
भारत का राज्य विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६८५–४७७०
सभा का कार्य	४७७०
संख्या ४८—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कतिपय सत्याग्रहियों का निर्वासन	४७७१–४७७२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति —	

	स्तम्भ
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	४७७२–४७७३
प्राक्कलन समिति	४७७३
लोक-लेखा समिति	४७७३
राज्य सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में रखने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक—पुरःस्थापित—	४७७४
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४–४८७८
राज्य सभा से सन्देश—	४८७८
अंक ४९—मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५१–५२—खंड १ (साधारण)	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	४८७९–४८८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	४८८०–४८८७
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८०–४८८२
श्री बी० आर० भगत	४८८२–४८८४
श्री के०के० बसु	४८८४–४८८५
श्री मात्तन	४८८७
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	
भारत का रक्षित बैंक श्री बी० आर० भगत (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८७–४९१६
खण्ड १ से ११	४९१६–४९२०
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०
भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०–४९२२
खण्ड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२२
हिंदू विवाह विधेयक—	४९२२–४९८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४९२४
राज्य सभा से संदेश	४९८२
अंक ५०—बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
उनतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि	४९८५–४९८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९८६–५०६०

अंक ५१—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . ५०७९

राज्य सभा से संदेश . . ५०७९

सभा का कार्य . . ५०८०–५०८१,५१८६

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

खंड ३ से १७ और अनुसूची . . . .

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ५०८१–५१८०

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८०–५१८४

खण्ड १ और २ ५१८५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८५–५१८६

अंक ५२—शुक्रवार, २९ अप्रल, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . ५१८७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५१८७–५१८८

सभा का कार्य— ५१८९–५१९८,५२०२

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा से पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ५१८९,५१९८,५२०२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ५२३०–५२३१

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५२३१

जाति भेद उन्मूलक विधेयक .

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५२३१–५२४४

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . . . ५२४५–५२६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव—अ समाप्त ५२६५–५२८०

अंक ५३—शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . . ५२८१

संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ . . . . ५२८१

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . ५२८२

	स्तम्भ
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही उपस्थापित	५२८२
बांडुंग में हूए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . .	५२८२–५२९५
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त . .	५२९५–५४५८
खंड २ से ५३ और १ . . .	५२९५–५४३०
अनुसूची एक से चार	५४३०–५४५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४५८–५४७२
सरकारी मकानादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय—बढ़ाया जाना .	५४७२–५४७४

अंक ५४—सोमवार, २ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
कानपुर में श्रम स्थिति .	५४७५–५४७७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५४७७
राज्य-सभा से सन्देश	५४७८
पटल पर रखे गये पत्र—	
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३–५४ के संतुलन पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि	५४७८
दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५–५६ का आयव्ययक प्राक्कलन . .	५४७९
याचिका समिति—	
पंचम प्रतिवेदन—उपस्थापित	५४७९
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	५४७९
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	५४८०–५४८२
नागरिकता विधेयक —पुरःस्थापित . .	५४८२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५४८३
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४८३–५५६८
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	५५६८
सभा का कार्य	५६१४

अंक ५५—मंगलवार, ३ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
लोक-ऋण (प्रतिकर बंध) नियम, १९५४	५६१५–५६१६
लोक-ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४	५६१५–५६१६

	स्तम्भ
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . .	५६१६
तृतीय प्रतिवेदन—उपस्थापित	५६१६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . .	५६२२
टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् . . .	
ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य	५६१६–५६१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप	५६१७–५६२२
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	५६२३–५७५२
खंड २ से १२ .	५६२३–५७५२

अंक ५६—बुधवार, ४ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन .	५७५३–५७५८
कानपुर में श्रम स्थिति	५७५८–५७६२
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . .	५७६२
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	५७६२–५७६३
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन.	५७६४
समवाय विधेयक पर साक्ष्य .	५८४८
राज्य सभा से सन्देश . .	५७६४–५७६८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया .	५७६८
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार—	
असमाप्त	५७६८–५८४७, ५८४८–५९१६
खंड ९ से १२ . .	५७६८–५७७९
खंड १३ से १८ . .	५७७९–५८४७
खंड १९ से २३ . .	५८७२–५८९२
खंड २४ से २८ . .	५८९२–५९१६

अंक ५७—गुरुवार, ५ मई, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हिन्दी आयोग की नियुक्ति . .	५९१७–५९१९
राज्य सभा से सन्देश	५९१९

	स्तम्भ
आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	५९१९
तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर में शुद्धि .	५९१९
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त	५९२०
खंड २४ से ३० और १ . .	५९२०–५९४१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५९४१–५९८०
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे मे प्रस्ताव—असमाप्त .	५९८१–६०६८

अंक ५८—शनिवार, ७ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों क उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन	६०६९–६०७०
हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि	६०७०–६०७१
पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य .	६०७१–६०७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . . .	६०७३–६०७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	६०६५–६०७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६–६०७७
भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	६०७७
सभा का कार्य	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७–६०७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८–६१८७
श्री चिनारिया का निधन—	६१८७–६१८८

लोक-सभा

मंगलवार, ३ मई १९५५

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१०·३९ म० पू०

पटल पर रखे गये पत्र

लोक ऋण (प्रतिकर बन्ध) नियम १९५४ और लोक ऋण वार्षिकी पत्र) नियम १९५४

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८, उपधारा (३) के अधीन मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हुं :

(१) वित्त मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७५४ तिथि १८ अगस्त, १९५४ में प्रकाशित लोक ऋण (प्रतिकर बन्ध) नियम ११५४ [पुस्तकालय में रखे गये देखिए संख्या एस—१६१/५५]

(२) वित्त मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २८४० तिथि २५ अगस्त, १९५४ में प्रकाशित लोक ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४ । [पुस्तकालय में रखे गये देखिए संख्या एस–१६२/५५]

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

तृतीय प्रतिवेदन

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

भारतीय केंद्रीय सुपारी समिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि भारतीय केंद्रीय सुपारी समिति के लिए निम्नलिखित सदस्य चुने गये हैं :

(१) श्री ए० एम० थामस
(२) श्री बसंत कुमार दास
(३) श्री ए० के० गोपालन ।

ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात-शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा २३ के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी

[श्री सी० डी० देशमुख]

की गई अधिसूचना की एक प्रति मैं पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एस १६४/५५] इस में सूती कपड़े पर आयात शुल्क में कुछ कमी की गई है।

सभा को याद होगा कि १९५३ के उच्च व्ययक में, हमने राजस्व को ध्यान में रखते हुए सूती कपड़े पर शुल्क बहुत बढ़ा दिये थे। ब्रिटिश माल पर ये शुल्क यथा मूल्य ६० से ८० प्रतिशत तक थे। ब्रिटिश सरकार ने हमसे बार बार अभ्यावेदन किये हैं कि हमारे शुल्क अत्याधिक हैं। यह तथ्य है कि पिछले दो वर्षों में भारत में सूती कपड़े का बहुत कम आयात हुआ है। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा है कि भारतीय कपड़े पर ब्रिटेन में कोई आयात शुल्क नहीं लगता।

सरकार ने प्रमुख मिल मालिक संस्थाओं के परामर्श के साथ सारी समस्या पर विचार किया है और वह संतुष्ट है कि अधिसूचना में उल्लिखित घटाये हुए शुल्कों से देशी उद्योग को कोई हानि नहीं होगी। मिल मालिक संस्थाओं ने भी यह दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : नियम २१६ के अधीन मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इसके बारे में एक वक्तव्य दें;

"कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप लगाने वाले हाल के प्रैस सम्वाद"

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : आप की अनुमति से मैं कोसी परियोजना के बारे में एक वक्तव्य देता हूं। मेरा ध्यान कुछ प्रैस समाचारों की ओर दिलाया गया है जिन में कोसी योजना के टेकनिकल रूप से सुस्थित होने, बाधजोरा घूट नदी के पूर्व की ओर झुकाव जनता के सहयोग और बाढ़ बांधों को शीघ्र समाप्त करने के सम्बन्ध में संदेह प्रकट किये गये हैं। मैं इस योजना के विकास के बारे में सभा को समय समय पर जानकारी देता रहा हूं। अब मैं परियोजना के इन पहलुओं के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति सभा को बतलाना आवश्यक समझता हूं। कहा गया है कि वर्तमान कोसी योजना टेकनिकल रूप से सुस्थित नहीं है। यह योजना जो कि केन्द्रीय जल विद्युत आयोग ने नवम्बर १९५३ में तैयार की थी, उस विस्तृत जांच का फल है जो १९४६ से की जा रही थी। दिसम्बर १९५३ में परियोजना की जांच करने के लिए एक मंत्रणा समिति नियुक्त की गई थी जिस में बहुत से मुख्य इंजीनियर और एक द्रवचालन विज्ञान गवेषणा विशेषज्ञ भी था। उन्होंने बताया था कि इस से बाढ़ द्वारा क्षति काफी समय तक रोकी जा सकेगी। मई १९५४ के आरंभ में केन्द्रीय जलविद्युत आयोग के अध्यक्ष और एक वरिष्ट इंजीनियर को चीन में विभिन्न बाढ़ नियन्त्रण उपायों का अध्ययन करने के लिए चीन भेजा गया था। चीन में दो मास तक सावधानी से ऐसा अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि १९५३ की कोसी योजना सुस्थित है और चीन की उसी प्रकार की नदियों पर प्राप्त किये गये

अनुभव के अनुकूल है और इसमें हमें केवल कुछ छोटे छोटे परिवर्तन, जैसा कि बांधों का फ्री बोर्ड बढ़ाना, करने पड़ेंगे योजना में यह परिवर्तन कर दिये गये हैं। हमने प्रख्यात विदेशी विशेषज्ञों का परामर्श भी लिया है। श्री वांग हू चांग जो चीन के जल संरक्षण मंत्रालय के मुख्य इंजीनियर हैं और जिन्होंने जनवरी १९५५ में कोसी परियोजना के क्षेत्र का दौरा किया था, योजना के प्रस्तुत रूप का अनुमोदन किया था। दो अमेरिकन बाढ़ नियन्त्रण विशेषज्ञों ने जिन्होंने हाल में परियोजना का अध्ययन किया है, यह राय प्रकट की है कि वर्तमान योजना सक्षम इंजीनियरों द्वारा पूरे अध्ययन के बाद तैयार की गई है और यह बहुत से विकल्पों में से, जिन में से प्रत्येक की कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, सब से अच्छी है। योजना में बांध के नीचे की धारा की ओर कोसी की दोनों ओर पश्चिमी और पूर्वी पुश्तों के अतिरिक्त बांध के ऊपर की धारा की ओर पूर्व और पश्चिम दोनों ओर मिट्टी के किनारों की व्यवस्था की गई है जो इतने ऊंचे होंगे कि नदी की बाढ़ को रोक सकेंगे। पूर्वी किनारा बांध की ऊपर की धारा की ओर २३ मील तक चला गया है और ऊंची बाढ़ के दिनों में बहुत से स्पिलों को बन्द करने का काम देता है। पिछले वर्ष कोसी में जो बाढ़ें आई थी, वे अब तक आई बाढ़ों में से सब से बड़ी थी ओर इनके फलस्वरूप पूर्वी स्पिलों में असाधारण तेज़ी आ गई थी। इससे स्थानीय लोगों में कुछ डर पैदा हो गया था और अतिश्योक्ति पूर्ण समाचार प्रकाशित होने लगे थे कि नदी का रुख पूर्व की ओर होने वाला है और यदि वर्षा से पहले पूर्वी बाढ़ किनारा बनाया गया और अन्य उपाय न किये गये तो परियोजना बेकार हो जायेगी। तथ्य यह है कि इंजीनियरों ने इसके निर्माण कार्य को पहले ही अपने कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया था किन्तु उन का मुख्य उद्देश्य यह था कि वर्षा के दिनों में बांध के स्थान पर पहुंचना संभव होना चाहिए। नदी के पूर्व की ओर जाने की जो शंका थी उस के सम्बन्ध में क्षेत्र के नवीनतम सर्वेक्षणों के अनुसार विवरणयुक्त वर्णन को सम्मिलित कर के पूना में नदी के नमूनों का पूरा अध्ययन किया गया है। इस के अतिरिक्त पूना गवेषणा स्टेशन के निदेशक कोसी के मुख्य इंजीनियर और केन्द्रीय जलविद्युत आयोग के मुख्य इंजीनियर (बाढ़ रूपांकन) भी उपस्थित थे और इन तीन पदाधिकारियों ने सर्वसम्पति से यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ऐसा होने का कोई खतरा नहीं है।

बांध के ऊपर की ओर पूर्वी बाढ़ किनारे नेपाल में हैं और उन्हें जनता के सहयोग से बनाने का विचार नहीं था। लगभग ५० प्रतिशत काम जो कि इस वर्ष कम से कम किया जाना था १५ अप्रैल तक समाप्त भी हो चुका था और आशा है कि शेष ठीक समय पर समाप्त हो जायेगा।

कोसी योजना के, जो कि नवम्बर १९५३ को बनाई गई थी, ६ वर्षों में समाप्त किये जाने की आशा थी। काम में शीघ्रता लाने के लिये जनता से सहयोग लिया गया था। इस सहयोग से काम में अधिक प्रगति हुई है। चालू वर्ष का निर्माण कार्यक्रम परियोजना प्रशासन द्वारा बनाया गया था और कोसी नियन्त्रण बोर्ड द्वारा उसकी पहली बैठक में जो कि २ दिसम्बर, १९५४ को हुई थी, अनुमोदित की गई थी। जनता के सहयोग लेने का सिद्धान्त

[श्री नन्दा]

इस बैठक में बोर्ड ने स्वीकार कर लिया था।

कोसी परियोजना के निर्माण में जनता द्वारा भाग लेने के प्रयोग के अच्छे परिणाम निकले हैं और लोगों से हमें जो आशा थी वह पूरी हुई है। पंचायतों द्वारा गैर-सरकारी हिदायत के अधीन जिस सहकारी काम की व्यवस्था की गई है, वह सफल सिद्ध हुआ है और इस से अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सहायता मिलेगी। जनता के सहयोग द्वारा जो काम हुआ है, वह बहुत अच्छा हुआ है और इसकी बहुत प्रशंसा की गई है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से यह काफ़ी महत्व की बात है कि सहकारी श्रम संस्थाओं ने अपनी आय का ७½ प्रतिशत भाग पंचायत के क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिये अलग रख दिया था। जनता के सहयोग के द्वारा किया जाने वाला काम उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है और २७ अप्रैल, १९५५ को ४५० श्रमदानी, १२०२५ ग्राम सहकारी श्रमिक और ७९२३ विद्यार्थी इस काम पर लगे हुए थे। पश्चिमी किनारे पर बहुत संतोष-जनक प्रगति हुई है। पूर्वी किनारे पर काम देर से शुरु हुआ था और कुछ और कारणों से, काम की गति आरंभ में पर्याप्त नहीं थी, किन्तु अब इस में भी बहुत सुधार हो गया है। जनता के सहयोग के बारे में कोई ऐसे दावे नहीं किये गये जो अवास्तविक हों। विभिन्न स्तरों पर हमें जो अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, उससे हम अगले मौसम में अधिक उत्तरदायित्व के काम संभाल सकेंगे और परियोजना को बहुत पहले समाप्त कर सकेंगे।

मुझे यह कहने में हर्ष है कि बिहार सरकार और परियोजना प्रशासन मौसम का काम पूरा करने के लिये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

———

समिति के लिये निर्वाचन

टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद्

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : मैंने टेकनिकल शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद् के हेतु दो सदस्यों के चुनाव के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय ने उसके चुनाव के लिये तिथियों के निम्नलिखित कार्य-क्रम की घोषणा की :—

नाम निर्देशन की तिथि	नाम वापस लेने की तिथि	चुनाव की तिथि
४-५-१९५५ (४ म० प० तक)	५-५-१९५५ (४ म० प० तक)	७-५-१९५५ (११ म० पू० तथा १-३० म० प० के बीच)

हिन्दू विवाह विधेयक---जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा पारित, हिन्दू विवाह सम्बन्धी विधि में संशोधन करने और उसे संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर खण्ड वार विचार करेंगे ।

जो सदस्य २ से १२ तक खण्डों के बारे में संशोधन रखना चाहते हैं, वे १५ मिन्ट के अन्दर सचिव के पटल पर अपने संशोधन भेज दें । खण्ड १ पर अन्त में विचार किया जायेगा । अब हम खंड २ को लेंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड २ में एक परन्तुक जोड़ दिया जाना चाहिए ।

श्री पाटस्कर ने कहा है कि ८० प्रति शत हिन्दुओं में रूढ़िगत विवाह विच्छेद होते हैं और यह विधेयक उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

मनु की हिन्दू विधि में लिखा है कि हिन्दुओं के कुछ वर्गों और श्रेणियों में विधवा विवाह और विवाह-विच्छेद प्रचलित है ।

मेरा निवेदन यह है कि हमें समस्त समाज के लिए एकरूप विधि बनानी चाहिए । किसी जाति म विवाह विच्छेद हो, और किसी में न हो, तथा अनेक वर्गों और जातियों पर अनेक विधियां लागू हों, यह अच्छा नहीं है । एक रूप विधि होने में कुछ सार है, कुछ भलाई है । इस कथन में कि यह विधेयक सब हिन्दुओं पर लागू होगा और दूसरे कथन में कि रूढ़िगत प्रथाओं और रूढ़ियों को पूर्ववत रखा जायगा, कहां तक साम्य है ? ८० प्रतिशत लोगों में विवाह विच्छेद प्रचलित है. तो फिर यह विधेयक केवल वर्णाश्रय धर्म को मानने वाले ब्राह्मण. क्षत्रिय और वैश्य वर्गों पर ही लागू होगा, और समस्त हिन्दुओं पर नहीं ।

अतः मैं सभा से अपील करता हूं कि यदि सभा चाहती है कि हम मनु और याज्ञवल्क्य के नियमों से प्रशासित न हों, तो बिना विभेद इस विधेयक को समस्त हिन्दू समाज पर लागू किया जाना चाहिए ।

हिन्दू समाज ने अनार्यों की अनेक जातियों को अपने में मिलाया और सहिष्णुता के साथ उनकी रूढ़ियों और प्रथाओं को भी बर्दाश्त किया । यदि संसद चाहती है कि लोगों का जीवन नवीन आदर्शों के अनुसार चले, तो मैं समझता हूं कि यही उपाय ठीक होगा कि जहां ८० प्रतिशत लोगों को अपनी रूढ़ियां रखने की स्वतंत्रता दी गई हैं, वहां शेष २० प्रतिशत को भी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए । यदि अनुसूचित और छोटी श्रेणियों के लिए सब प्रकार की---बुरी और अच्छी प्रथाओं और रूढ़ियों को रखने की स्वतंत्रता दी जाती है तो उनका कोई सुधार नहीं होगा और न ही उनका स्तर ऊंचा उठेगा । यदि आप यह अनुभव करते हैं कि यह विधेयक समानता के सिद्धांतों पर आधारित है और सांस्कृतिक तथा मानसिक दृष्टिकोण से उ म है, तो इसे हिन्दू समाज के सब वर्गों पर लागू कीजिए । कुछ लोगों को इस विधेयक द्वारा प्रशासित होने के लिए बाध्य करने और शेष को छोड़ देने में विभेद करना उचित नहीं है । अतः मैं अपील करता हूं कि यदि ८० प्रतिशत अन्य हिन्दुओं के लिए इस विधेयक के अधीन आना वकल्पिक रखा जाता है, तो स्वर्ण हिन्दुओं के लिए भी यह विकल्प

[श्री एन० सी० चटर्जी]

होना चाहिए । डा० अम्बेडकर भी एक रूप हिन्दू विधि बनाने के सार्थक थे । मैं श्री पाटस्कर, श्री बिस्वास और इस सभा को अपने विचारों पर दृढ़ होने के लिए कहूंगा । यदि आप ईमानदारी से यह अनुभव करते हैं कि एकरूप विधि होनी चाहिए तो समस्त राष्ट्र के लिए एकरूप विधि बनाइये । यदि इतना साहस नहीं है तो हिन्दुओं के सब वर्गों और श्रेणियों के लिए एकरूप विधि बनाइए । ऐसा न कर के आप साम्प्रदायिकता और प्रांतीयता को हवा दे रहे हैं, जो इस राष्ट्र के लिए घातक हैं। या तो सब लोगों को स्वतंत्रता दीजिये, अन्यथा जो लोग हिन्दू विवाह के अखण्ड एवं शाश्वत सम्बन्ध को मानते हैं, उन्हें इस विधेयक के अधीन आने के लिये बाध्य न कीजिये ।

मुझे स्मरण है कि शरियत अधिनियम बनते समय मुसलमानों ने उन रूढ़ियों और प्रथाओं का जोरदार खण्डन किया था, जो इस्लामी विधि के सिद्धान्तों और प्रथाओं से मेल नहीं खाती थीं ।

यदि एकरूपता को अपनाना है तो तर्क पूर्वक एकरूपता लाइये, और यदि ८० प्रतिशत लोगों को मनमानी करने की आज्ञा देनी है, तो स्वर्ण हिन्दुओं को भी वही सुविधा दीजिये । यदि संसद लोगों के आदर्शों और स्तरों को ऊंचा उठानेकी दृष्टि से कोई विधि बनाना चाहती है, तो वह अधिकार सब को दया जाना चाहिए ।

इस लिए मेरा सुझाव है कि न्याय, समानता और औचित्य की दृष्टि लोगों में जाति या वर्ण के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए और जो व्यक्ति जिस सिद्धान्त और नियम को मानता है, उसे उसी को मानने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए । ऐसा न करने की अवस्था में यह स्वर्ण हिन्दू विवाह विधेयक बन जाएगा और समस्त संसार इस संसद के इस विधेयक का उपहास उड़ायेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : हमने इस आधार पर हिन्दू विधि के संहिता बद्ध करना स्वीकार किया था कि समस्त हिन्दू समाज के लिए एकरूप विधि हो और हिन्दू विधि से मेल न खाने वाली रूढ़ियों और प्रथाओं को मान्यता न दी जाये ।

हिन्दू कोड विधेयक के खंड ४ में भी यही सिद्धांत स्वीकार किया गया था कि इस विधि असंगत कोई भी रूढ़ि या प्रथा प्रभावी नहीं होगी । तब हम ने यह निर्णय किया था कि निषिद्ध सम्बन्धों वाली व्यक्तियों के बीच विवाह की अनुमति देने वाली प्रथाओं और रूढ़ियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा ।

विवाह विच्छेद के मामले का निर्णय करने के लिए कोई अधिकारी अवश्य होना चाहिए। केवल रूढ़ि के आधार पर विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम रूढ़ि के आधार पर विवाह विच्छेद की अनुमति देने का विरोध करते हैं । मैं न्यायालयों का आश्रय लेने वालों के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करता, परन्तु पुरुष और स्त्री के बीच पृथक होने का केवल निश्चय हो जाने से विवाह विच्छेद नहीं हो सकता । हमें तो देश की भलाई को ध्यान में रखना चाहिए । विशेष विवाह अधिनियम में भी हमने बुरी और गन्दी रूढ़ियों को स्वीकार नहीं किया है। मैं श्री चटर्जी से इस बात में सहमत हूं

कि इन रूढ़ियों को इस विधेयक में स्थान नहीं मिलना चाहिए और समस्त भारत के लिए एकरूप विधि बनाई जानी चाहिए ।

किसी राष्ट्र की एकता के लिए उस को विधि का एकरूप होना अनिवार्य है। यदि रूढ़ियां ऐसी हैं, जिन्हें अन्य लोग नहीं समझते, और जो हानिकारक नहीं हैं तथा जो न्यायविधि द्वारा मान्य हैं, तो उन रूढ़ियों को विधि का रूप क्यों नहीं दे दिया जाता ? परन्तु यदि आप इस विधि में रूढ़ियों को सम्मिलित करेंगे, तो यह विवाह विधेयक नहीं रहेगा । क्या आप अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर दृढ़ हैं ? डा० अम्बेडकर कुछ कहते थे, श्री विस्वास कुछ कहते थे और अब आप रूढ़ियों को भी बीच में सम्मिलित करने लगे हैं । यह कोई आदर्श है ? सरकार का कोई सिद्धांत होना चाहिए । हम से इस प्रकार की हिन्दू संहिता बनाने के लिए कहने का क्या उपयोग है ? खण्ड २ में कहा गया है यह सब हिन्दुओं पर लागू होगी और बाद वाले खंडों में कहा गया है कि यह सब हिन्दुओं पर लागू नहीं होगी । हमें अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए । इतनी विधियां रखने और संसार को यह बताने का कि हम एक विधि बना रहे हैं, क्या उपयोग है ? सरकार को इस ढंग से व्यवहार नहीं करना चाहिए । यदि हम किसी विधि को देश के लिए अच्छा समझते हैं तो हमें दृढ़तापूर्वक यह बात कहनी चाहिए और कुछ लोगों के अप्रसन्न होने का भय नहीं करना चाहिए । हमें पक्षपात या भय में पड़कर गलत धारणाएं नहीं रखनी चाहिए । मैं समझता हूं कि इस विधि से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए मैं श्री चटर्जी के विचारों का समर्थन करता हूं।

श्री राने (भुसावल) : श्रीमान्, मैं ने खंड २ के उप-खंड २ को निकालने के बारे में संशोधन दिया है ।

श्री चटर्जी और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने तर्क देकर बड़ी चतुराई से विधेयक का विरोध किया है । खैर मैं इस तर्क को इस योग्य नहीं समझता कि सभा उस पर विचार करे ।

मेरे संशोधन में उपखंड २ निकालने का प्रस्ताव किया गया है । मेरा विचार है कि इस विधेयक द्वारा हिन्दू स्त्री को विवाह शून्य करने, विवाह विच्छेद, न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद, स्थायी रूप से निर्वाह व्यय और बच्चों की अभिरक्षा इत्यादि के कई अधिकार दिये गये हैं । खंड को इसके वर्तमान स्वरूप में रखने से अनुसूचित आदिम जातियों की स्त्रियां इन अधिकारों से वंचित रह जायेंगी क्योंकि संविधान के अनुच्छेद ४६, २४४ और ३४२ और अनुसूची ५ के अनुसार कोई राज्यपाल अथवा राजप्रमुख संसद के किसी अधिनियम को अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों पर न लागू करने का अधिकार रखता है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि मेरा संशोधन बड़ा साधारण है और इसे स्वीकार करने में कोई हानि न होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि खंड २ पर कितने संशोधन रखे गये हैं । समय कम है और मैं चाहता हूं कि सामान्य चर्चा करने की बजाय केवल वही सदस्य बोलें जो संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

सरदार अकरपुरी (गुरदासपुर) सभापति जी, मेरा अमैन्डमैन्ट यह है कि पेज (१) में क्लाज़ नम्बर २ जो कि एप्लीकेशन आफ़ ऐक्ट के बारे में है इस

[सरदार अकरपुरी]

की लाइन १३ में जो यह लिखा हुआ है (6) to any person who is a Budhist, Jain or Sikh by religion and इसमें से सिक्ख लफ़्ज़ को ओमिट कर दिया जाये । मैं समझता हूं कि सैकूलर स्टेट में हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान या किसी और जाति के नाम पर कोई ला बनाना या इसको पास करना हमारी सेक्यूलरिज्म पर एक बहुत बड़ा भारी धब्बा है । इसमें से जो मुसलमान को–क्रिशचियन्स को–पारसीज को और ज्यूज़ को ओमिट किया गया है उसको मैं ठीक नहीं समझता । मैं इसमें एक बात के और कोई चीज़ नहीं देखता कि जो मुसलमान पर अप्लाई न करती हो । मुसलमानों में चार शादियां करने की इजाज़त है और भी एक चीज़ है जो इनके खिलाफ जाती है । इस विना पर इसलाम को इस बिल की प्रोवीज़न्स से मुसतसना किया गया है कि इनकी शरा में एक ऐसी चीज़ है जिसके मुताबिक वे चार शादियां कर सकते हैं । लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसमें भी यह दर्ज है कि अगर चार शादियां करने की जरूरत को महसूस करें तभी वह चार शादियां कर सकते हैं । लेकिन इस से ज़्यादा नहीं और यह इन पर बाइंडिंग नहीं है कि वे ज़रूर चार शादियां करें । इस बिना पर हम ने इन को नहीं छेड़ा है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुओं में भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर नरीना औलाद पैदा न हो तो भन्ड कौन भरायेगा । अगर बच्चा पैदा न हो, अगर लड़का पैदा न हो तो भन्ड भराने वाला कौन होगा । इस वास्ते हिन्दुओं को भी इस बात की इज़ाज़त है कि वे दूसरी शादी या तीसरी शादी या चौथी शादी जब तक कि बच्चा पैदा न हो कर सकते हैं । यह चीज़ हिन्दू शास्त्रों के मुताबिक है । हिन्दू शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि अगर भन्ड भराने वाला कोई न हो तो वह आदमी नरक का अधिकारी होता है । आप जरा सोचिये कि यह कितनी बड़ी सज़ा है । इसके मुताल्लिक शास्त्रों के जानने वाले लोगों की राय ली जानी चाहिये थी और मैं समझता हूं कि इस हाउस को इस प्रावीज़न् को पास करने का कोई हक नहीं है । इस वास्ते मैं ने तजवीज़ पेश की है कि इसमें से लफज़ सिक्ख निकाल दिया जाये । यह मैं ने इस वास्ते भी कहा है कि सिक्खों का एक मैरिज ला अलैहदा है जिसका नाम आनन्द मैरिज ऐक्ट है । मैं जानता हूं कि हम हिन्दू ला के मातहत हैं लेकिन हमारा मैरिज ऐक्ट अलैहदा है । शादी करने का तरीका हमारा अलैहदा है । अगर यह चीज़ यहां पर पास हो जाती है तो मुझे डर है कि कहीं आगे चलकर आप यह न कर दें कि फुलां वक्त पर मन्दिर में जाने की इज़ाज़त है और फुलां वक्त पर जाने की इजाजत नहीं है । इस वास्ते मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप को इस में जल्दी नहीं करनी चाहिये और इसको पास नहीं करना चाहिये । यह बिल कब चला था—यह उस वक्त चला था जब कि अंग्रेज़ों ने देखा कि हिन्दुस्तान में आज़ादी का मूवमैन्ट ज़ोर पकड़ता जा रहा है और जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं वे ज़्यादातर हिन्दू हैं । लीडर भी हिन्दू हैं और जनता भी जो इनके पीछे है वह भी हिन्दू है इस वास्ते इनमें फूट डाली जाये । इनमें फ़िकशन पैदा की जाये । इस बिल को वे १९३९ या १९४० में लाये थे १९४२ में क्वीट इन्डिया मूवमैन्ट का नारा लगाया गया और यह बिल बीच में हीं पड़ा रह गया । इसके बाद हमने

इस बिल को एडाप्ट कर लिया । इस बात की मुझे खुशी है कि हमारे नेताओं ने इस बिल को बहुत सोच विचार के बाद इस हाउस में लाने का फैसला किया है ।

मैं मानता हूं कि इस बिल में बहुत सी अच्छी बातें हैं जो कि देश के लिये—सोसायटी के लिये मुफीद साबित हो सकती हैं । लेकिन मुझे तो एतराज़ इस बात पर है कि एक सैकूलर स्टेट में दो किस्म की बातें नहीं होनी चाहियें । इसमें तो एक किस्म की ही बात होनी चाहिये । मुझे इस बात की खुशी है कि इस किस्म का बिल कई हजार वर्षों के बाद आया है । जिसमें हमारी बहनों की भलाई की बात की गई है और उनको इस पर राय देने का भी मौका दिया गया है । जितने भी बिल आज तक बने हैं वे आदमी ही बनाते आये हैं और वे औरतों को कुचलते आये हैं । आदमी तो एक शादी, दो शादियां, तीन शादियां और चार शादियां कर सकता है । लेकिन जब एक औरत का आदमी मर जाता है तो हम उसको एक जूती के बराबर समझने लग जाते हैं और इसे दूसरी शादी करने की इजाज़त तक नहीं देते । हम तो ऐसा समझते हैं कि यह एक जूती है जिसे जब चाहा, उतार फेंका और नई ले ली और जब वह नई जूती पुरानी हुई उसे भी उतार फेंका और नई ले ली । यह एक बहुत ही बुरी बात है । इसके मुत्तालिक गुरु नानक साहब ने आज से चार सौ वर्ष पहले आवाज़ उठाई थी कि स्त्री की जिससे कि ऋषि, मुनि, पैगम्बर और अवतार पैदा हुये हैं इसकी निन्दा करना बड़ा पाप है । औरत की निन्दा नहीं करनी चाहिये ।

मैं सिर्फ एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं कि सैकूलर स्टेट में इसको पास करने से पहले यह सोचना चाहिये कि अगर चार करोड़ की आबादी वाले मुसलमान भाईयों का जो हमारे साथ रहते हैं इनकी शरा का ख्याल रखा जाता सकता है तो हिन्दू भाईयों की शरा का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता और अगर यह नहीं किया जाता तो मैं यह अर्ज करूंगा कि सिक्खों को इस कानून की जद् से ओमिट कर दिया जाय । हम जब देखेंगे कि सोसायटी में यह चीज अच्छी तरह से चल गई है और इसको सोसायटी ने बरदाश्त कर लिया है तो फिर इस हाउस में मैं अर्ज करूंगा कि हम भी इस में शामिल होते हैं और हम कहेंगे कि हमें भी इसमें शामिल कर लिया जाय ।

हिन्दुस्तान की तहजीब तो ऐसी है कि स्त्री पुरुष का जो मेल है वह ज्योती का मेल है । शरीर का मेल नहीं हैं और हमारे यहां तो कहा गया है :

धन बीरे ना आखिये बन्नह इकट्ठे होए।
इक ज्योति दोई मूरत धन बीर कहियेसोए ।।

दो शरीरों का मिलान नहीं बल्कि ज्योंति एक होनी चाहिये । अगर आदमी मर जाये तो औरत इसकी ज्योति में ज्योति मिला दे, साथ में मर जाये । मेरी समझ में इस बिल से स्त्री का वह कैरक्टर नीचे चला जायगा । ऐसे वक्त में जब कि देश को डिवैलपमैन्ट की जरूरत है हर आदमी की जिम्मेदारी की जरूरत है हम इतने सारे लोगों को एक छोटी सी बात से जिसमें कोई बड़ा वजन नहीं है, नाराज कर देते हैं तो मैं यह अर्ज करूंगा ला मैम्बर साहब की खिदमत में और लीडर आफ दी हाउस की खिदमत में अर्ज करूंगा कि कम अज़ कम इसको पांच साला प्लान के खतम होने तक मुलतवी रक्खा जाये पहले

[सरदार अकरपुरी]

पाच साला प्लान में हमने देश की बुनियादें रक्खी हैं। बड़ी मजबूत बुनियादें रक्खी हैं और उन पर अपना मकान बनाना है। इस पांचसाला प्लान में हमें मकान बनाना है और मजबूत मकान बनाना है जब मकान बन जायेगा तब इसको सजायेंगे और इसमें तसवीरें लगायेंगे। यह तो सब बेल बूटे पहले मकान तो बन जाने दीजिये इस वास्ते मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसको मुलतवी करना चाहिये, कम अज कम अगल पांच साला प्लान के खत्म होने तक चाहिये तो इसको मुलतवी दस वर्ष तक के लिये किया जाना चाहिये था। जब तक कि इस देश से बेरोजगारी न हट जाय। सरकार की यह स्कीम है कि दस साल के बाद इस मुल्क में कोई बेरोजगार नहीं होगा। वह बात भी पूरी हो जाती तब तक के लिये इसको मुलतवी कर दिया जाता।

मैं अपनी बहनों से यह कहना चाहता हूं जो आज इस बिल के हक में हैं और इसको जल्द अज जल्द पास कराना चाहती हैं और मन में बड़ी खुश हो रही हैं, इनसे मैं यह कहूंगा कि अगर यह बिल इसी तरह पास हो गया तो याद रखना मुसीबत तम्हारे ऊपर आने वाली है आदमी तो अइयास तबीयत वाकै हुआ है और जैसा कि कृपलानी-जी ने कहा था कि दहेज के लिये या जब इसकी औरत की काफी उम्र अधेड हो चुकेगी या महज अइयाश के लिये पहली औरत को तलाक दे देगा और कम उम्र की लड़की से दोबारा शादी कर लेगा और जाहिर है कि इस तरह का फेल हमारी बहने नहीं कर सकती। वह तो शर्म और हया की पुतली है। वह तो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकतीं मैं कहता हूं कि अगर इस तरह का कानून आपको पास ही करना हो तो यह पास करिये कि दस साल तक आदमी को तलाक की इजाजत न दी जाय औरत अलबत्ता अगर चाहे तो तलाक दे सके लेकिन आदमी तलाक न दे सके।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस वास्ते मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल को पास करना मुलतवी किया जाये या सिक्खों को इसमें से ओमिट कर कर दिया जाये लेकिन अगर यह भी मुमकिन न हो तो इसमें जो आदमी को तलाक देने का अधिकार है उसको काट दिया जावे और बहनों को यह हक रहने दिया जाये। लेकिन मैं अकसर देखता हूं कि तलाक के हक को हमारी कुछ बहनें इस तरह जेब में डाले फिर रही हैं मानों इन्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो मैं अपनी बहनों को खबरदार करना चाहूंगा कि वह बहुत सोच समझ से काम लें अभी आप बहुत थोड़ी है। अपने लिये कानून बनाने के लिये आपको इस हाउस की आधी नुमाइन्दगी तो हासिल करनी चाहिये तब आप अपने लिये मुफीद कानून बना सकेंगी अभी यह जो सारे कानून बन रहे हैं इनको बनाने में आदमियों का बहुत बड़ा हाथ है और यह आपके साथ कानून बनाने में बहुत शरारत कर सकते हैं। बस और ज्यादा न कहते हुए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मेरा जो अमैन्डमैन्ट है उसको मन्जूर कर लिया जाये।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २ में ११ से १५ तक की पंक्तियां निकाल दी जायें।

सरदार अकरपुरी पंडित ठाकुरदास भार्गव और श्री राने के भाषण सुनकर हम उलझन में फंस गये हैं। इसका कारण यह है कि गत तीन वर्ष से हम

देख रहे हैं कि कांग्रेस दल के सदस्यों की लोकतन्त्रात्मक निष्ठा घटती जा रही है। विस्टन चर्चिल के कथनानुसार एक संसद सदस्य का प्रथम कर्तव्य उसके देश के प्रति होना चाहिये और पंडित ठाकुरदास भार्गव, श्री राने और श्री अकरपुरी ने इसका समर्थन करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र और अपने दल के कार्यक्रम के प्रति अपने कर्तव्य का भी उल्लेख किया है।

मेरा अभिप्राय यह है कि सभा में कई खंडों का विरोध किया जाता है परन्तु माननीय सदस्य अपनी बात पर अटल नहीं रहते। मुझे उनसे केवल यही शिकायत है। मेरा निवेदन है कि खंड २ में हिन्दू समाज के विभिन्न भागों में भेदभाव किया जा रहा है। पहले समस्त हिन्दू समाज के लिए एकरूप संहिता का निर्माण करने की इच्छा प्रकट की जाती थी परन्तु ईसाई और मुसलमान लोगों को छोड़ दिया गया और अब यह हालत हो गई है कि अनुसूचित आदिम जातियों और निम्न जातियों पर भी इसे लागू नहीं किया जा रहा है ताकि उनके मत प्राप्त करके निर्वाचन में सफलता प्राप्त की जा सके। इसी कारण उन पर विवाह विच्छेद विधि लागू नहीं की जा रही है। वे पुराने तरीके से ही विवाह विच्छेद कर सकेंगे और उन्हें न्यायालय में जाने की कोई आवश्यकता न होगी।

सम्भव है कि कुछ लोग इसमें कोई बुराई न समझें परन्तु इसके कारण समाज के दो अंगों में भेदभाव पैदा हो जायेगा। अतः मेरा निवेदन है कि खंड २ में उपखंड २ की कोई आवश्यकता नहीं है।

हम कहते हैं कि हमें एकरूप संहिता चाहिये। यदि यह विवाह विच्छेद विधि इतनी आवश्यक है तो इन अनुसूचित आदिम जातियों को इससे क्यों वंचित रखा जाये जिन्हें हमने अपने स्वार्थ के लिये अलग कर रखा है।

यदि माननीय मंत्रियों में से कुछ एक स्वयं वृहस्पति होने का दावा करने लगे हैं और उन्हें मनु, याज्ञवल्क्य और वृहस्पति के वचनों में विश्वास नहीं रहा तो क्या वे उचित समझते हैं कि हिन्दू समाज के एक अंग के साथ इस प्रकार भेदभाव का बर्ताव किया जाये।

यदि आपको विश्वास है कि हिन्दू समाज को ऊंचा उठाने के लिये यह संहिता अत्यन्त आवश्यक है तो इसे सारी जाति के लिये आवश्यक समझा जाना चाहिये। मुझे तो विश्वास है कि यह विधेयक कुछ लोगों को तंग करने के लिये प्रस्तुत किया गया है और इससे स्त्री जाति को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। मुसलमानों की विधि के अनुसार पुत्र की विधवा स्त्री को सम्पत्ति में से कुछ नहीं दिया जाता और उसकी कोई सहायता नहीं की जाती परन्तु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और हिन्दू समाज, जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है, के लिये हम यह विधेयक बनाना चाहते हैं।

यदि विवाह विच्छेद की व्यवस्था करनी ही है तो बेचारे अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को उनकी अनजान पंचायतों की दया पर क्यों छोड़ा जाये।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : क्या माननीय सदस्य को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की पंचायतों पर ऐसे आक्षेप करने का अधिकार है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मुझे इसका पूर्ण अधिकार है ।

अतः मैं श्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये और अपने संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐमेंन्डमेन्ट नं० २७६, २७८ और २७९ को सप्पोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : हमने २ से ८ तक खंडों पर चर्चा करने के लिये चार घंटे का समय रखा है और अभी हम खंड २ पर ही चर्चा कर रहे हैं । अब हम खंडशः विचार करते हैं । क्या समय निश्चित किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि अभी केवल खंड २ पर विचार किया जायेगा । इसके पश्चात् यदि सभा को स्वीकार हो तो ३ से ८ तक खंड एक साथ लिये जायेंगे और मतदान के लिये उन्हें अलग अलग रखा जा सकता है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐमेन्डमेन्ट्स नं० २७६, २७८ और २७९ का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जो विधेयक इस समय आप के सम्मुख रक्खा गया है, मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस काम के लिए रक्खा गया है । हम देखते हैं कि एक क्लाज़ में डेफिनिशन है । जब हम डेफिनिशन का क्लाज़ देखते हैं तो पता चलता है कि डिगरीज़ आफ प्राहिबिटेड रिलेशनशिप किन किन में मौजूद है । और उन प्राहिविटेड रिलेशनशिप में भी है कि कहां पर यह लागू हो और कहां पर लागू न हो । बल्कि निबन्ध बढ़ते ही जाते हैं । फिर देखते हैं कि कस्टम और यूसेज की बात भी कही जाती है । जिन लोगों में कस्टम और यूसेज दूसरे हैं उनके बारे में दूसरी तरह की बातें की जाती हैं । इस लिये में तो देखता हूं कि इस विधेयक में केवल एक सत्र है और वह सूत्र यह है कि अभी तक पूरे देश के लिये जो एक कानून लागू होता था जिस कानून के मुताबिक हर आदमी को चलना पड़ता था, एक स्त्रीत्व का आदर्श सारे देश में था, और भारत में काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो एक कानून लागू होता था, वह समाप्त हो गया और जो हिन्दू कानून हिन्दुस्तान के १०, १५ या २० प्रतिशत लोगों पर लागू होता था उस पर आज आघात किया जा रहा है । आपको बताया गया कि आप मामा की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं । वे मौसी की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, भांजी के साथ शादी कर सकते हैं । उनके लि कोई कानून नहीं है । डिस्साल्यूशन के बारे में भी बताया गया है कि वे जिस प्रकार चाहें, कर सकते हैं। मैंतो केवल एक ही सूत्र देखता हूं, जो कि हज़ारों वर्षों से इस देश के सारे भागों में प्रचलित है । उस पर आज आघात किया जा रहा है । संशोधन २७६ में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब लोगों को आज़ादी न दें । जो लोग संस्कार के विवाह में विश्वास रखते हैं । यद्यपि हमारे विधान मंत्री महोदय तो संस्कार के विवाह और सैक्रामेंटल मैरिज में भेद करना चाहते हैं–, जो संस्कार का विवाह करना चाहते हैं और उस दृष्टि से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप उनको भी फ्रीडम दीजिए, उनको भी स्वतंत्रता

दीजिए । हम तो आप से केवल सह-अस्तित्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं । इस संशोधन के द्वारा हम आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस विधेयक के अधीन निर्धारित प्रैस्क्राइब्ड अथारिटी के सामने जा कर यह घोषणा करें कि हम पर यह कानून लगाया जाय, केवल उन्हीं लोगों पर यह कानून लागू किया जाय । जो लोग इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं, उन पर इसको लागू न किया जाय । हम लोग बहुत थोड़े हैं । हम उससे बच जायेंगे । आप कहते हैं कि हिन्दुस्तान की पूरी जनता आप के साथ है और ९० फीसदी लोग इसको चाहते हैं । यदि यह बात सत्य है, तो आप यह व्यवस्था कर दीजिए कि जो लोग इस हेतु डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, वे इससे लाभ उठा लें और बाकी हमारे जैसे छोटे लोग रह जायेंगे । मैं समझता हूं कि ऐसा करने से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है । अगर यह मेजर वाकई बड़ा लोकप्रिय है, तो ९० या ९९ फीसदी लोग, जैसा कि आप कहते हैं, इस प्रकार मैजिस्ट्रेट के सामने डिक्लेरेशन फाइल करने चले जायेंगे । इसके लिए आपकी ओर से कुछ किए जाने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती है । जैसा कि अभी श्री चटर्जी ने कहा है, जब कच्ची मेमन लोगों पर शरियत एक्ट लगाया गया, तो यह व्यवस्था की गई कि वे प्रैस्क्राइब्ड अथारिटी के सामने जाकर घोषणा करते थे कि हम पर यह ला लगाया जाना चाहिये और तब वह लगाया जाता था । मैं समझता हूं कि लोक-राज्य में प्रजातंत्र में, जिसको कि हम ने स्वीकार किया है, यह उचित ही है कि इस प्रकार के समाज-सुधार के विषय में यह व्यवस्था की जाय कि जो लोग इस प्रकार के कानून को मानते हैं, वे मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर घोषणा करें और उस कानून से लाभ उठायें । उन लोगों के रास्ते में हम आना नहीं चाहते हैं । परन्तु कुछ बहुत थोड़े से लोग ऐसे भी हैं, जो कि पुराना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जनके विषय में आप कहते हैं कि उनका कोई कानून नहीं है, कोई बन्धन नहीं है ।

यहां पर यह भी कहा गया कि हम कास्ट के बारे में सोचने के लिये तैयार ही नहीं हैं । मुझ बताइये कि आपने यह जो कानून बनाया है, इस पर बिना कास्ट के कैसे कार्य किया जा सकता है ? उदाहरण के लिये आप देखिये कि जब डिस्सालयूशन प्रोसीडिंग्ज़ के विषय में कोई कोर्ट में जायगा, तो उससे पूछा जायगा कि "आपकी जाति क्या है ? उपजाति क्या है ?" तब वह बतायेगा कि मैं जाट हूं और अमुक प्रान्त का रहने वाला हूं और इसी लिए यह कानून मुझ पर लागू होना चाहिए । कल अगर कोई मामा की लड़की के साथ शादी करना चाहता है । तो कोर्ट में उससे जाति और उप-जाति के विषय में पूछा जायगा और उसे बताना होगा कि "मैं ऋगवेदी देशस्थ ब्राह्मण हूं और महाराष्ट्र का रहने वाला हूं ।" तब मामा की लड़की के साथ उसकी शादी मान्य हो जायगी । आप कहते हैं कि हम कम्यूनलिज्म के विरुद्ध हैं, परन्तु इस कानून के द्वारा तो आप न केवल कम्यूनलिज्म को, बल्कि कास्ट-इज्म, सबकास्ट-इज्म और रिजनलिज्म को प्रोत्साहन दे रहे हैं एक राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आप तैयार हुए हैं । हम कहते हैं कि ये टुकड़े तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो लोग शास्त्रों को मानते हैं, परम्पराओं को मानते हैं जिनकी भावना इस बारे में

[श्री वी० जी० देशपांडे]

अत्यन्त तीव्र है और जो कहते हैं कि इस तरह हमारी इच्छा के विरुद्ध ज़बर्दस्ती यह कानून हमारे ऊपर न ठूंसिए. उनको तो आप इस से मुक्त कर दीजिए । जो लोग आपके साथ हैं और आपके इस कानून को पसन्द करते हैं, वे कोर्ट में जा कर घोषणा करें कि हम पर यह कानून लागू किया जाय, उन पर आप लागू कर दीजिए, परन्तु जो थोड़े से प्रतिगामी, पुराने ख्याल के लोग हैं, जो मनु और याज्ञवल्क्य के पीछे चलने वाले हैं, जो कि कभी के मर गए, खत्म हो गए, जिनका कुछ नहीं रहा, उनका गला छोड़ दीजिए । इतनी प्रार्थना मैं इस संशोधन के द्वारा करना चाहता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे द्वारा दो संशोधन संख्या २७८–२७९ प्रस्तुत किए गये ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : जब डा० अम्बेडकर ने हिन्दू कोड विधेयक प्रस्तुत किया था तो मैंने एक संशोधन रखा था कि यह विधेयक सिक्खों पर लागू नहीं होना चाहिये । उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि उच्च न्यायालयों के कतिपय निर्णयों के अनुसार जहां तक सामाजिक विधियों का सम्बन्ध है हिन्दू विधियां ही सिक्खों पर लागू होती हैं । परन्तु, ९० प्रतिशत सिख कृषक हैं और वे देहात में रहते हैं और उनके अपने रीतिरिवाज हैं । नगरों में रहने वाले १० प्रतिशत सिखों पर हिन्दू विधि लागू होती है । मैं विश्वास करता हूं कि समाज कभी स्थिर नहीं रह सकता वह गतिमय है । अतः समाजिक विधियों में भी प्रगति की आवश्यकता है । अब हम ऐसा समाज बनाने वाले हैं जिसमें निषिद्ध संबंधों में पहली बार विवाह की सुविधा दी जा रही है । इसे उन्नति कहिए अथवा अवनति यदि यह केवल इस कारण प्रगति है कि इसे आधुनिक विधियों में रखा जा रहा है तो समाज इससे बहुत आगे बढ़ चुका है । हमारे प्रदेश के कृषकों में चचेरे भाई बहनों में विवाह हो जाता है । गोद लेने के सम्बन्ध में भी उनमें कुछ विशेष नियम हैं । हिन्दू विधि के अधीन उसके लिए कुछ संस्कार करने पड़ते हैं परन्तु जहां तक कृषकों में गोद लेने की प्रथाओं का संबंध है वहां ऐसे कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं । उन्हें केवल एक घोषणा करनी पड़ती है कि अमुक व्यक्ति को गोद लिया गया है । डा० अम्बेडकर ने इस पर व्यंग किया था परन्तु तथ्य यह कि पंजाब में निषिद्ध सम्बन्ध बहुत कम है ।

इस विधान को अपनाने के पश्चात् जब लड़की को पिता की सम्पत्ति का हिस्सा मिलेगा तो हम सगे और चचेरे भाई बहनों में भी विवाह करने लगेंगे पंजाब में तो बहुत हानि होगी । मैं कल्पना करता हूं कि जिन छोटे जमींदारों के पास ४, ५ एकड़ जमीन है । उनमें लड़कियों को मार डालने की प्रथा पुनः आरम्भ हो जायेगी ।

जब हम हिन्दू कोड विधेयक पर चर्चा कर रहे थे तो यह जोरदार मांग की गयी थी कि उस विधेयक में प्रथा को रहने दिया जाना चाहिये । यह ठीक है कि यदि प्रथा को रहने दिये जाय तो यह विधेयक किस पर लागू होगा परन्तु मुझे भय है कि यदि सिक्खों को विधि के अन्तर्गत लाया गया तो वह विक्षुब्ध हो जायेंगे । और उसका परिणाम सारे उत्तर भारत में बहुत हानिकर होगा ।

अतः मैं अपने मित्र सरदार अकरपुरी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री पाटस्कर : खण्ड २, जिस पर इस समय चर्चा हो रही है, का सम्बन्ध इस प्रश्न से है कि यह विधेयक किन किन व्यक्तियों पर लाग हो। यह एक ऐसा विषय है जिस पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, क्योंकि हिन्दू संहिता के अन्तर्गत आने वाले सभी विधेयकों का कार्यक्षेत्र लगभग समान ही है ।

मैं रूढ़ियों आदि के संरक्षण के सम्बंध में कुछ नहीं कहूंगा क्यों कि इस के बारे में सदस्यों के मध्य बड़ा भेद भाव है । मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा । हां इसके सम्बंध में अन्य सदस्यों के विचार सुनने के उपरान्त मैं इसकी ओर निर्देष अवश्य करूंगा ।

पूर्व इसके कि मैं माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन पर कुछ बोलू, मैं डा० रामा राव और श्री यू० एम० त्रिवेदी के संशोधनों के सम्बंध में अपने विचार प्रकट करूंगा । खण्ड २ के उपखण्ड (२) में लिखा है :

"उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड (२५) के अर्थ के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित आदिम जातीय लोगों पर लागू नहीं होगी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार सरकारी गजेट में अधिसूचना के द्वारा अन्य किसी प्रकार का निदेश नहीं देती ।"

अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में, संविधान की पंचम अनुसूची के विशष उपबन्धों की दृष्टि से यह एक अत्यावश्यक उपबन्ध है । संविधान रचयिताओं ने ऐसा सोचा था कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित आदिम जातियों के प्रत्येक मामले में, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या अन्य किसी प्रकार का हो, हमें अत्यन्त सावधानीपूर्वक कोई कदम रखना चाहिए । इसीलिए इसके बारे में में अधिकतर अधिकार मंत्रणा परिषद्, राजप्रमुख अथवा राज्यपाल को सौंप दिए गए हैं ताकि वे स्वयं निर्णय करें कि उस विशेष प्रदेश की स्थिति को देखते हुए वहां पर कौन सी विधि लागू हो और कौन सी न हो अतः यह कार्य स्थिति की गंभीरता को देखकर ही किया गया था : इस लिए यह संविधान के भावों के अनुकूल है, और उसके उपबंधों के अनुसार है । अतः हमें इस समय ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो कि संविधान की पंचम अनुसूची के उपबन्धों के विपरीत हो ।

मुझे विश्वास है कि श्री राने और श्री यू० एम० त्रिवेदी इस बात को समझ गए होंगे । वास्तव में यह लोगों के हित के लिए उपबंधित किया गया है और यह संविधान के उपबन्ध के अनुकूल है जो कहता है कि ऐसे लोगों के साथ अभी विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाए । इसीलिए इस विधेयक में हमने ऐसा उपबन्ध रखा है । परन्तु यह उपबन्ध सदा के लिए नहीं रहेगा, जब उपयुक्त समय आएगा और मंत्रणादाता ऐसा अनुभव करेंगे, तो वे इन लोगों पर भी अन्य लोगों के समान ही सभी नियम लागू कर देंगे ।

मेरे विचार अनुसार श्री यू० एम० त्रिनेदी का दूसरा संशोधन अनावश्यक है । मैं समझ नहीं सका कि वे ऐसा क्यों चाहते हैं कि ये शब्द छोड़ दिए जाएं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरा संशोधन तो खण्ड १० के बारे में है । खण्ड २ के बारे में मेरा कोई अन्य संशोधन नहीं है ।

श्री पाटस्कर : तब, मैं सरदार अकर-पुरी के संशोधन को लेता हूं । वह यह चाहते हैं कि 'या सिख' ये शब्द हटा दिए जाएं । उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वे लगभग वैसे ही हैं जैसे कि इस विधेयक का विरोध करने वाले अन्य लोगों ने तर्क प्रस्तुत किए हैं । इसके विषय में मैंने कल भी यह बताया था कि जहां तक हमारी स्थिति का सम्बन्ध है, यह पूर्णतया स्पष्ट है कि हम यह चाहते हैं कि वर्तमान विधि उन सभी व्यक्तियों पर लागू हो जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है । यहां हिन्दू शब्द से हिन्दू धर्म का तात्पर्य नहीं है । जहां तक धर्म का सम्बन्ध है, हम ने स्पष्टतया बता दिया है कि सिख एक पृथक धर्म है और इसीलिए उप-खण्ड (ख) में लिखा गया है कि यह "किसी भी बौद्ध, जैन अथवा सिख पर लागू होगा ।" जैसे कि सरदार हुक्म सिंह जी ने बताया है कि इस समय, इन सभी समुदायों पर हिन्दू विधि ही लागू होती है, और हम चाहते हैं कि यह विधेयक भी सभी पर समान रूप से लागू हो ।

अब मैं श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन संख्या २७६ को लेता हूं । यह निम्न प्रकार से है :

"परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ (संख्या ९) की धारा ११ के अर्थ के अन्तर्गत संविदा करने की क्षमता रखता हुआ निर्धारित प्रपत्र के अनुसार घोषणा करता है और निर्धारित प्राधिकारी के सम्मुख इस घोषणा को प्रस्तुत करता है कि वह इस अधिनियम की सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है, तदुपरान्त यह अधिनियम उस पर लागू होगा ।"

जैसे कि एक सदस्य ने इस बात की ओर पहले ही संकेत किया था, यह एक ऐसी बात है जो कि इस विधेयक की जड़ पर ही कुठाराघात करती है । मैंने भी कल यह कहा था कि इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ८० प्रतिशत लोगों को रूढ़ि के अनुसार विवाह-विच्छेद की सुविधा प्राप्त है, केवल २० प्रतिशत लोगों को ही इस बात की अनुमति नहीं है । परन्तु खण्ड २ केवल विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में ही नहीं कहता, अपितु विवाह के सम्बन्ध में भी कहता है । मेरे मित्रों ने इसे स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हें न तो अन्तर्जातीय विवाहों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है, और न ही एक पत्नीत्व के उपबंधों के सम्बन्ध में । तो फिर आप इसी आधार पर क्यों तर्क देते जाते हैं कि यह विधेयक विवाह-विच्छेद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं । इस विधेयक में अन्य और भी कई बातें सम्मिलित हैं, परन्तु कुछ एक लोगों के मन विवाह-विच्छेद-सम्बन्ध उपबन्धों से क्षुब्ध हैं । मेरा कथन यह है कि अन्तर्जातीय विवाहों अथवा एक पत्नीत्व के लिए हमें इसी विधेयक की शरण लेनी पड़ेगी । ऐसा बताया गया था कि यह एक ऐसा उपबन्ध है जो कि उस अधिनियम के उपबन्धों की प्रतिलिपि है जो उस समय लागू होते थे जब कि उत्तरदायित्व के मामलों में खोजों और कच्ची मैमनों पर भी हिन्दू विधि लागू होती थी । उसके उपरान्त उन्होंने इस बात का आन्दोलन किया था कि उन पर मुस्लिम विधि लागू हो । सरकार ने यही उचित समझा कि वे लोग इस प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत करें जिससे कि वे भी मुस्लिम विधि के द्वारा शासित हों । इसके बारे में हमें अधिक अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह एक बिल्कुल अलग सा प्रश्न है । इस

समय जब कि हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि सारे देश पर एक ही समान नियम लागू हों, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि यह नियम उस पर लागू न हों अपितु उस पर रूढ़िगत नियम लागू हों, तो मैं इसे उचित नहीं मानता । जैसे मैंने कल भी कहा था, इस समय हिन्दू विधि न तो एक रूप में है और न ही वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से संगत है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए मने अपना यह विधेयक प्रस्तुत किया है । जैसे मैंने कल भी कहा था जब भी यह विधेयक प्रस्तुत होगा कुछ एक लोग इसका विरोध तो करेंगे ही । मैं उनके मतभेद का आदर करता हूं, परन्तु हम जब कि ऐसा चाहते हैं कि सारे देश पर एक समान ही नियम लागू हों, इस प्रकार के संशोधन स्वीकार नहीं किए जा सकते । सारे देश पर एक समान संहिता लागू करने की दृष्टि से ही, यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इसक सम्बंध में संशोधन को मान लेना तो इस विधेयक को नाकारा बना देगा ।

एक अन्य सदस्य ने यह पूछा है कि इस विधि को बुद्धि जीवी वर्ग पर क्यों लागू किया जाए जो कि देश की जनसंख्या का २० प्रतिशत है । मेरे विचारानुसार तो बुद्धि जीवी वर्ग के लिए भी इस विधि की अत्यन्त आवश्यकता है । हम नहीं चाहते कि बुद्धि जीवी लोगो और अन्य लोगों म कोई भेद भाव उत्पन्न किया जाए । हमारे देश में पहले ही अनेक वर्ग बने हुए हैं, अतः और अधिक वर्ग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं । और फिर कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर बुद्धि जीवी बन सकता है । अतः हम व्यर्थ में ही भेद भाव उत्पन्न नहीं करना चाहते, और विशेष कर श्री एन० सी० चटर्जी जानते हैं कि इस भेदभाव और वर्गवाद से देश को कितनी हानि उठानी पड़ी है । अतः अपने माननीय मित्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोड): सरदार हुक्म सिंह जी सिखों के अधिकारों के सम्बंध में बोल रहे थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या खण्ड २९ (२) सिखों के विशेष अधिकारों की रक्षा न करेगा ।

श्री पाटस्कर: खण्ड २९ (२) एक विवादास्पद विषय है, इसीलिए तो मैंने इस मामले को अभी उठा रखने का प्रयत्न किया है ।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल--पूर्व व जिला मुरादाबाद उत्तर पूर्व): मैं आपकी इजाज़त से विधि मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । अभी विधि मंत्री जी ने फरमाया कि यह जो विधेयक हम पास करने जा रहे हैं, यह सब हिन्दुओं पर लागू होगा, केवल उन पर लागू नहीं होगा जो कि पुराने कस्टम्स् रीति रिवाजों से बंने हुए हैं.

श्री पाटस्कर: मैंने ऐसा नहीं कहा । यह ठीक नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन: जौनसार-बावर के इलाके में या हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पुराने कस्टम के नाम पर अब भी बहुपतित्व की प्रथा है, पांच, सात पतियों की एक ही पत्नी होती है । तो क्या इस कानून के बन जाने के बाद यह प्रथा चालू रहेगी या समाप्त हो जायेगी मैं बताना चाहता हूं कि वह ट्राइबल एरिया नहीं है, न वे शेडयूल्ड कास्टक या शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही हैं ।

श्री पाटस्कर : जिस वक्त क्लाज ३ आयेगा उस वक्त मैं इसका जवाब दूंगा, आप जरा सब्र रखिये । जैसे और लोग अपना दिमाग बिगाड़ रहे हैं वैसे आप अपने दिमाग को मत बिगाड़िये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या १, ३७, १२७, २११ और २७८ सभा के सम्मुख मत के लिए रखता हूं । ये सभी संशोधन यही कहते हैं कि पृष्ठ २ में ११ से १५ तक की पंक्तियों को निकाल दिया जाए । मैं इन सभी संशोधनों को इकट्ठा ही प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री नन्दलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या २७७ मतदान के लिए रखता हूं । इसके दो भाग हैं । प्रथम भाग तो रुद्ध है, और दूसरा भाग, जो यह चाहता है कि उपखण्ड (३) निकाल दिया जाए, मैं मतदान के लिए सभा के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) : यह ग़लत छपा हुआ है । मेरा संशोधन तो यह है कि उपखण्ड (ख) निकाल दिया जाए, अर्थात् १३ तथा १४ पंक्तियों को निकाल दिया जाए और "आर्य समाज" के पश्चात् "बौद्ध, जैन अथवा सिख" ये शब्द जोड़ दिए जाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब तो यह भाग भी रुद्ध है । इस प्रकार से संशोधन संख्या २७७ भी समाप्त हुआ । अब मैं संशोधन संख्या २७५ मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एन० सी० चटर्जी का संशोधन संख्या २७६ मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक ही संशोधन संख्या २७९ रह गया है । अब मैं इसे मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ से ८

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड ३ से ८ पर एक ही समय चर्चा होगी । मुझे संशोधनों की एक सूची प्राप्त हुई है । मैं माननीय सदस्यों को एक-एक कर के बुलाऊंगा । यह क्रिया ३ बजे तक समाप्त हो जानी चाहिए । माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

श्री पाटस्कर : आध घन्टा ।

श्री एन० सी० चटर्जी ने संशोधन संख्या २८० २८५, २९१, २९५, २९७, २९९, ३०२, ३०७ और ३०९ प्रस्तुत किये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : खण्ड ५ में हिन्दू विवाह की शर्तें दी गई हैं। मैं चाहता हूं कि उसमें से छठी शर्त निकाल दी जाये। इसके अतिरिक्त मैंने एक संशोधन (संख्या ३०२) इस बात के लिए रखा है कि दहेज लेने के सम्बन्ध में एक नया उपखण्ड बढ़ा दिया जाये। एक और संशोधन (संख्या ३०६) मैंने खण्ड ७ के सम्बन्ध में रखा है जिस के द्वारा मेरा अभिप्राय यह है कि शब्द "रूढिगत रिवाजों" के स्थान पर शब्द "सांस्कारिक रिवाजों" कर दिया जाये। एक और संशोधन (संख्या ३०९) के द्वारा मैं चाहता हूं कि खण्ड ७ उपखण्ड (२) की भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाये। अभी उपखण्ड में यह है कि, "जहां इन रीति रिवाजों में सप्तपदी भी एक हो ....." के स्थान पर मैं चाहता हूं यह भाषा रखी जाये, "इन रीति रिवाजों में सप्तपदी भी एक होगी....."

दहेज की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए जो भी संशोधन रख गये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। लड़कियां बी० ए०, एम० ए० पास कर रही हैं फिर भी जब तक आप दस पंद्रह हज़ार रुपये का दहेज न दें आप उनका विवाह नहीं कर सकते हैं। एक साधारण आय वाले मनुष्य की यदि तीन चार लड़कियां हों तो पहली लड़की के विवाह में तो पारिवारिक घर बंधक रुक जाता है, दूसरी लड़की के विवाह में वह घर ही बिक जाता है, अन्य लड़कियों का विवाह कैसे होता है मेरी समझ में नहीं आता है। धर्म निरपेक्षताही आज का धर्म होता जा रहा है। आज हमें साहस से काम लेकर ऐसा कोई विधान बनाना चाहिये जिससे कि इस कुप्रथा का अन्त हो जाये।

मेरा एक संशोधन (संख्या २८०) क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में है कि सब राज्य सरकारों को प्रत्येक न्यायालय को इस विधान के प्रयोग की असाधारण शक्ति निहित करने का अधिकार न दिया जाये। मैं समझता हूं कि मूलक्षेत्राधिकार के लिए व्यवहार न्यायालय पर्याप्त है। मैं तो यहां तक चाहता हूं कि जिन न्यायाधीशों को यह काम सौंपा जाये उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाये। इंगलैण्ड में इस काम के लिए महिला दण्डाधिकारी रखी जाती हैं जिनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा ही अन्य देशों में भी है। उनको केवल विधि के दृष्टिकोण से ही इन मामलों पर विचार नहीं करना चाहिये और न उनको यह प्रयत्न करना चाहिये कि विवाह को जल्दी से जल्दी तोड़ दिया जाये। उनको इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि जहां तक हो सके परस्पर मेल करा दिया जाये।

एक और संशोधन (संख्या २९१) मैंने इस लिये दिया है कि विवाह की आयु को बढ़ा कर एक्कीस और अट्ठारह कर दिया जाये। जब तक लड़का एक्कीस वर्ष का न हो जाये उसे इस प्रकार का संविदा करने के लिए स्वाधीन एंव वयस्क नहीं समझा जा सकता है और विशेष कर जब आप विवाह को व्यवहार संविदा बनाने जा रहे हैं। इसलिये ऐसा करार करने के लिये मेरा सुझाव यह है कि लड़की की आयु कम से कम १८ वर्ष हो और लड़के की कम से कम २१ वर्ष।

इस विधेयक में सम्बन्ध की निषिद्ध पाठियों के सम्बन्ध में एक परिच्छेद है परन्तु सारे उपबन्ध बनाने के बाद कहा गया है "अलावा उस स्थिति के जबकि दोनों के रीति रिवाज उन दोनों के परस्पर

[श्री एन० सी० चटर्जी]

विवाह की अनुज्ञा न देते हों"। इस प्रकार जो भी उपबंध बनाये गये हैं वह सब बेकार हो जायेंगे । क्योंकि प्रत्येक परिवार कहेगा "हमारे परिवार का यही रिवाज है" इस लिए यदि आप कोई विधान बना रहे हैं तो जितना चाहिये उसे प्रगतिशील बनाइये परन्तु जब एक बार बना दीजिये तो उस पर दृढ रहिये ।

सप्तपदी सनातन से चली आ रही प्रथा है । बहुत से व्यक्ति इसे आदर की दृष्टि से देखते हैं और इसे बहुत ही पवित्र समझते हैं । उनका दृढ़ विश्वास है कि बिना सप्तपदी के विवाह सम्पन्न हो ही नहीं सकता । उनके उद्गारों का आदर करके हमें भी ऐसा उपबन्ध बनाना चाहिये कि सप्तपदी आवश्यक समझी जायगी और उसके बिना विवाह पूर्ण नहीं समझा जायेगा ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि विवाह की मान्यता का निर्णय इस बात पर किया जावे कि दहेज दिया गया है या नहीं । मैं यह मानता हूं कि दहेज हमारे देश की सबसे बड़ी कुप्रथा है और इसका अन्त करने के लिए कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये परन्तु विवाह की मान्यता को दहेज के दिए या न दिये जाने पर निर्भर करने के ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिन पर हम नियंत्रण नहीं कर पायेंगे । मान लीजिये कि आज कोई विवाह होता है और तमाम प्रयत्नों के बाद भी दहेज निश्चित हो जाता है । विवाह शान्ति पूर्वक सम्पन्न हो जाता है । दोनों पक्षों में कोई मनमुटाव भी नहीं होता है । तीस वर्ष बीत जाने पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके माता पिता का देहान्त हो जाता है । उस समय सम्पत्ति के उत्तराधिकारी का प्रश्न उठने पर कोई अन्य व्यक्ति कहता है कि विवाह मान्य नहीं था क्योंकि दहेज दिया गया था । इस उपबंध के बनाने का यह अत्यन्त अवांछनीय परिणाम होगा । दहेज की कुप्रथा का अन्त करने के लिए चाहे जो भी कड़ा से कड़ा दण्ड रखें परन्तु दहेज के देने या न देने को विवाह की मान्यता की एक शर्त बनाना उचित नहीं है । इसके लिए मैं श्री यू० एस० दुबे के संशोधन (संख्या ८६) को स्वीकार करने की सिफ़ारिश करता हूं जिसके द्वारा वह एक खण्ड २८ क बढ़ाना चाहते हैं और जो दहेज दिये जाने पर प्रतिबंध लगाता है ।

जहां तक विवाह की आयु का सम्बन्ध है, इसका निर्णय केवल इस बात के आधार पर किया जाना चाहिये कि दोनों पक्ष संभोग करने की क्षमता रखते हों । प्रश्न केवल इतना ही है कि क्या हमारे देश में, १८ वर्ष के लड़के तथा १५ वर्ष की लड़की में संभोग करने की क्षमता आ जाती है । निसन्देह उनमें यह क्षमता आ जाती है । यह और प्रश्न है कि १८ और १५ वर्ष में उन्हें विवाह करना चाहिये या नहीं परन्तु न्यूनतम विवाह आयु निर्धारित करने के लिए एक मात्र यही बात देखने की है कि उनमें संभोग क्षमता आ जाती है या नहीं । अन्यथा बहुत सी जटिलतायें उत्पन्न हो सकती हैं हो सकता है दोनों में प्रेम हो जाये । ऐसी अवस्था में उनको विवाह करने से रोकने के और भी अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं । विवाह कम आयु में हो या अधिक आयु में, विवाह का दायित्व समझने की क्षमता जब तक न आ जाये तब तक विवाह होना चाहिये या नहीं यह सारे प्रश्न ऐसे हैं जो

सामाजिक अंदोलन का विषय हो सकते हैं, परन्तु इनके आधार पर हम न्यूनतम विवाह-आयु निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं विवाह-आयु के बढ़ाये जाने का विरोध करता हूं।

जहां तक सप्तपदी का सम्बन्ध है मैं खण्ड ७ का समर्थन करता हूं क्योंकि जो लोग सप्तपदी को नहीं मानते हैं उनको इसके लिए बाध्य करना और यह कहना कि उनका विवाह उस समय तक पूरा नहीं समझा जायेगा जब तक कि सातवां फेरा न पड़ जाये मेरे विचार से उचित नहीं है।

दहेज का जहां तक सम्बन्ध है मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि सरकार का पहले से वादा चला आता है कि वह दहेज को रोकने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करेगी। परन्तु सरकार ने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया है। इसलिए या तो मंत्री महोदय एक निश्चित तिथि तक उस विधेयक को उपस्थित करके अपना वचन पूरा करें या दहेज लेने या देने को अपराध घोषित करने के लिये श्री यू० एस० दुबे का या अन्य कोई संशोधन स्वीकार करें, या स्वयं कोई संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री डाभी : मैं संशोधन संख्या ३, २८ तथा २९ को प्रस्तुत करता हूं। संख्या ३ से मैं चाहता हूं कि लड़के की विवाह आयु १८ से २० वर्ष कर दी जाये। दूसरे (संख्या २८) से मैं चाहता हूं कि वर की विवाह आयु १८ से २१ वर्ष कर दी जाए और तीसरे (संख्या २९) से मैं चाहता हूं कि वधु कि विवाह-आयु १५ से १६ वर्ष कर दी जाये। मेरा प्रश्न बहुत ही साधारण है। क्या १८ वर्ष का लड़का इतनी क्षमता रखता है कि पिता का धर्म पूरा कर सके या १५ वर्ष की लड़की इतनी क्षमता रखती है कि मातृत्व का भार वहन कर सके और बच्चों का पालन पोषण कर सके? यदि ऐसा नहीं है तो विवाह-आयु अवश्य बढ़ाई जानी चाहिये।

हमारे पूर्वजों ने जैसा कि वेदों में कहा है कि विवाह के पूर्व लड़के की आयु २५ वर्ष और लड़की की कम से कम १६ वर्ष होनी चाहिये। इससे कम आयु में विवाह करने का परिणाम यह होगा कि सन्तान या तो मरी हुई होगी या अत्यन्त दुर्बल होगी।

इसके अतिरिक्त हमारे देश की जनसंख्या बहुत द्रुत गति से बढ़ रही है। जनसंख्या की अभिवृद्धि को रोकने के लिए हम कितने ही उपाय सोचते हैं जैसे परिवार नियोजन, सन्तति निरोध के विभिन्न तरीके जो न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं वरन् जनता के आचरण भ्रष्ट करने वाले हैं। इसके लिए भी सबसे अच्छा उपाय यही है लड़के लड़कियों की विवाह-आयु ऊंची रखी जाये।

कुछ व्यक्तियों का कथन है कि विवाह आयु बढ़ाने से ही क्या होगा जब हम देखते हैं कि शारदा अधिनियम का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ है। परन्तु जनगणना प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि १९३६–४० की अवधि में जन्मसंख्या ७५३ लाख थी और १९४६–५० की अवधि में केवल ६८० लाख रह गई। जनगणना आयुक्त ने प्रतिवेदन के पृष्ठ १९० पर स्वयं कहा है कि बहुत सम्भव है कि जन्मसंख्या में जो कमी हुई है उसका कारण यह हो कि लड़कियों की विवाह-आयु कुछ ऊंची हो गई हो और यह परिणाम बाल विवाह निषेध अधिनियम

[श्री डाभी]

१९२९ का है । अखिल भारतीय जन-गणना, पत्र संख्या ७, के पृष्ठ २००–२०३ को यदि आप देखें तो आप पायेंगे कि १४ वर्ष तक की आयु की विवाहित लड़कियों की संख्या इस प्रकार थी :

	प्रति एक हज़ार पर	
	१९४१	१९५१
उत्तर प्रदेश	१०९	१०१
बिहार	१३८	१०१
आसाम	५०	३०
मद्रास	५०	२८
बम्बई	९७	६०
त्रावनकोर कोचीन	८	१·४

इसी प्रकार १४ वर्ष की आयु तक विवाह करने वाले पुरुषों की संख्या भी कम हुई है ।

दहेज सम्बन्धी खण्ड में मैं एक संशोधन करना चाहता हूं जिसके लिए मैंने एक संशोधन रखा है ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (ज़िला लखनऊ–मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री चटर्जी ने लड़की की एज के सम्बन्ध में जो कहा है वह १५ वर्ष न होकर १८ वर्ष होनी चाहिये, उस के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि १५ वर्ष की जो एज रखी गई है वह ठीक है, क्योंकि यह कोई खाली शहरों का सवाल नहीं है, न किसी एजुकेटेड लड़की का ही सवाल है । यह कानून देहातों में रहने वाले ग्राम-वासियों के लिये बनाया जा रहा है, हिन्दुस्तान भर के लिये बनाया जा रहा है, और ग्रामवासियों के लिये बहुत उन्नति की बात है अगर वह १५ वर्ष की एज म अपनी लड़कियों की शादी करनेलगें, क्योंकि आजकल वहां पर ८ और १० वर्ष की लड़कियों की शादी भी हुआ करती है ।

दूसरी बात यहां पर डावरी के सम्बन्ध में कहीं गई है । अगर डावरी का मतलब दहेज से है, तो दहेज को तो हम लोगों ने खुद ही बुरा कहा है । लेकिन हम दहेज उसको समझते हैं कम से कम मैं तो उसी को समझती हूं, जो कि हमारे यहां क़रारदाद किये जाते हैं, यानी क़रारदाद करके कि हम १५ हज़ार की शादी करेंगे, हम २० हज़ार की शादी करेंगे, तब शादी की जाती है, और अगर क्रारदाद का रुपया नहीं दिया गया तो उसके जो बुरे कान्सीक्वेन्सेज़ होते हैं, उनकी वजह से दहेज को बुरा समझा जाता है । परन्तु यदि एसा कहा जाय कि माता पिता अपनी लड़की की शादी करें और शादी करने के वक्त उसको कोई जेवर न दें, कोई कपड़ा न दें, न नानी दे, न दादी दे, तो ऐसी शादी कम से कम मुझे तो अच्छी नहीं मालूम होती है । इस किस्म की बात को मैं दहेज नहीं समझती हूं । यह बिल्कुल दहेज नहीं है कि अगर कोई अपनी लड़की की शादी करता है और माता-पिता उसको कपड़े अच्छे पहिनने को दें, जेवर दें या कपड़े दें । जिस की जितनी हैसियत होती है, वह उसके मुताबिक देता ही है । अगर इन्सान के पास पैसा हो तो आप किसी क़ानून के ज़रिये उस को देने से रोक नहीं सकते हैं । इसलिये मैं कहना चाहती हूँ कि यह ठीक है कि क़रारदाद नहीं होना चाहियें, जो क़रार-दाद होते हैं कि हमें इतने की शदी

चाहिये, या इतने की शादी चाहिये, शादी के पहले इतना रुपया रख दिया जाय, फ़लाने टीके में इतना रुपया आना चाहिये, वह नहीं होने चाहियें। परन्तु माता को अख्त्यार है, पिता को अख्त्यार है, नानी को अख्त्यार है, दादी को अख्त्यार है कि अगर वह अपनी पुत्री, नवासी या पोती को प्रेम से देना चाहे, तो वह दे सकती हैं। यदि अपनी मां, अपनी नानी, दादी और अपनी रिश्तेदार स्त्रियां ही लड़की को कुछ नहीं देंगी तो फिर किस को देंगी। मैं इस बात के बिलकुल खिलाफ हूं जैसा कि चटर्जी साहब ने कहा कि डावरी का सिस्टम ही उड़ा देना चाहिये। मेरी राय तो यह है क्योंकि मैं पुरानी सभ्यता की पली हुई स्त्री हूं और मैं नहीं समझती हूं कि अगर किसी लड़की की शादी की जाय तो शादी के समय उसको बिलकुल जोगन बना कर पिता के घर से पति क घर भेजा जाय, न उसके पास कपड़ा है, न जेवर है और न बर्तन हैं। इस प्रकार से लड़की को पति के घर भेजने से क्या अच्छा लगेगा। शादी तो एक खुशी की चीज़ होती है, इस तरह से पति के घर जाने से उस को क्या खुशी होगी? और उस घर में क्या खुशी होगी जिस में कि इस तरह की लड़की जायगी?

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय जो कुछ आपके कानून में है कि १५ वर्ष की लड़की की शादी हो और २१ बरस के लड़के की शादी हो, इसको मैं बिलकुल ठीक समझती हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): इस क़ानुन में तो १८ साल हैं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू: मैं २१ वर्ष चाहती हूं क्योंकि १८ वर्ष लड़के के लिये ज़रा कम है क्योंकि उसको तालीम भी हासिल करनी पड़ती है, और १८ वर्ष की उम्र तालीम हासिल करने के लिये कम है, इतने अर्से में वह कम्प्लीट नहीं हो सकती है, इसलिये अगर आप लड़के की उम्र थोड़ी बढ़ा भी दें तो कोई बुराई नहीं है। अगर लड़के लड़की की उम्र में पांच वर्ष का भी फर्क होगा तो कोई अनुचित बात नहीं होगी।

इसलिये मैं समझती हूं कि जो इस बिल में रखा गया है यह उचित है। मुझे आशा है कि मेरे सुझावों पर विचार किया जायगा।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन-दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन बातों पर ज़ोर देना चाहता हूं। उनमें से एक का सम्बन्ध उम्र से है। जो लोग यह चाहते हैं कि लड़कियों की उम्र १८ वर्ष की हो और लड़कों की उम्र २१ बरस हो, या तो वे हिन्दुस्तान की दशा और परिस्थितियों को नहीं जानते हैं या जान बूझ कर ऐसा कानून पास कराना चाहते हैं जो लागू ही न हो सके। इस प्रकार के कानून का तो परिणाम यही होगा कि लोग पुलिस की ज़्यादती से और मुकदमे चलाने वालों की ज़्यादती से तबाह हो जायेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में तेरह, चोदह और पंद्रह बरस की उम्र में ही लड़के लड़कियों की शादी हो जाया करती है। अगर उस उम्र को यकायक अठारह और इक्कीस बरस तक ले जायें तो क्या होगा? हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि इस प्रकार का जो भी कानून बनेगा, उसको एक दिन या एक

[पंडित डी० एन० तिवारी]

बरस में मनवाया नहीं जा सकता है। इस बिषय में हमें जरा धीरे धीरे ही चलने का प्रयत्न करना चाहिये। इस कानून के द्वारा तो पुलिस के हाथ में एक हैंडल मिल जायगा कि वह लोगों को तंग और परेशान करे। मेरा निवेदन है कि देश के हालात को जानते हुए—पार्लियामेंट के मेम्बरों के हालात को जानते हुए नहीं—आप इस कानून को पास करें और इस सम्बन्ध में उन लोगों को मद्दे-नज़र रखें जो मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नहीं जानते कि अठारह या बीस बरस की उम्र से पहले शादी करने से क्या हानि होती है।

एक बहुत आवश्यक बात इस बिल में नहीं है, जो कि होनी चाहिये थी। वह है डिस्पैरिटी आफ़ एजज़ इन मैरिज पर प्रतिबन्ध इस बात की एक निर्धारित सीमा होनी चाहिये कि उम्र में कितना अन्तर हो। आप देखेंगे कि हमारे देश मे अक्सर अनमेल विवाह होते हैं—१६ बरस की लड़की का ६०—७० बरस के बूढ़ से विवाह हो जाया करता है। मैं मानता हूं कि जो बूढ़े लोग हैं, वह रिज़ेन्ट करेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि न्याय की दृष्टि से वे ऐसा नहीं करेंगे और न ही उनको ऐसा करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कोई माननीय सदस्य कहते भी हैं जो इस प्रकार के विवाह का विचार करते हैं ?

पंडित डी० एन० तिवारी : मेरा ख्याल है कि ऐसे अनमेल विवाहों को रोकना ज़रूरी है। हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि डायवोर्स सम्बन्धी धारा और दूसरी फालतू धाराओं की ज़रूरत ही न पड़े। प्रिवैन्शन इज़ बैटर दैन क्योर। लड़के और लड़की की उम्र में ऐसा अन्तर रखा जाय कि हमारे देश में विधवायें कम हों। ऐसे लड़के लड़कियों की शादी हो जि में भिन्नता कम हो और डाइवर्स की ज़रूरत ही न पड़े। मैंने पंद्रह बरस की सीमा निर्धारित की है। अगर लड़की १६-१७ साल की है, तो ३२ साल से ज्यादा उम्र का पुरूष उससे शादी नहीं कर सकता है। अगर ४० बरस की लड़की है, तो उससे ५५ बरस का मरद शादी कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सीमा क्या है ?

पंडित डी० एन० तिवारी : लिमिटेशन।

तीसरी बात यह है कि क्लाज़ ८ के सब-क्लाज़ (२) को निकाल देना चाहिये हमारे यहां हिन्दुओं में जो मैरिज होती चली आ रही हैं, उनको रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और न आज पड़ती है। लेकिन इस बिल में एक धारा रख दी गई है कि अगर प्रान्तीय सरकार चाहें, तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी हो सकता है। यह बात गलत है। जो सब-क्लाज़ (१) है, वह आप्शनल है। उसको अगर आप चाहें तो रख लीजिये लेकिन सब-क्लाज़ (२) हिन्दुस्तान की आबो-हवा के लायक् नहीं है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान के देहात में ऐसे लोग रहते हैं, जो गरीब हैं जो रजिस्ट्रेशन-फीस के दो, चार आठ आने भी देने में असमर्थ हैं। इस कारण बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन करवाने ही नहीं जायेंगे और उन पर मुकदमे चलने लगेंगे। उन

लोगों के हालात देखते हुए और यह भी देखते हुए कि आज तक हिन्दुस्तान में ऐसा एक भी केस नहीं आया है, जिसमें किसी ने यह कहा हो कि मैं ने अमुक से शादी नहीं की ।

एक माननीय सदस्य : आया है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : किसी ने सपना देखा होगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : हज़ारों शादियां हिन्दू पद्धति के अनुसार होती रहती हैं । उनमें डिज़र्शन किया गया होगा, छोड़ दिया होगा, लेकिन कभी किसी ने कोर्ट में जा कर प्लीड नहीं किया होगा कि मैं ने शादी नहीं की । तो फिर इस धारा की क्या ज़रूरत है ? किस मंशा की पूर्ति के लिये यह धारा जोड़ी जा रही है ?

हिन्दू पद्धति के विवाह में प्रूफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है । सब जानते हैं कि इस प्रकार के मूकदमे हमारे यहां नहीं होते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : माननीय सदस्य पुरानी शादियों का ज़िक्र कर रहे हैं कि किसी प्रूफ़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गांव वाले सब जानते हैं और कोई इन्कार नहीं करता है कि मैंने शादी नहीं की । अब गांव में कौन शादी कराने जायगा ?

पंडित डी० एन० तिवारी : अब भी गांव में ही शादियां होंगी । सरदार हुकम सिंह की शादी चाहे शहर में हुई हों ।

सरदार हुकम सिंह : मेरी शादी तो क़ब्र में होगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं व्यक्तिगत रूप से सरदार हुकम सिंह को नहीं कह रहा था । उनकी तरह पढ़े लिखे लोगों की शादी चाहे शहरों में हो सकती है, लेकिन ग़रीबों की शादी, देहात के रहने वालों की शादी, कभी शहरों में नहीं होती है ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर-दक्षिण) : माननीय सदस्य प्रवर समिति में थे और उनको इस पर चर्चा करने का वहां पूर्ण अवसर मिला था । यदि वह किसी बात से असन्तुष्ट थे तो उनको एक समिति टिप्पणी देनी चाहिये थी । वह उन्होंने दी नहीं थी । तो क्या उनके लिये अब ऐसा कर समझ लेना उचित है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं सिलेक्ट कमेटी में ज़रूर था और उसकी डिस्कशन्ज़ में मैं ने क्या कहा और किस ने क्या कहा, यह कहने की इजाज़त नहीं है और मैं कहना भी नहीं चाहता हूं । मैं इस क्लाज़ के विरोध में वहां भी था और यहां भी हूं । मिनट आफ़ डिसेन्ट मैं ने इस लिये नहीं दिया कि अगर सब बातों के विषय में मिनट आफ़ डिसेन्ट दिया जाय, तो एक बड़ा पोथा हो जायगा । इस लिये यह कहना गलत होगा कि चूंकि मैं ने मिनट आफ़ डिसेन्ट नहीं दिया, इस लिये मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता हूं । उपाध्यक्ष महोदय की इस बारे में रूलिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा माननीय सदस्य अब समाप्त करें । अन्य सदस्यों को भी बोलना है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं समाप्त कर रहा हूं ।

[पंडित डी० एन० तिवारी]

मैं ने इस समय तीन बातों के बारे में कहा है : एक यह कि उम्र को न बढ़ाया जाय, दूसरी यह कि एक क्लाज़ जोड़ दिया जाय जिसके अनुसार उम्र में भिन्नता पंद्रह से अधिक न हो और तीसरी यह कि क्लाज़ ८ के सब-क्लाज़ (२) को हटा दिया जाय, नहीं तो लोगों को बड़ी दिक्कत होगी ।

श्री एन० राचय्या (मैसूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : यह विधेयक स्वतंत्रता प्राप्ति से तुरंत पश्चात ही प्रस्तुत होना चाहिए था क्योंकि सामाजिक असमानता होने के कारण देश की प्रगति में बहुत बाधा पहुंचती है ।

सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं कि कांग्रेस दल में इस विधेयक का इतना विरोध होने पर भी उन्होंने इस विधेयक को पारित कराने का बीड़ा उठाया क्योंकि वह गांधीजी के आदर्शों को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करना चाहते थे । मैंने सभा के उन सभी सदस्यों के भाषणों को सुना जिन्होंने इस विधेयक के उपबन्धों का विरोध किया है । तथा यह बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है ये सभी रूढ़िवादी वर्ग के सदस्य, भारत की निर्धन जनता के प्रतिनिधि बनकर यहां आये हैं तथा वह इस सभा में भी जाति भेद भाव को बनाये रखना चाहते हैं ।

जब एक जाति के विवाह दूसरी जातियों में होने लगेंगें तो जातियां स्वयं ही समाप्त हो जायेंगी । विरोध करने वाले सदस्यों ने कई धर्मशास्त्रों का तथा मनु के धर्मशास्त्रों का निदेश किया है । परन्तु क्या हिन्दू धर्म मनु से पूर्व नहीं था ? क्योंकि हिन्दू धर्म था इसीलिये उसने धर्म शास्त्र की रचना की । हम जानते हैं कि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं परन्तु साथ ही साथ कुछ बुरी बातें भी हैं तथा उनको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए । मनु के पश्चात ही हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी क्योंकि उन्होंने हिन्दुओं में इतने भेदभाव उत्पन्न कर दिये थे कि जिनके परिणाम स्वरूप ही हम परतंत्र हो गये । अब श्री नेहरू हमें संगठित कर रहे हैं जिससे कि कम से कम भविष्य में हम शांतिपूर्वक तथा स्वतंत्र रह सकें और केवल एक हिन्दू संहिता से शासित हों ।

यह एक बहुत ही सरल सा विधेयक है जबकि ईसाई और मुसलमान हिन्दुओं को अपने धर्म में ले रहे हैं तो क्या किसी हिन्दू के लिये यह लज्जा की बात नहीं है कि वह हिन्दुओं में भेदभाव उत्पन्न करे । हम लोकतंत्र के निवासी हैं तथा लोकतंत्र का दूसरा अर्थ सामाजिक समानता ही होता है । सामाजिक समानता तभी आ सकती है जब हिन्दुओं तथा अन्य वर्गों में समानता हो । संगठन ही शक्ति है तथा संगठन आपसी प्रेम का परिणाम होता है इसलिए सभी हिन्दुओं को संगठित करने के लिये उन्हें एक संहिता के नियमों का पालन करना चाहिए ।

अब मैं अपने संशोधन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जो विवाह की आयु कम करने के सम्बन्ध में है । मुझे वर की आयु बढ़ जाने का कोई विरोध नहीं है परन्तु कन्या की आयु बढ़ा देने के कारण उन निर्धन व्यक्तियों को जिनको कई लड़कियों के विवाह करने होते हैं बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि शारदा अधिनियम लागू रहने पर भी हमारे देश में बाल-विवाह बहुत प्रचलित रहे हैं ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रायः सभी देशों ने अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ की है। मिश्र में कर्नल नासिर ने १९५१ में सत्ता प्राप्त की और आज प्रत्येक बालक और बालिका अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर रही है। परन्तु भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति को आठ वर्ष होने आये पर तो भी यहां अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ नहीं की गई है।

श्री डाभी लड़कियों की आयु १५ वर्ष के स्थान पर १६ वर्ष रखना चाहते हैं। उनको तो चिंता की कोई आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं तथा अपनी लड़कियों को २५ तथा ३० वर्ष तक शिक्षा दिला सकते हैं परन्तु हमारे देश में निर्धन व्यक्ति अपनी लड़कियों का विवाह, उनके वयस्क होने पर ही कर देना चाहते हैं क्योंकि वह अपनी थोड़ी आय से बड़े परिवार का भरणपोषण करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिये अनिवार्य शिक्षा लागू हो जाने के पश्चात् ही आयु सीमा को बढ़ाना उपयुक्त होगा। यदि आज भी अनिवार्य शिक्षा को प्रारंभ किया जाये तब भी सब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में लगभग दस अथवा पन्द्रह वर्ष लगेंगे तथा इसी कारण मेरा विचार है कि आयु पन्द्रह वर्ष के स्थान पर तेरह वर्ष कर दी जाये जिससे निर्धन व्यक्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इसके पश्चात् श्री एन० राचय्या अपने संशोधन संख्या १९४ तथा ३०१ प्रस्तुत किये।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा): मेरे विचार से हमारे पूर्वजों ने वास्तविकता के आधार पर ही विवाह की कम आयु रखी थी क्योंकि हमारे देश के ८० प्रतिशत अशिक्षित तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी माता पिता व्यस्क पुत्री को भारस्वरूप मानते हैं और इसीलिये लड़कियों की विवाह आयु को बढ़ा कर हम उन्हें विधि का उल्लंघन करने को बाध्य करते हैं। यूरोप में भी बाल विवाह प्रचलित थे जैसा कि रोमियो जूलियट नाटक से पता चलता है। जूलियट की माता ने उसमें कहा है कि तुम्हारी आयु की १४ वर्ष की लड़कियां अब मातायें हैं। उष्ण प्रदेशों में लड़कियां शीघ्र व्यस्क हो जाती हैं तथा पन्द्रह वर्ष की लड़की को उत्तरदायित्व सम्हालने योग्य न समझना ठीक नहीं है। कवि मानव मनोवृत्तियों को अधिक समझते हैं तथा महाकवि कालिदास ने लिखा है कि :

स्त्रीनाभाशिक्षित पटुत्व ममानिषीषु
संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्मा
प्रागन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यजात अन्यै
दिजैः परभूतः खलु पोषयत्ति॥

अर्थात् कोयल भी जब इतनी चतुर होती है तब स्त्रियों की चतुरता के समान तो कोई हो ही नहीं सकता, और आयु का प्रश्न समाप्त हो जाता है। लड़कों के लिये अठारह वर्ष की आयु ठीक है।

मेरे विचार से खण्ड ५ (२) में से शब्द "जड़ मूर्ख अथवा" हटा दिये जायें। जब विवाह का प्रश्न सामने आता है तब प्रत्येक व्यक्ति भावुक हो उठता है इसलिये उसको जड़ मूर्ख अथवा अयोग्य कहना ठीक नहीं है।

खण्ड ६ में मैं चाहता हूं कि अभिभावकों की सूची सगे भाई तक ही सीमित रहनी चाहिए।

इसके पश्चात् पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने संशोधन संख्या १४८, १५०, १५१, १५२, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, तथा २२९ प्रस्तुत किये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब क्लाज़ नम्बर ४ पर मैंने अमेंडमेंट नम्बर १४८ दिया है। इसके अलावा क्लाज़ नम्बर ५ पर मैंने १५४ और १५५ नम्बर के अमेंडमेंट्स दिये हैं। अपने अमेंडमेंट नम्बर १५१ में १८ वर्ष की जगह २१ वर्ष करवाना चाहा है। मैं अपना अमेंडमेंट नम्बर १५३ अब नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी राय में पन्द्रह साल की उम्र फिलहाल काफी है।

अपने अमेंडमेंट्स नम्बर १५४ और १५५ जो मैंने मूव किये हैं उनके बारे में मुझे यह अर्ज़ करना है कि क्लाज़ ५ में पार्ट (४) में जो शब्द हैं :

> "जब तक कि दोनों को प्रभावित करने वाले रिवाज तथा रूढ़ियां दोनों के परस्पर विवाह की अनुमति न दें।"

मैं चाहता हूं कि यह शब्द निकाल दिये जायं। किसी कस्टम या यूसेज की इजाजत न दी जाय। इसी तरह से मैंने आगे चल कर अपने अमेंडमेंट नम्बर १५६ के द्वारा गार्जियंस की मेरिज के वास्ते जो कंसैंट लेना जरूरी थी उसमें साथ में शादी के लिये ब्राइड की कंसैंट लेना भी ज़रूरी करार दिया है। पन्द्रह वर्ष की लड़की मैं समझता हूं काफ़ी समझदार होती है और वह समझ सकती है और अपनी शादी क बारे में ठीक राय और माकूल राय दे सकती है और इसी वास्ते गार्जियंस के साथ साथ ब्राइड की कंसैंट भी लेने को कहा है।

उसका लिहाज़ किस कदर हो, यह दूसरा सवाल है, लेकिन उसकी मर्ज़ी जरूर पूछी जानी चाहिये।

इसके अलावा मैं ने कई एक नये मोशन्ज़ का भी नोटिस दिया हुआ है जो कि क्लाज़ ७ (ए) और ७ (बी) के मुताल्लिक हैं। मैं ने नोटिस दिया हुआ है कि इन क्लाजेज़ को भी इसके साथ देखा जाए। इसी तरह से मैं ने एक ऐमेंडमेंट संख्या २२९ का नोटिस दिया है, जिसके अन्दर क्लाजेज़ ७ (ए) और ७ (बी) हैं।

मैं अब उन के बारे में मुखतसर अर्ज़ करना चाहता हूं। जहां तक कस्टम का सवाल है, मैं अर्ज़ कर चुका हूं। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं आनरेबुल लॉ मिनिस्टर साहब को कि कोडिफ़िकेशन का सारा बेसिस हो यह था कि जहां तक हो सके इन कस्टम्स को एलिमिनेट कर दिया जाय, और सारे देश के वास्ते एक युनिफार्म लॉ, युनिफार्म रूल बनाया जाय। जो कास्ट सिस्टम है उस को आप बुरी नज़र से देखते हैं, इसी तरह से आप प्राविंशियलिज्म को भी बुरी निगाह से देखते है, यह चीज़ें सारे देश में अलहदगी पैदा करती हैं, और इनकी वजह से जो मुल्क के अन्दर वन लॉ और वन यूनिट की टेन्डेन्सी है वह खत्म हो जाती है। अभी थोड़ा अर्सा हुआ आपने एक और बिल पास किय, जिसको आप कहते हैं कि यूनिफार्म सिविल कोड के बैसिस पर है। उस में हमने यह पास किया था कि जहां तक कस्टम और यूसेज का सवाल उन दोनों (IV व V दफाह) के बारे में पुरानी शादियों को जायज़ माना जायेगा, उन पर हम हाथ नहीं डाल सकत, लेकिन आइन्दा क वास्ते यह कर दिया कि कस्टम को सपिंडाशिप में आने की

इजाज़त नहीं दी जायगी। चन्द महीने हुए जब यह डिसीजन यहां पर लिया और आज गवर्नमेंट इस हाऊस के सामने ऐसा बिल पेश करती है जो कि उस डिसीज़न के खिलाफ है। मेरे ख्याल से यह क़तई दुरुस्त नहीं है। इस के अलावा जो कोडिफिकेशन का असली मक़सद था, अगर आप हिन्दू कोड बिल जो पुरानी कार्यवाही थी उसको देखेंगे तो पायेंगे कि कई दिनों तक हम ने इस मामले पर गौर किया और तब इस नतीजे पर पहुंचे कि कोडिफिकेशन बिकुल बेमानी बात होगी अगर आप उसके अन्दर सारे हिन्दुओं को एक जुज़ में नहीं लाना चाहते। अगर यह बात दुरुस्त नहीं है तो आखिर क्या ज़रूरत थी कोडिफिकेशन की ? हर एक प्राविंस के आदमी अपने अपने यहां अलग अलग लॉ बनायेंगे, हर एक बिरादरी अपना लॉ रखेगी और हर एक बिरादरी अपना अलग अलग कस्टम करेगी। अगर डाइवोर्स का कस्टम है तो डाइवोर्स रहेगा अगर शादी का कोई कस्टम है तो वह भी रहेगा, इस तरह का कानून हो सकता है। मैं यहां पर उनके बरखिलाफ नहीं हूं जो कि डाइवोर्स के बरखिलाफ हैं, मैं अपनी गवर्नमेन्ट के व्यू के बरखिलाफ हूं जो कि सारे बिल को सैबोटेज करना चाहती है। मैं इस बिल के अन्दर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखता जो किसी के खिलाफ जाती हो, लेकिन अगर आप इस जगह किसी कस्टम को मानते हैं तो आइन्दा और भी कस्टम आप के सामने आयेंगे,, इन्हेरिटेन्स के लिये कहा जायेगा कि यह हमारा कस्टम है, फिर दूसरी बात आ जायेगी, तीसरी बात आ जायेगी, उसमें लोग ज़ोर दे कर यह कहेंगे कि हमारे लिये कस्टमरी लॉ अलाहदा कर दिया जाय, क्योंकि सब से ज्यादा झगड़ा प्रापर्टी के बारे में होता है। अगर आप कोडिफिकेशन करते हैं हिन्दू लॉ का तो कम से कम मोटा मोटी बातों में दखल देने की किसी को इजाज़त न दें, वरना कोडिफिकेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।

इस के बाद मैं यह अर्ज़ करता हूं कि कोई प्राविंशयलिज्म की वजह से नहीं कहता हूं, न मैं नार्थ इंडिया और साउथ इंडिया की वजह से कहता हूं। मेरी राय है कि जिन चीज़ों के बारे में अपर इंडिया के लोग कुछ रिश्तेदारियों को इतना खराब समझते हैं कि उन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जिन को इतने अर्से के तजुर्बे ने बतलाया है कि उनकी राय सही है, उनके बारे में साउथ इंडिया वालों को कुछ सैक्रिफ़ाइस करनी होगी। मैं यह अर्ज़ नहीं करना चाहता कि वहां के लोगों को अपने कस्टम अज़ीज़ नहीं हैं, कस्टम तो एक बहुत मीठा फल या ज़हर है, जो बचपन से हर एक शखस के साथ चलते आते हैं, उन से सभी को मुहब्बत होती ही है, इस लिये कस्टम को छोड़ने में ज़रूर दिक्कत होगी, लेकिन इसको जानते हुए भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि चाहे हम कहीं पर भी हों, जब तक हम कुछ न कुछ सैक्रिफ़ाइस आल इंडिया बेकिस पर नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई यूनिफ़ार्म लॉ नहीं बन सकेगा। मुझे अफ़सोस है कि मुझे यह कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपील करता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के लोग इस चीज़ के लिये एक दर्जे पर पहुंचें, एक अम्ब्रेला के नीचे हम आयें और जो चीज़ ऐसी है जो कि जेनेटिक

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के, हेरिडिटी और मेडिकल साईंस के खिलाफ है, उसको आपको छोड़ देना चाहिये । एजेज़ के बारे में अब झगड़ा नहीं रह गया है दूसरी चीज़ों में भी आप अपने उपर थोड़ा रिस्ट्रेंट करें और इस तरह की मैरेजेज़ जो होने लगी हैं, उनको बन्द कर दें, कम से कम आईंदा के लिये बन्द कर दें, । हिन्दुस्तान के फ़ायदे क लिहाज़ से, इन चीज़ों को मानने के लिये थोड़ी सी सैक्रिफाइस करें तो मुनासिब होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो कुछ कानून आपने बनाये हैं वह सब के सब खत्म हो जायेंगे ।

मैं थोड़ा सा एज के बारे में भी अर्ज़ करना चाहता हूं । लड़की के बारे में शारदा ऐक्ट में जहां उम्र लाज़िमी तौर से १४ वर्ष की रखी गई थी, लेकिन उस में को दूसरे की मर्ज़ी से और आप की इमदाद से हम ने उसे १५ वर्ष कर दिया था, और उसमें ज्यादा देर नहीं लगी थी, उस वक्त मैंने कहा था कि शारदा बिल में भी जो पैरिटी हमने रखी थी वह ऐट दि प्वाइंट ऑफ पिस्टल रखी थी, लेकिन उस ज़माने में हम इतना सिक्योर कर सके थे । लेकिन हम यहां पर इतना तो मानें कि लड़के की उम्र २० वर्ष कर दी जाय, १९ कर दी जाय । मैं तो असल में यदि चाहता था कि लड़के की उम्र २१ रखी जाय । मैं मानता हूं कि १८ वर्ष की उम्र में अच्छा बच्चा पैदा करने के लायक हो जाता है । मैं चाहता हूं कि जो लड़का औलाद पैदा करे उस की एज २० साल से कम नहीं होनी चाहिये । मैं तो यह फ़िज़िकल कंसिरेशन्स क मुताबिक अर्ज़ करना चाहता हूं कि १८ वर्ष के लड़के से बच्चा नहीं पैदा होना चाहिये । आप किसी जानवर को देखें, पौदों को देखें, इन्सानों को देखें, जब तक उम्र पक्की नहीं होती तब तक उस को ब्रीड करने की इजाज़त नहीं होती । जहां पर लड़की की उम्र शारदा एक्ट में १४ थी उस को हमने १५ कर दिया । मैं भी इसको मानता हूं, जैसा कि हमारे और बहुत से भाइयों ने बताया कि, अगर १५ साल में शादी होगी तो बच्चा होने के वक्त वह अपने आप १६ साल हो जायेगी । मैडिकल साइंस जो है वह यही बतलाती है कि १६ साल की उम्र जो है वह मदरहुड के वास्ते मुनासिब एज है । लेकिन अगर आप पैरिटी के लिहाज से देखें तो १४ साल की पैरिटी १९, १९ १/२ साल तक पहुंचती है । अगर आप १५ और १८ की पैरिटी रखेंगे तो उस से कोई फ़र्क़ पड़ने वाला नहीं है । लड़के और लड़की में कम से कम पांच वर्ष का फ़र्क़ उम्र में होना चाहिये लेकिन आप कुछ भी रखें मैं तो चाहता हूं कि यह मौक़ा आया है और अगर आप लड़के की उम्र में एक एक साल और बढ़ा दें, तो भी काफ़ी है । अगर आप को २० साल अखरता है तो कम से कम १९ साल तो कर दें । १९ साल कर देने से भी किसी हद्द तक काम चल जायेगा और बच्चों पर बड़ा फ़र्क़ पड़ेगा । कम से कम फ़िज़िकली हैल्दी बच्चे तो पैदा होंगे, इस तरह से हिन्दुस्तान के बच्चे मज़बूत होंगे और अच्छे सिटिज़ेन बनेंगे । मैं इस में नहीं जाना चाहता कि लड़कियों की शादी की क्या उम्र हो । कहीं पर १२ साल है, कहीं पर कुछ है । मुसलमानों और हिन्दुओं के

शास्त्रों में शादियों की कोई उम्र ही नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने न शास्त्र की परवाह की और न शरियत की परवाह की न ही शारदा ऐक्ट की परवाह की। हम ने वही उम्र क़ायम रखी जो हमें मुनासिब मालूम हुई। अंग्रेजों के यहां उम्र १२ वरस की थी शादियों की, हम ने उसका भी ख्याल नहीं किया। जब हम ने पहले इस तरह से किया तो इस के अन्दर भी जो कुछ अच्छी बात हो सकती है उस को हमें करना चाहिये।

जहां तक लड़की की रजामन्दी का सवाल है, मैं कोई भी शादी ऐसी नहीं चाहता, चाहे वह गांव में हो या गांव के बाहर हो, जिस में कि लड़की की रज़ामन्दी न हो। सारी उम्र उस को खाविन्द के साथ रहना होगा तो बड़ी ज्यादती होगी अगर उस से इस के बारे में न पूछा जाय। मैं इसे बहुत ज़रूरी समझता हूं, और लड़की को इस का हक़ होना चाहिये। उस के प्रिफ़रेन्स की ज़रूर क़द्र करनी चाहिये खसूसन उस लड़की के सम्बन्ध में जिस के मां बाप मौजूद न हों। सब से पहले तो उस लड़की की मर्ज़ी होनी चाहिये, उस के बाद अगर उस के गार्जियन भी उस को मानते हैं तो वेल ऐंड गुड, अगर नहीं चाहतें तो लड़की के प्रिफ़रेन्स को माना जाना चाहिये।

जहां तक गार्जियनशिप का सवाल है, मैं अर्ज़ करूंगा कि उसमें मुझ को थोड़ा सा एतराज है। जिस तरह से ग्रेड्स बने हैं, वह मुझे पसन्द नहीं है। नाना और नानी की तरह पैटर्नल अन्कल भी लड़की में इन्टरेस्टेड होता है। इस लिये उस को भी ऐसा दर्जा देन चाहिये। इस लिये मैंने १५७ नम्बर का अमेन्डमेन्ट दिया है। मैं इस में ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता।

अब मैं आपकी तवज्जह अपने अमेन्डमेन्ट २२९ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं, जिसके मुताबिक दो नये क्लाज़ेज़ ७ए और ७बी बढ़ा दिये गये हैं। इस हाउस में शिकायत की गई है और एक नये मेम्बर साहब तशरीफ़ लाये हैं, उन्होंने भी शिकायत की है कि मैरिज बिल में खाविन्द और बीबी के हकूक और फ़रायज़ का कोई ज़िक्र नहीं है। चुनांचि मैं ने इस बारे में कुछ कोशिश की है। मैं नहीं जानता कि में कहां तक सफल हुआ हूं। मैंने अपनी समझ के मुताबिक लिखने की कोशिश की है। इसमें पहले यह लिखा है :

विवाह सूत्र में बंधने वाले पक्ष साथियों की भांति साथ साथ रहेंगे और प्रत्येक दूसरे के सहवास का अधिकारी होगा।

इस बिल में "रेस्टीच्यूशन आफ़ कनज्यूगल राइटस एड जूडिशियल सैपरेशन" के बारे में एक चैप्टर रा है। उससे इस सब-क्लाज़ की मुताबिक़त होती है। उसके बाद यह लिखा है :

पत्नी को पति द्वारा भरण पोषण पाने का अधिकार होगा। इस बिल में एलिमन और मेनटेनेन्स के बारे में एक क्लाज़ मौजूद है। मेरे अमेंडमेंट का ताल्लुक भी उसी विषय से है। यह उसको काम्पलीमेंट करता है। फिर लिखा है कि :

पति और पत्नी दोनों को पूर्ण वैवाहिक सत्यसन्धता पारस्परिक आदर तथा एक दूसरे के प्रति सेवा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

श्री वेंकटरामन् : उसे लागू किस प्रकार किया जाये ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जो एन्फ़ोर्समेंट के लिये नहीं होती हैं । मैं ने इस लिये उनको दर्ज किया है, ताकि लोग समझ सकें कि हमारे फ़रायज़ क्या हैं । हमारे कांस्टीच्यूशन में बीस डायरेक्टिव प्रिन्सीपल्ज़ मौजूद हैं, उनको कौन एन्फ़ोर्स करेगा ?

एक माननीय सदस्य : सुप्रीम कोर्ट करेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह नहीं कर सकता है । दैट इज़ एन्टायर्ली रौंग । कुछ बातों को आपने खुद एन्फ़ोर्स किया है । आपने इस बिल के ज़रिये कानज्यूगल फ़ाइडेलिटी को एन्फ़ोर्स किया है । आपने यह प्राविज़न रखा है कि अगर पति पत्नी में कोई एडल्टरी के जुर्म का मुर्कितब होता है, तो उसको छोड़ा जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसके लिये कोई पूर्व वक्तिकता है ? क्या कोई भी ऐसा मामला जो केवल निदेशात्मक या परामर्शिक प्रकार का हो सम्मिलित किया गया है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कांस्टीच्यूशन ऐक्ट में किया हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के अतिरिक्त ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने इस बारे में सोचा नहीं है, वर्ना शायद मैं अर्ज़ कर सकता । फिर भी मेरा ख्याल है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिनको मानना लाज़िमी होता है, लेकिन जिनके इनफ़िजमेंट के लिय कोई सज़ा नहीं होती है । आपने इस बात को एन्फ़ोर्स किया है कि जो कनज्यूगल फ़ाइडेलिटी को तोड़ेगा, उसको डाइवोर्स हो जायगा और मैरिज वॉयड हो जायेगा--अगर एक दफ़ा भी गैरजगह सैक्सुअल इन्टर-कोर्स हुआ, तो जुडिशल सैपेरेशन हो जायगा । मैं ने तो सिर्फ़ यह लिखा है कि वे दोनों एक दूसरे की रैस्पेक्ट करें, जब कि आपने लिखा है कि अगर क्रुएल्टी होगी, दैन दे विल बि सैपेरेटेड प्रैक्टिकली । जो कुछ मैं ने लिखा है, वह सब आपके सारे बिल में पहले से ही माजूद है ।

इसके बाद मैं ने लिखा यह है :

दोनों संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक विवाह से उत्पन्न हुए बच्चों का पालन करने के अधिकार के लिये उत्तरदायी होंगे । हिन्दू शास्त्रों के मुताबिक शादी का एक मक़सद औलाद पैदा करना है । जो कुछ मैंने लिखा है, उसमें कोई रोंग बात है, तो उसको निकाल दिया जाय और अगर ज़रूरत हो, तो कुछ एड कर दिया जाय--मुझे कोई एतराज़ नहीं है । मेरा मक़सद तो सिर्फ यह है कि हर एक शख्स को मालूम होना चाहिये कि उसके फ़र्ज़ क्या हैं ।

मैं ने एक क्लाज़ ७वी "राइटस ऑफ़ प्रापर्टी" के बारे में भी रखा है । यहां पर बड़े ज़ोर-शोर से कहा गया है कि डाइवोर्स का क्या फ़ायदा है, जब तक कि औरतों को जायदाद में हिस्सा न मिले । कल आचार्य कृपालानी ने फ़रमाया कि औरतें डाइवोर्स के लिये चिल्लाती हैं, लेकिन डाइवोर्स में सब से ज्यादा नुक्सान उनका ही होगा मरद तो झट डाइवोर्स कर देंगे--औरतें

बेचारी क्या करेंगी और कर के कहाँ जायेंगी ? औरतें तो एक होम और बच्चे चाहती हैं। कल भी किसी ने कहा था कि जब तक औरतें फ़ाइनेन्शियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तब तक डाइवोस का कोई फ़ायदा नहीं है। सवाल यह है कि औरतें फ़ाइनेंन्शियली इंडिपेंडेंट किस तरह हों। वे दो तरह से हो सकती हैं। सिवाय लखनऊ की सदस्या के सब लोग डावरी को बहुत बुरा समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु उनको पति की सम्पत्ति में से भाग दिया जायेगा। जो स्त्री या पति विवाह करेगा उसे ससुर की मृत्यु होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक बच्चा, जो दुनिया में आता है, वह कौन से प्रापर्टी राइट्स ले कर आता है--सिवाय हिन्दू फ़ैमिली के बच्चे के ? जब तक बाप जिन्दा रहता है, तब तक बेटा इन्तज़ार करता है। हिन्दू आइडियल में बच्चे का जन्म और औरत की शादी यकसां समझी गई है--उनको एक ही लैवल पर रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह सुझाव दे रहा था कि यदि पुत्री को पिता की सम्पत्ति में भाग दिये जाने का निर्णय किया गया तो दहेज़ समाप्त हो जायेगा। परन्तु ऐसा होना तब तक संभव नहीं है जब कि ससुर की मृत्यु हो जाने पर वह कुछ छोड़ता नहीं है। पुत्र या पुत्रवधु सारी सम्पत्ति लेकर और उसे वसियत लिखने पर वाध्य कर। ऐसा अवस्था म जामाज कुछ नकद दिये जाने के लिये आग्रह करेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुझे और डर है, गरीवनबाज़ अपर इंडिया में मैरिज लड़की को कोई हक़ नहीं मिलता है। अगर यह शर्त ज़बर्दस्ती लाद दी गई कि लड़की को ज़रूर हिस्सा मिलना चाहिये, तो उसका नतीजा क्या होगा ? बात यह है कि बाप मरता है बेटों के आर्म्ज़ में। वे उससे बिल लिखवा लेंगे और बेटी को कुछ भी नहीं मिलेगा। डावरी बेशक बन्द कर दीजिये, लेकिन यह ज़रूर ख्याल रखिये कि औरतों को कुछ नहीं मिलेगा, बलिक उनकी शामत आ जायेगी। यह औरतों के लिये उतना मुफ़ीद नहीं है, जितना कि वह समझते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक औरतों की फाइनेन्शियल स्टैबिलिटी नहीं होगी, तब तक यह मसला हल नहीं होगा। और फिर हिन्दुस्तान में मरदों की भी क्या फाइनेन्शियल स्टैबिलिटी है ? जब मरदों की स्टैबिलिटी हो जायगी, तब औरत की भी हो जायगी। जनाब वाला मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि औरिजिनली यह आपकी प्रोपोज़ल थी, जिसको आज मैं ने यहां रखा है। आपका ख्याल था कि जब शादी हो, तो औरतों को खाविन्द की प्रापर्टी में हक मिल जाय। आईन्दा भी अगर खाविन्द किसी प्रापर्टी को सक्सीड करे, तो औरत भी सक्सीड करती जाय और वह खाविन्द की प्रापर्टी में को-पार्टनर हो।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका सुझाव यह है कि जैसे ही किसी लड़की का विवाह हो वह अपने पति की सम्पत्ति में भागीदार हो जाय।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां श्रीमान् यही मेरा निवेदन है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं इसके कान्सीक्वेन्सेज़ को अच्छी तरह से समझता हूं कि शायद इस की वजह से कुछ लोग शादी ही न करें--इस लिये कि अगर हमने शादी की तो हमारी बीवी हमारी जायदाद में हिस्सेदार बन जायगी इसीलिये मैं ने यह लिख दिया है कि अगर उनका कोई कन्टैक्ट है कि हम शादी के बाद जायदाद में हिस्सेदार नहीं होंगे, तो वह कन्ट्रेक्ट बाइंडिंग होगा। वह उन पर बाध्य होगा। कोई विपरीत करार न होने की अवस्था में, यह मान लिया जायेगा कि स्त्री आधी सम्पत्ति की अधिकारी है और यदि बाद को कोई और सम्पत्ति अर्जन की जाय तो स्पष्ट रूप से ऐसी कोई घोषणा न होने की दशा में यह अर्जन संयुक्त ही समझा जायेगा। इसी तरह से मैं ने यह भी लिखा है कि अगर बीवी के खानदान से कोई जायदाद मिले, तो उसमें खाविन्द का भी हिस्सा होगा। वे दोनों मुश्तर्का तौर पर जायदाद का इन्तजाम करेंगे, जब तक कि डाइवोर्स या जुडिशियल सैपरेशन न हो। उस सूरत में औरत को अख्तियार होगा कि वह अपनी जायदाद को अलग करा ले। इस प्राविज़न से बढ़ कर डाइवोर्स के लिये और कोई चैक नहीं हो सकता है। हर एक आदमी महसूस करेगा कि अगर उसने अपनी बीवी को डाइवोर्स किया तो, उसकी जायदाद का आधा हिस्सा उसके हाथ से चला जायगा। यहां पर मैं यह भी बता दूं कि मैं डाइवोर्स का अमल में लाया जाना बिलकुल नहीं चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि यहां पर डाइवोर्स का कानून होते हुए भी डाइवोर्स न हो और उसकी तरकीब यह है कि मरदों की जायदाद में औरतों का हक़ होगा, तो मरद डाइवोर्स करने से पहले दस दफ़ा सोचेंगे। यह बड़ी मुफ़ीद प्राविज़न है। इस वक्त तो इसका असर महसूस नहीं होता है, लेकिन जब सक्सेशन बिल हमारे सामने आयगा तब महसूस होगा और हमारे वेंकटरामन् साहब इसके बारे में सीरियसली सोचेंगे।

श्री राने : यह उत्तराधिकार विधेयक पर चर्चा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मैं ने जो कुछ लिखा है, न उस पर पहले गौर हुआ और न ही गौर होगा। मैं चाहता हूं कि राइट्स एंड आबलिगेशन्ज़ आफ़ प्रापर्टीज़ और राइट्स टु प्रापर्टी के मुताल्लिक सही तौर पर गौर किया जाय और देखा जाय कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

हमारे चटर्जी साहब ने फ़रमाया कि सप्तपदी सब पर रायज कर दी जाय। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों में "आनन्द कारज" होता है और इसी तरह आर्य समाजियों ने अपना एक अलग तरीका अपनाया हुआ है।

श्री बी० जी० देशपांडे : आर्य समाजियों में भी सप्तपदी होती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह तो किसी भी तरीक़े से हो सकती है, लेकिन आप तो उन लोगों को भी बांधना चाहते हैं, जिनमें सप्तपदी नहीं होती है आप अपनी चीज़ दूसरों पर लादना चाहते हैं, जो कि इस बिल में नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस बिल में सब को शामिल किया जाय, लेकिन सब का

सैरेमनीज़ रहने दी जायें । जिस तरह आप करना चाहते हैं, उस तरह काम नहीं चलेगा ।

पंजाब में डावरी होती है । शादी के वक्त लड़की को कपड़े, फ़रनीचर और बरतन वगैरह दिये जाते हैं, लेकिन आम तौर पर इस तरह शादी नहीं होती है कि पहले तय हो जाये कि पंद्रह हज़ार ले कर शादी करेंगे । हम लोगों में अभी तक इतनी बुराई नहीं आई है । जब आ जायगी, तो हम में भी चटर्जी साहब की तरह फ़ीलिंग्ज़ आ जायेंगी । मां-बाप लड़की को इन्हेरिटेंस का राइट नहीं देते हैं और न ही अपनी प्रापर्टी में से कुछ हिस्सा देते हैं—वे तो महज़ लड़की को कुछ चीजें जहेज़ की शक्ल में देते हैं, उसके पति को नहीं देते हैं । वह लड़की और लड़के के कबज़े में रहती है और उन्हीं के पास रह जाती है । वह मां-बाप के पास नहीं जाती । कई दफ़ा तो जो डावरी दी जाती है वह बक्सों में बन्द कर के दी जाती है और लोगों को बाद में पता लगता है कि क्या कुछ दिया गया है । लोग भी कई बार यह देखने की कोशिश नहीं करते कि उन्हें यह पता लगे कि क्या कुछ दिया गया है । डावरी उस वक्त खराब होती है जब कि पहले पैसे मांगे जायें और यह कहा जाय कि लड़की वाले इतना जहेज़ दें तो शादी हो सकती है । यह बहुत बुरी बात है। इसलिये इस के बारे में जो कुछ मेरी बहन, जो लखनऊ से आई हैं ने कहा है उससे मैं सहमत हूं । मैं यह नहीं चाहता कि कुछ भी न दिया जाय ।

इतना कह कर मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं । जितने भी यहां पर वकील लोग हैं उन सब को बोलने के लिये वक्त दिया जाता है । हम लोग पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, हमको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिये । अगर आप हमें बोलने का मौका नहीं देना चाहते तो हमें बता दीजिये ताकि हम बाहर जाकर बैठ जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताइये मैं क्या करूं ?

श्री विभूति मिश्र : हम सनातनी लोग हैं और हमें यह बिल बहुत हद तक एफ़ेक्ट करता है । जनरल डिसकशन में भी हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया । अगर अब भी बोलने की आज्ञा नहीं दी जानी है तो हमें बता दिया जाये ताकि हम बाहर चले जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ही मुझे बताइये कि क्या किया जाये ? क्या उन सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाये जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं अथवा खण्डवार, सामान्य चर्चा का अवसर दिया जाना चाहिये ? जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है मैं दोनों पक्षों के सदस्यों को अवसर दे सकता हूं । एक पक्ष समर्थन करता है तथा दूसरा विरोध । माननीय सदस्यों को संक्षेप में अपनी बातें कहनी चाहियें जिससे कि अधिक सदस्यों को अवसर मिल सके ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : जो सदस्य एमेंडमेंट्स देते हैं और फिर जब वे उन पर बोलते हैं तो वे सपोर्ट करने के लिये बोलते हैं और उसमें अपोज करने की कोई बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बोले तथा दूसरा उसका उत्तर दे । यह बड़ा ही

[उपाध्यक्ष महोदय]

कठिन कार्य है। सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे दो अथवा तीन मिनट में वे तर्क उपस्थित करें जो अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

श्री वेंकटरामन (तंजौर) : श्री एन० सी० चटर्जी तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव, रूढ़ि के अनुसार हुए विवादों को मान्यता देने के उपबन्ध को हटाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाय क्योंकि इसका सम्बन्ध दक्षिण भारत से अधिक है। देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के विवाह होते हैं जैसे कि मेरे मित्र सरदार हुक्मसिंह ने बताया कि सिखों में भी चाचा, ताऊ के लड़के लड़कियों में विवाह हो जाते हैं। इसलिये हमें प्रचलित दशा को ध्यान में रख कर, जाति तथा समाज व्यवस्था में, यथासंभव कम से कम गड़बड़ी करके सुधार करने चाहियें।

विधेयक के अनुसार उपखण्ड ४ तथा ५ को तोड़ने पर विवाह शून्य हो जाता है। क्या मेरे मित्र श्री एन० सी० चटर्जी तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव का यह सुझाव है कि इस प्रकार रूढ़ि के अनुसार किये गये सभी विवाह तथा इस समय हो रही समस्त विवाह सम्बन्धी कार्यवाहियां समाप्त हो जायेंगी।

हम ने देश में यह बताने के लिये क्या किया है कि शास्त्र के अनुसार सपिंड विवाह किये जाने की जरूरत है? जो विवाह प्रथा के अनुसार किये जाते हैं किन्तु जो सपिंड के नियम के अनुसार नहीं होते हैं उन्हें अवैध कहना अनुचित होगा। अतः मैं श्री एन० सी० चटर्जी और पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का घोर विरोध करता हूं।

दूसरी बात श्री एन० सी० चटर्जी ने यह कही है कि राज्य सरकारें जिले के न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को ऐसे बड़े मामलों का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार न दें। किन्तु जैसा कि इस खण्ड में दिया गया है, सरकार को दीवानी अदालतों तक इस न्यायक्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। मैं तो यह भी चाहता हूं कि जिले की मुन्सिफी अदालतों में भी यह क्षेत्राधिकार प्राप्त हो ताकि गांव वालों को जिला मुख्यालयों तक जाने की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जहां तक विवाह योग्य आयु को बढ़ाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अन्तर्गत विवाह योग्य आयु को बढ़ाया जाय ताकि वह केवल हिन्दुओं पर ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों पर लागू हो सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस विषय से सम्बन्धित एक विधेयक पिछले तीन वर्ष से विचाराधीन है। क्या उसे पारित कराने में माननीय सदस्य मेरी सहायता करगे।

श्री वेंकटरामन् : मेरा सुझाव यह है कि हमें इस विधेयक में ऐसे संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा करने से इसके उपबन्धों के बाल विवाह निषेध अधिनियम के उपबन्धों से विरोध होने की संभावना है।

श्री खर्डेकर ने "जड़मूर्ख" शब्द के सम्बन्ध में भी कुछ कहा है। अदालतों के निर्णयों के अनुसार "जड़मूर्ख" का अर्थ

जन्म से ही 'जड़मूर्ख' माना गया है परन्तु यदि इन जन्मजात जड़मूर्खों के सन्तान होती है तो उस विवाह को वैध माना जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार यदि ऐसे जड़मूर्ख का विवाह कर दिया जाये और उस विवाह के परिणामस्वरूप सन्तान उत्पन्न हो तो उन की संतान वैध कही जायगी।

अन्य बातों का अन्य सदस्यों द्वारा उत्तर दे दिया गया है अतः मैं अब अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री विभूति मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लाज ६ में अपनी एमेंडमेंट्स दी है और उनके बारे में अपन विचार आपके सामने रखना चाहता हूं और पाटस्कर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हें स्वीकार कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय: कौन-कौन संशोधन हैं?

श्री विभूति मिश्र: मैं सूची संख्या ८ के संशोधन संख्या २२४, २२५, २२६, २२७ और २२८ प्रस्तुत करता हूं।

यह जो एमेंडमेंट्स मैंने पेश किये हैं इन में लिखा है कि कौन-कौन शादी करने के बारे में स्वीकृति देने का अधिकारी हो सकता है। मैंने जो यहां पर "ब्रदर" का शब्द इस्तेमाल किया गया है उस में कुछ सुधार किया है और कहा है कि उस के आगे "और ब्रदर्स" शब्द जोड़ दिये जायें। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तीन चार भाई होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वह लड़की बड़े भाई के पास रहती है, कई बार छोटे भाई के पास और कई बार मंझले भाई के पास। जब उस का बाप मर जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि जिस भाई के पास वह रहती है वह भाई उस की शादी के सम्बन्ध में जिम्मेदार होता है। जब वह भाई ज्यादा पैसे वाला नहीं होता है तो वह चाहता है कि उसकी बहन की शादी किसी गरीब के घर हो जाये। बड़ा भाई या छोटा भाई या मंझला भाई अगर वह खुशहाल है वह अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में करना चाहता है।

उन्होंने उस में दिया है कि बड़े भाई की राय से की जाय, इसको मैं हटा देना चाहता हूं। सब भाई बराबर हैं यह मेरा सिम्पल अमेंडमेंट है। इसी तरह मैंने अपने एक दूसरे अमेंडमेंट में चाहा है कि जो उसके चाचे हैं या तो सौतेले भाई हैं उन की राय लेकर शादी की जाय। यह मेरे बिल्कुल सिम्पल अमेंडमेंट्स हैं। कभी कभी ऐसा भी मौका आ सकता है कि बड़ा भाई कभी कभी अपनी बहन को बेच दे, लेकिन जो उस लड़की का छोटा भाई होता है वह खुशहाल है और वह अपनी बहन को नहीं बेचना चाहता और छोटा भाई अपने जेवर आदि गिरवी रख कर बहन का कन्यादान कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री मेरे अमेंडमेंट को कबूल कर लें, वह एक बहुत साधारण और व्यवहारिक संशोधन हैं। जो क़ानून को ड्राफ्ट करते हैं वह दिल्ली शहर में रहते हैं, वैसे तो वह बड़े कानूनदां होते हैं लेकिन उन को गांवों की व्यवहारिक बातों का पता नहीं रहता और वह वहां की स्थिति का नहीं समझ सकते

[श्री विभूति मिश्र]

वह जानते नहीं कि नहां शादी कैसे होती है ।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट नम्बर २३२ है जो कि क्लाज़ ८ पर है । क्लाज़ ८ (२) में है कि हर एक को शादी रजिस्टर करानी पड़ेगी और जो कोई शख्स इस आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जायगा उस को पच्चीस रुपये जुर्माना देना होगा । अब मैं अपने मंत्री महोदय को चुनौती देता हूं कि वह गांवों में चल कर देखें और सर्वे करायें कि वहां कितने लोगों के पास जुर्माना देने के लिए २५ रुपये हैं । करीब ८० प्रतिशत लोग गांवों में आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास जुर्माना भरने के लिये २५ रुपये नहीं निकलेंगे और ऐसे गरीब लोगों के वहां शादियां कैसे हो सकेंगी । आज वे बेचारे निमंत्रण देते हैं और उनके सबंधी गल्ला, दूध दही, चूड़ा आदि जुटा कर न्योता देते हैं और शादी हो जाती है लेकिन इस वर्त्तमान धारा से तो रजिस्टर न कराने पर उस को २५ रुपये जुर्माना देना पड़ेगा । कानून तो सब की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से बनाना चाहिए । और इस नाते मैं मांग करूंगा कि क्लाज़ ८ की (२) धारा को एकदम उड़ा देना चाहिए, यह धारा अनावश्यक है । अब आप ही बतलाइये कि जहां मैं रहता हूं वहां से रेलवे स्टेशन करीब २५ मील दूर है और रजिस्ट्री का आफ़िस भी २५ मील के फ़ासले पर है । अब मेरे गांव के गरीब लोग जो अपने लड़कों या लड़कियों की शादी करते हैं वह शादी को रजिस्टर कराने के वास्ते २५ मील का फ़ासला कैसे तय करेंगे, उसके लिए वह कहां से पैसे लायेंगे और अगर शादी नहीं रजिस्टर कराते हैं तो जो पच्चीस रुपया जुर्माना होगा, वह कहां से लायेंगे ? उन बेचारों के पास शादी करने को तो पैसा होता नहीं है, खेती करते हैं और थोड़ा मन दो मन अनाज दे दिवा कर अपने लड़के और लड़कियों की शादी कर लेते हैं, वे यह जुर्माना देने के लिए कहां से पैसा लायेंगे ? हमारे ला मिनिस्टर तो पुराने कांग्रेसी हैं और वह तो गांवों की हालत जानते होंगे....

श्री नंद लाल शर्मा : २५ रुपये तो हमने करवाया है, उन्होने तो पहले ५०० रुपया जुर्माना रक्खा था ।

श्री विभूति मिश्र : आपको धन्यवाद है ।

अभी पंडित ठाकुर दास भार्गव नें कहा कि मैरिज की एज बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन मैं उन से इस में सहमत नहीं हूं, एज बढ़ानें के ज़माने गुज़र गये । आज मनु, याज्ञवलक्य आदि का काल नहीं है, आज बहुत छोटी उम्र में लड़के और लेड़की मैच्योर हो जाते हैं । गांधी जी ने अपने लेखों में सनातन धर्म के बारे में क्या लिखा है, उस को अगर आप पढ़ें तो मेरी बात आप की समझ में आजायेगी । मेरा ख्याल यह है कि अगर आप एज बढ़ा देंगे तो करप्शन ज्यादा बढ़ जायेगा । मनु, और याज्ञवलक्य का वह प्राचीन काल दूसरा था जब एज

बढ़ाना जरूरी समझा गया था, आज हालात बिलकुल दूसरे हैं। आजकल लड़के और लड़कियां स्कूल और कालिजों में पढ़ते हैं और कहीं कहीं साथ-साथ पढ़ते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं और क्लब आदि सभाओं में साथ-साथ जाते हैं, अगर बड़ी उम्र तक उन को शादी से अलग रक्खा जाय तो उनके बिगड़ने का बहुत खतरा रहता है, इसलिए आज के जमाने में उन की जल्दी शादी हो जाना ही हितकर है क्योंकि इस तरह लड़के या लड़की पर अंकुश लग जाता है, कंट्रोल हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि १५ वर्ष और १८ वर्ष की आयु ठीक है और एज को अधिक न बढ़ाया जाय। मैं प्रार्थना करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे संशोधनों पर गम्भीरता से विचार करें, मेरे सारे संशोधन बहुत सिम्पल और व्यवहारिक हैं, और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरे संशोधनों को क़बूल करें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट): मैं अपने भाषण में अधिक समय न लूंगी। पहले तो मैं विवाह योग्य अवस्था के बारे में कहना चाहती हूं। हम सब यह चाहते हैं कि आयु में वृद्धि की जानी चाहिये किन्तु इस विषय में जनता की राय जानना भी जरूरी है और अभी तो बाल विवाह निषेध अधिनियम में निर्धारित आयु को भी कार्यान्वित नहीं किया गया है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में उसे अधिक प्रभावपूर्ण रीति से लागू किया जाना आवश्यक है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पंजाब के लिये कहा है कि वहां दहेज प्रथा नहीं है। किन्तु वास्तविकता यह है कि वहां पर भी यह प्रथा काफी प्रचलित है। मेरे पास इस विषय में वहां से सब से अधिक पत्र आते हैं। जिन स्त्रियों के साथ विवाह में दहेज नहीं दिया जाता है उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं यह केवल पंजाब के लिये ही नहीं कह रही हूं। ऐसा सब स्थानों पर होता है। अतः हम चाहते हैं कि दहेज निषेध विधेयक में इस समस्या को भली भांति हल किया जाय।

मैं यह आवश्यक नहीं समझती कि लड़की को जो कुछ देना हो वह केवल विवाह के समय ही क्यों दिया जाय? ऐसा करना तो मानो कन्या को भाव-तोल कर के बेचना है। बंगाल में स्नेहलता की कहानी प्रसिद्ध है जो आग में जल कर मर गई थी क्योंकि उस के माता-पिता निर्धन होने के कारण दहेज नहीं दे सकते थे।

मैंने पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या २२९ देखा है। इन बातों पर उत्तराधिकार विधेयक के अन्तर्गत भली भांति विचार किया जा सकेगा।

मैं कुछ रूढ़िगत विधियों के बारे में कहना चाहती हूं। हमारा उद्देश्य इस विधेयक के द्वारा विधि में एक-रूपता लाना है। जो लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। आगे बढ़े हुए लोगों को पीछे ले जाने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक विवाह विच्छेद का प्रश्न है, यदि हम ग्रामवासियों को यह अनुमति नहीं देते कि वे अपनी रूढ़ियों को जारी रखें, तो इससे उनके सामने

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो जायेंगी । अतः मैं उस संशोधन का विरोध करती हूं जो रूढ़ि सम्बन्धी विधि को दूर करने के लिये प्रस्तुत किया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं अपने संशोधन संख्या २२० तथा २२३ को प्रस्तुत करता हूं । हम देखते हैं कि साठ सत्तर वर्ष की आयु वाले व्यक्ति भी १५ या २० वर्ष की कन्याओं से विवाह कर सकते हैं । यह बहुत ही लज्जास्पद विषय है । जब कभी ऐसे उदाहरण आते हैं, युवक समुदाय उसका विरोध करता है परन्तु समाज कोई ध्यान नहीं देता है । जब हम विधवा विवाह को स्वीकार कर चुके हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम इस विधान में कोई ऐसा उपबंध न रखें । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को प्रचलित करने के लिये इतना आंदोलन किया और विधवा विवाह को स्वीकार भी कर लिया गया । फिर भी हालत ऐसी है कि जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसके परिवार वाले उसे दूसरा विवाह नहीं करने देते हैं । इसलिये कठोर उपबंधों की आवश्यकता है । मैं आशा करता हूं मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : संशोधन तो मैंने छः रखे हैं परन्तु समय के अभाव के कारण निवेदन में केवल एक ही संशोधन के संबंध में करूंगा ।

मैं इस अवसर पर वास्तव में बोलने के लिये खड़ा न होता परन्तु मैं देख रहा हूं कि गत दो दिनों से मेरे माननीय मित्र, श्री खर्डेकर हिन्दू महासभा और जनसंघ वालों को बुरा भला कह रहे हैं । वह अपने स्थान पर उपस्थित नहीं हैं नहीं तो मैं उन्हें बताता कि जनसंघ कम से कम उनसे अधिक प्रगतिशील है ।

यदि हम इस विधान के द्वारा वास्तव में विकास और उन्नति करना चाहते हैं तो हमें करना यह चाहिये कि जो बातें हिन्दू धर्म में अच्छी हैं उनको अपनायें और जो बातें खराब हैं उनको त्यागें । केवल इसलिये कि सैमटिक जातियों में एक विशेष प्रकार का विधान प्रचलित है । हम यह समझते हैं कि जो कुछ वे करते हैं वही अच्छा है, हमें उनकी हर बात की नकल करनी चाहिये, जैसे भाईयों बहनों के परस्पर विवाह होने चाहियें जैसा कि श्री वेंकटरामन् कह रहे थे । वास्तव में ऐसी प्रथाओं का हमें अन्त करना चाहिये । हम दावा इस बात का करते हैं कि हम प्रगतिशील हैं और हम डरते इस बात से हैं कि कोई जाति विशेष नाराज़ हो जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपने उस संशोधन की सिफ़ारिश करता हूं जो मैंने खण्ड ५ के संबंध में दिया है ।

मेरे माननीय मित्र, श्री तेजासिंह कह रहे थे कि हिन्दुओं के अधिकांश विवाह सांस्कृतिक रीति के अनुसार सम्पन्न होते हैं जिनका उद्देश्य पुत्रोत्पत्ति होता है । इसीलिये मेरा सुझाव है कि एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह उस दशा में वर्जित न समझा जाये यदि वर्तमान स्त्री ने प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के सामने घोषित किया हो कि दूसरा विवाह उसकी सहमति से किया

जा रहा है। आखिरकार जो औरत जीवन भर अपने पति के साथ रह रही है यदि किसी कारणवश उस में सन्तोत्पत्ति करने की क्षमता नहीं है तो उस को घर से निकाल कर निराश्रित कर देने के बाद ही दूसरे विवाह की अनुमति देना उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में विवाह-विच्छेद करने के पूर्व उसका घर से निकाल बाहर किया जाना ऐसी बात नहीं है जिसे अनिवार्य बना दिया जाये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री बोगावत ने संशोधन संख्या १४९, ८८, **श्री वी० जी० देशपांडे** ने संशोधन संख्या १७६, **पंडित डी० एन० तिवारी** ने संशोधन संख्या ३०३, **श्री यू० एम० त्रिवेदी** ने संशोधन संख्या १३२ **श्री वी० जी० देशपांडे** ने संशोधन संख्या १८२, **श्री के० एल० मोरे** ने संशोधन संख्या २९२, ३०८, **श्री इकबालसिंह** (फाजिलका-सिरसा) ने संशोधन संख्या ३१०, **श्री राने** ने संशोधन संख्या ५, **पंडित के० सी० शर्मा** (जिला मेरठ-दक्षिण) ने संशोधन संख्या १८५, **श्री भक्त दर्शन** ने संशोधन संख्या २३०, २३१, **श्री विभूति मिश्र** ने संशोधन संख्या २३२, **पंडित डी० एन० तिवारी** ने संशोधन संख्या ३११, तथा **श्री भक्त दर्शन** ने संशोधन संख्या २३३, २३४, २३५, २३६, २३७ प्रस्तुत किं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाटस्कर।

श्री वी० जी० देशपांडे : प्रत्येक खंड पर वाद-विवाद होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा इस बात से सहमत हो चुकी है खंड ३ से लेकर ८ तक एक साथ लिए जायें। अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री पाटस्कर : खंड ३ परिभाषाओं के सम्बन्ध में है। "जिला न्यायालय" की परिभाषा करने वाला उपबन्ध बहुत ही साधारण है और श्री चटर्जी ने जिस संशोधन का सुझाव दिया है वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

खंड ३ के उपखंड (च) (१) "सपिंड सम्बन्धियों" शब्दों की परिभाषा की गई है। दायभाग तथा मिताक्षरा की विभिन्नताओं के कारण जो जटिलता उत्पन्न हो जाती है उस से बचाने के लिए इसे सरलतम रूप दिया गया है जिस से कि यह मालुम हो सके कि जहां तक विवाह का सम्बन्ध है निषिद्ध पीड़ियां कौन कौन से हैं।

सब से अधिक विवाद का विषय खंड ५ रहा है। जहां तक विवाह-आयु का सम्बन्ध है कोई ऐसा हल निकालना कठिन है जिस से सभा के सभी सदस्य सन्तुष्ट हो सकें। जो उपबन्ध हमने रखा है वह बाल-विवाह निषेध अधिनियम के अनुकूल है। विवाह-आयु के सम्बन्ध में सभा में इतना मतभेद है कि मेरी समझ में हम उसी सीमा तक जायें जहां तक कि बाल-विवाह निषेध अधिनियम जाता है।

दूसरा खंड हिन्दू विवाह की शर्तों के सम्बन्ध में है। उन में पहली शर्त यह है कि विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी का कोई अन्य जीवन संगी जीवित न हो। आप कोई भी विधान बनावें कुछ न कुछ ऐसे उदाहरण अवश्य आवेंगे जिन की कठिनाई तो हम अनुभव कर सकते हैं पर उन के लिए हम कोई रियायत नहीं कर सकते हैं। मेरे माननीय मित्र, श्री यू० एम० त्रिवेदी ने भी

[श्री पाटस्कर]

हमारे सामने एक ऐसा ही कठिन उदाहरण रखा है। एक वकील की हैसियत से बम्बई वाले अधिनियम के पास होने के बाद मेरे सामने भी ऐसे उदाहरण आये थे। ऐसे मामलों के लिए यदि हम अपवाद बनायें तो सारा विधान ही व्यर्थ हो जायेगा। इस लिए यद्यपि हमें ऐसे लोगों से सहानुभूति बहुत है परन्तु हम विवश हैं। सब से अच्छा नियम जिन का हमारे समाज को पालन करना चाहिए एक-विवाह का नियम है और मैं देखता हूं सभी सदस्यों ने उसका समर्थन भी किया है। बम्बई में जब मद्यनिषेध लागू किया गया तो सभी सहमत थे परन्तु बाद में उनके मन में शंकायें उत्पन्न हुई। वे पूछने लगे राजस्व की हानि के सम्बन्ध में क्या किया जाए। इसी प्रकार एक-विवाह से तो सभी सहमत हैं परन्तु चिन्ता उनको केवल उन थोड़े मामलों के सम्बन्ध में है जिनके सामने कठिनाई है। इस का अर्थ केवल यही है कि अभी हमने एक विवाह के नियम के साथ अपना समायोजन नहीं किया है। मैं वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं का आदर करना चाहता हूं बिना इस विचार के कि यह कौन है और कौन नहीं है, परन्तु मुझे खेद है कि मैं कोई ऐसा सुझाव स्वीकार करने को तय्यार नहीं हूं जो कि वर्तमान विधेयक के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध हो।

अब मैं खंड ६ को लेता हूं। यह बहुत ही सरल है। जब कभी इस नियम के अंतर्गत किसी बच्चे के लिए अभिभावक की सहमति आवश्यक हो तो ऐसे सहमति देने के पात्र व्यक्ति इस में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार होंगे। मेरे मित्र श्री विभूति मिश्र अपने को सनातनी कहते हैं। सनातनी होना कोई उनका विशेषाधिकार नहीं है। मैं भी सनातनी हूं। यदि वह मुझ को सनातनी नहीं समझते हैं तो वह किसी और से परामर्श कर सकते हैं मेरी समझ में नहीं आया कि श्री विभूति मिश्र का तात्पर्य क्या है। वह जो भी चाहते हैं वह सब इस में आ जाएगा क्योंकि हमारी निर्वचन विधि के अनुसार "एक वचन में "बहुवचन" भी सम्मिलित समझा जाता है। इस लिए यदि कई भाई हैं और वे अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं तो कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। शर्त केवल यह होगी कि प्रथम अधिकार बड़ भाई को होगा। हमने जो विधान बनाया है उस से सनातन रीतियों के परिपालन में कोई अड़चन नहीं पड़ेगी।

श्री विभूति मिश्र: तो वे कोर्टों में जायेंगे और वकीलों—

श्री पाटस्कर: अरे भाई, वकीलों के खिलाफ़ ही कहते जाते हो। जब तक लोग कोर्टों में जायेंगे तब तक उन को वकीलों की आवश्यकता जरूर महसूस होगी। आप इस का कोई इलाज बता दीजिये हम वैसा ही कर लेंगे। हमेशा ही वकीलों के खिलाफ़ कहते रहना ठीक नहीं है।

अगला खंड सात है जो संस्कारों के सम्बन्ध में है। विवाह सम्बन्धी जो भी रीति रिवाज हैं हमने उन सबको मान्यता दी है। सरदार इकबाल सिंह के संशोधन में यह सुझाव है कि जब दोनों या एक पक्ष सिख धर्म के अनुयाई हों तो विवाह "आनंद कारज" सिख रीति के अनुसार किया जाये। यहां जो रियायत की गई है वह केवल सिख रीति के ही लिये नहीं वरन् सभी रीतियों के

लिये की गई है क्योंकि इस देश में सिखों के अतिरिक्त विभिन्न रीति रिवाजों के मानने वाले रहते हैं और हम चाहते हैं यह सुविधा सभी को प्राप्त हो ।

मेरे माननीय मित्र के लिये कोई कठिनाई नहीं है । यदि हम देश के विभिन्न भागों की प्रथाओं में भेदभाव करना एक बार प्रारंभ कर दें, तो हम यह नहीं जानते हैं कि कौन सी प्रथायें कहां प्रचलित हैं । इसी लिये हमने एक ऐसा उपबन्ध बनाया है जिसमें प्रचलित विवाहों के सभी रूप आ जायेंगे । मैं अपने माननीय मित्र की कठिनाई और चिन्ता को खूब समझता हूं । जब एक सिख हो और दूसरा सिख न हो, तब भी "आनन्द करज" के अनुसार दोनों में विवाह हो सकता है । उसके विरुद्ध कुछ नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): क्या उस संशोधन को स्वीकार करने में कोई नुकसान है ?

श्री पाटस्कर : अवश्य कुछ नुकसान है । यदि सिख अपनी प्रथा को सम्मिलित कराना चाहते हैं और अन्य कोई भी अपनी प्रथा सम्मिलित कराना चाहें, तो सैकड़ों विभेद हो जायेंगे और उन में जातियां और प्रथायें भिन्न भिन्न हो जायेंगी । मैं एक प्रथा के प्रति पक्षपात क्यों दिखाऊं ? मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह सम्मिलित की गयी है । वह केवल किसी एक ही पद्धति को क्यों स्वीकृत कराना चाहते हैं ? यह बिलकुल गलत दृष्टिकोण है ।

एक दूसरी कठिनाई है । किसी कारणवश पंजीयन संबंधी उपबंध पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है । उसमें कहा गया है कि प्रमाण की सुविधाओं के उद्देश्य से विवाह पंजीबद्ध कराये जा सकते हैं । उसमें यह नहीं कहा गया है कि विवाह पंजीबद्ध कराये जाने चाहियें और कदाचित उस शब्द ने ही उन मित्रों को व्यग्र कर दिया है ।

विवाहों का पंजीयन बम्बई प्रेसिडेन्सी में कुछ वर्षों से प्रचलित है और उस आधार पर किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई है । यदि कोई राज्य ऐसा करने का निर्णय करे, हम यह अनिवार्य नहीं बनाते कि प्रत्येक राज्य ऐसा निर्णय करे ही, कि प्रत्येक विवाह का पंजीयन होना चाहिये, तो उसके लिये पर्याप्त साधन प्रणाली विद्यमान है । मेरे अपने राज्य में, इस प्रकार की एक विधि प्रचलित है और बिलकुल कोई शिकायत नहीं है सिवा उन लोगों के जो अपने लड़के लड़कियों की शादी शारदा अधिनियम के विरुद्ध करना चाहते हैं क्योंकि बम्बई राज्य में उनके लिये वैसा करना असंभव है । उन्हें दोनों पक्षों की आयु प्राधिकारियों को सूचित करनी होती है । उसके अतिरिक्त सामान्य लोगों के लिये कोई कठिनाई नहीं है ।

मेरे माननीय मित्र ने २५ रुपये दंड के संबंध में कहा है । वह विवाह करने या न करने का दंड नहीं है । यदि कोई राज्य यह सोचे कि पंजीयन होना चाहिये और उस उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, तभी वह दंड लागू होगा । यह आशंका किसी गलत धारणा के कारण हो गई है ।

कुछ अन्य बातें भी हैं । दहेज के बारे में पर्याप्त चर्चा हुई थी । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि उन सदस्यों के साथ मेरी सहानभूति

[श्री पाटस्कर]

है जो यह कहते हैं कि दहेज की इस पद्धति से कोई लाभ नहीं होगा । यह ठीक है कि यह एक सामाजिक बुराई है और बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने स्नेहलता के मामले की ओर संकेत किया है । मुझे विश्वास है कि उत्तराधिकार विधेयक के समय कुछ किया जा सकेगा । यह तो विवाह विधेयक है और मेरे विचार से हमें इस समय कुछ नहीं करना चाहिये ।

मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने निषिद्ध पीढ़ियों के संबंध में कहा था । मैं जानता हूं कि उत्तर में निषिद्ध पीढ़ियां दक्षिण की निषिद्ध पीढ़ियों से बिलकुल भिन्न हैं । दक्षिण में उच्चतम जातियों में कुछ लोगों के बीच विवाह करने की अनुमति है जबकि उत्तर में इसके लिये अनुमति नहीं है । इस बहस में जाना कि क्या ठीक है और क्या गलत है, वांछित नहीं है । वह पहले से भी एक वाद विषय है और भविष्य में भी कुछ समय तक रहेगा । अभी तो हम ने यह सामान्य नियम रखना अधिक अच्छा समझा है कि दोनों पक्ष निषिद्ध संबंध की पीढ़ियों में न हों जब तक उन में से प्रत्येक की प्रथा के अनुसार ऐसे विवाह के लिये अनुमति न हो । अतः जो कोई निषिद्ध पीढ़ियों में विवाह करना चाहते हों उन्हें उस प्रथा की वर्तमानता को सिद्ध करना होगा । इससे यह दिखायी पड़ता है कि जनमत किधर है । अतः मैं अपने माननीय मित्र से अपील करूंगा कि वह हमारी समस्यायों में एक और समस्या न जोड़ें । केवल इसी दृष्टिकोण से यह उपबन्ध वहां रखा गया है ।

हमें भूतकाल के इतिहास में कि डा० अम्बेडकर ने क्या किया या और किसी ने क्या किया जाने की आवश्यकता नहीं । अतः मेरे विचार से सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

यदि मैं अन्य बातों का निर्देश करूं तो बहुत समय लग जायेगा । मुझे विश्वास है कि मैंने अधिकतर महत्वपूर्ण विषयों का विवेचन कर दिया है । अब मेरे माननीय मित्र जो कुछ पूछना चाहते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह पूछना चाहता था कि अभी विधि मंत्री महोदय ने जो यह आश्वासन दिया है कि वह जल्दी से जल्दी एक ऐसा विधेयक लाने वाले हैं जिसके द्वारा दहेज की प्रथा समाप्त कर दी जायगी या उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जायेगा ।

श्री पाटस्कर : ऐसा तो मैं ने नहीं कहा । मैं ने तो सिर्फ़ यही कहा था कि दहेज की समस्या काफी कठिन है और वह एक सामाजिक कुरीति है, लेकिन मैं ने यह नहीं कहा था कि मैं उसके लिये कोई कायदा या कानून ला रहा हूं । मैंने तो इतना ही कहा था कि जब यहां पर सक्सेशन बिल आयेगा उस वक्त इस सवाल की चर्चा करूंगा और उस मौके पर यह ज़रा ज्यादा ठीक होगा । इस वक्त तो हम मैरिज बिल पर विचार कर रहे हैं, इसलिये इसमें डाउरी का सवाल लाना कुछ ठीक नहीं जंचता ।

श्री डाभी : दिनांक १६ अगस्त, १९५४ के लोक सभा संसदीय समाचार भाग २ में "तैयार किये जाने वाले नये विधेयक" शीर्षक के अन्तर्गत एक "दहेज

विधेयक" भी दिया हुआ है जिस में दहेज को दंडनीय अपराध मानकर उसके लिये उपबन्ध किया गया है। यहां यह कहा जाता है कि वह सरकार के विचाराधीन है। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उसने इस विचार को क्यों त्याग दिया है जब कि समाचार में यह कहा गया है कि एक नया विधेयक तैयार किया जा रहा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सभा में इस आशय का आश्वासन भी दिया गया था।

श्री पाटस्कर : मुझे माननीय महिला सदस्या से एक पत्र भी प्राप्त हुआ था। हम हिन्दू कोड विधेयक और कतिपय अन्य विधेयकों को अलग अलग टुकड़ों में रख रहे हैं क्योंकि सारी चीज को एक ही विधि में समाविष्ट करना बहुत कठिन पाया गया। कदाचित किसी समय ऐसे विधेयक का विचार किया गया था। जब हम लड़की और पतोहू के लिये दायभाग की गंभीर समस्याओं पर विचार कर रहे हैं मैं माननीय महिला सदस्याओं से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें कि कुछ विषयों को स्थगित करना कहां तक वांछनीय है अतः यह अधिक उपयुक्त है कि हम इस दशा में इस विषय की चर्चा न करें। मैं आप से अपील करूंगा कि आप तब तक धैर्य रखें जब तक कि हम उन विधेयकों का परिणाम न देख लें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हम यह समझें कि सभा में दिया गया आश्वासन वापिस लिया जा रहा है ?

श्री पाटस्कर : वह वापिस नहीं लिया गया है। मैं ने यह नहीं कहा है।

श्री भक्त दर्शन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को विधि मंत्री पूरी तरह समझ नहीं सके। मेरा निवेदन यह था कि आप जो सक्सेशन बिल लाने वाले हैं उस में दहेज की प्रथा तो जरूर शामिल हो सकती है, लेकिन जो कन्या विक्रय की प्रथा है कुमायूं गढ़वाल और दूसरे भागों में उस को आप कैसे कवर करेंगे ?

श्री पाटस्कर : वह भी हो सकता है, वक्त आयेगा तब देखा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सब हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को खण्डशः सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा। खण्ड ३ पर अनेक संशोधन हैं, जिन में से एक भी सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः अब मैं खण्ड ३ पर के सभी संशोधनों को एक साथ सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड ४ को लूंगा। कोई भी माननीय सदस्य अपना संशोधन मतदान के लिए रखवाना चाहें तो कहें।

श्री वी० जी० देशपांडे : हां, मेरा संशोधन संख्या १७६ है।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन १७६ रखा गया जो अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर के अन्य दो संशोधन भी अस्वीकृत किए गए हैं। प्रश्न यह है

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड ५ को लेंगे । इस पर भी अनेक संशोधन हैं । क्या कोई माननीय सदस्य अपने संशोधनों को अलग से रखवाना चाहते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : संशोधन संख्या १५६ ।

पंडित डी० एन० तिवारी : संशोधन संख्या ३०३ ।

श्री डाभी : संशोधन संख्या ३ ।

श्री एन० राचय्या : संशोधन संख्या २९४ और ३०१ ।

श्री बोगावत : संशोधन संख्या १४९ और ८८ ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : संशोधन संख्या १३२ ।

श्री वी० जी० देशपांडे : १८२

श्री के० एल० मोरे : २९२ और २९५ ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा संशोधन संख्या १५६, ३०३, ३, २९४, ३०१, १३२, ८८, १८२, २९५ मतदान के लिए रखे गए जो **अस्वीकृत हुए** । संशोधन संख्या १४९ तथा २९२ **अवरुद्ध** हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड ५ पर के अन्य सभी संशोधन सभा के समक्ष रखूंगा ।

संशोधन अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि **खण्ड** ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड ६ पर के सभी संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । उन सभी को अथवा उन में से किसी किसी को सभा स्वीकार करे ।

संशोधन अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि **खण्ड** ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा खण्ड ७ पर के संशोधन संख्या ३०७, ३०८, ३०९, ३१० तथा ५ मतदान के लिए रखे गए जो **अस्वीकृत हुए**]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा नये खण्ड ७-क और ७ ख पर के संशोधन संख्या १८५ और २२९ मतदान के लिए रखे गए जो **अस्वीकृत हुए**]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड ८ पर आता हूं । क्या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से रखवाना चाहते हैं ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : संशोधन संख्या १३८ अलग से रखा जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३८ मतदान के लिए रखा गया जो **अस्वीकृत हुआ ।**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड ८ पर के अन्य सभी संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९ से १२

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा खण्ड ९ से १२ को (९ और १२ को मिलाकर) लेगी ।

श्री वेंकटरामन् : खण्ड ८-क के लिए संशोधन संख्या ३१३ पर भी इसी के साथ विचार किया जाय ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा विचार था कि नया खण्ड ८-क खण्ड ८ के साथ ही लिया जायेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं संशोधन संख्या ३१३ को प्रस्तुत नहीं कर रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । इन खण्डों के लिए ३ घण्टे नियत किए गए हैं । अब ३—२५ हैं । सभा ६ बजे सा॰ स्थगित होगी । अतः मंत्री जी कल २५ मिनट तक बोलेंगे । जो भी संशोधन हों उन्हें यहां रखा जाये ।

श्री राने : हम उन को पहले ही दे चुके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक दल के एक एक प्रतिनिधि वक्ता को बोलने का अवसर दूंगा । माननीय सदस्यों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे उन ही संशोधनों पर बोलें जिनके पक्ष में वे हों ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कांग्रेस दल के कितने प्रतिनिधि वक्ता हैं ?

श्री बोगावत : ऐसी बात न कहिये । हम में से कई लोग अब तक भी नहीं बोल पाये हैं । आप क्यों 'कांग्रेस दल' का नाम ले रही हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह एक सामाजिक विधान है और जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, कोई आदेश नहीं है । हम सभी स्वतन्त्र हैं और मेरे विचार से इसी प्रकार अन्य दलों के सदस्य भी स्वतंत्र होंगे । अतः यहां दल का कोई प्रश्न नहीं है । आप चाहें जिस व्यक्ति को बुला सकते हैं । साथ ही, जिन्होंने संशोधनों की सूचना दी है उन्हें भी कुछ समय दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कथन यह है कि उन सभी सदस्यों को अवसर देना, जो बोलना चाहते हैं अथवा जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, बिलकुल असंभव है । किन्तु मैं श्री वी० जी० देशपांडे को जिन्होंने खंड ४ में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे, अवसर नहीं दे सका । अतः ऐसी संभावना को टालने के लिए मैं यह कह रहा हूं कि प्रत्येक समूह से कम से कम एक प्रवक्ता को बुलाया जायगा और यदि समय हुआ, तो विशेष रूप से संशोधन की सूचना देने वाले सदस्य को अवसर दिया जायगा । किन्तु संयोगवश यदि ऐसा करना संभव न हो सका तो किसी समूह का प्रतिनिधित्व उस हद तक दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए । मैं साधारणतया कांग्रेस दल से दो और विरोधी दल से एक सदस्य को बुला रहा हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हम जान सकते हैं कि खंडों के इस समूह के लिए कौन से संशोधन रखे गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब भी संशोधन प्राप्त हो रहे हैं । अब जो भी बोलने के लिए खड़े हों, वह कृपया अपने संशोधन की संख्या बतलायें जिस से कि सभा उस ओर ध्यान दे ।

श्री एन० सी० चटर्जी : अब हम अधिक वादग्रस्त खंडों अर्थात दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन न्यायिक सम्बंध विधेयक शून्य विवाहों और शून्यकरणीय विवाहों का विवेचन करेंगे । इस समूह में खंड ९ से १२ तक हैं । न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद के सम्बन्ध में, खंड १० से ६ उपखंड (क) से (ड) तक हैं । पहला आधार दो वर्षों तक छोड़ देना, दूसरा अत्याधार, तीसरा कुष्ट, चौथा संचरणयोग रूप मे रतिज रोग, पांचवां पागलपन और अन्तिम आधार विश्वासघात अर्थात 'विवाह-पूर्ति के पश्चात् अपने सहचर या सहचरी के अतिरिक्त अन्य किसी से संभोग करना' है ।

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुए]

संशोधन संख्या ३२१ द्वारा मैं न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद का विवेचन करने वाले खंड १० के उपखंड (१) में एक अतिरिक्त खंड (५) रखने का सुझाव देता हूं और मैं इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करने के लिए माननीय मित्र श्री पाटस्कर से प्रार्थना करूंगा । हम आशा करते हैं कि उन्हें इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी । नया खंड (छ) जो हम जोड़ना चाहते हैं वह इस प्रकार है :

"....अपना धर्म बदल दिया है । अथवा खंड (१) उपखंड (ग) की धारा २ में उल्लिखित अन्य कोई धर्म स्वीकार कर लिया हो" आप को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि खंड १३ (१) में एक उपखंड रखा गया है जिस के द्वारा धर्म परिवर्तन को विवाह-विच्छेद का आधार बनाया गया है । यही बात बौद्धों, जेनियों और सिखों के लिए भी होगी । आशा है कि इसका विरोध नहीं होगा । जहां तक मुझे ज्ञात है, उस के लिए कोई संशोधन नहीं दिया गया है । अतः मेरा सुझाव यह है कि न्यायिक संबन्ध-विच्छेद के लिए भी ऐसा ही उपबन्ध बनाया जाना चाहिए और धर्म परिवर्तन न्यायिक संबंध विच्छेद के लिए भी एक आधार बनाया जाना चाहिए । यदि विवाह-विच्छेद के लिए यह आधार बनाया जा सकता है, तो न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद के लिए भी उसे आधार बनाया जाना चाहिए ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : धर्म परिवर्तन विवाह-विच्छेद के लिए एक आधार होगा और यह विधेयक का उद्देश्य भी है । क्या मेरे माननीय मित्र यह चाहते हैं कि न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद के लिए भी उस आधार का उल्लेख किया जाय ? धर्म परिवर्तन के बाद, अपने आप ही विवाह-विच्छेद हो जायगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यदि आप खंड १३ की ओर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि अपने आप कुछ भी नहीं होना है । उस के लिए डिग्री प्राप्त करनी होगी । कुछ माननीय सदस्यों ने इस आशय के संशोधन प्रस्तुत किये हैं कि यह कार्य निहित हित वाले व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है । किन्तु पति अथवा पत्नी भी विघटन के लिए आवेदन कर सकते हैं । फिर उस खंड में विवाह-विच्छेद के आधार भी दिये गये हैं । अतः उस खंड में अपने आप ऐसा कुछ नहीं है । अतः

यह अनिवार्य नहीं है कि वहां विवाह-विच्छेद होगा ही । यदि ऐसा किया जाय तो उस में कुछ भी अनुचित नहीं है ।

मैं श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति की विमति-टिप्पणी में एक महत्वपूर्ण वाक्य की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करता हूं । वह अपनी विमति-टिप्पणी में कहते हैं ।

> "अन्त में, यह विधेयक सभी भारतीयों पर एक समान लागू नहीं होता है । इसकी प्रवंचना करने के बहुत प्रभावोत्पादक उपाय शेष रहेंगे । जो एक से अधिक विवाह करना चाहते हों, वे अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे । इस से धर्म परिवर्तन की बुराई और भी बढ़ेगी जिस से सार्वजनिक असंतोष उत्पन्न होगा ।"

उन्होंने बताया है कि हम हिन्दुओं की सभी जातियों तथा भारत के सभी नागरिकों के लिये, एक संहिताबद्ध तथा एक रूप विधि नहीं बना रहे हैं अतः इसके द्वारा धर्मपरिवर्तन को बढ़ावा ही मिलेगा ।

मेरा विचार है कि खण्ड १० तथा खण्ड १३ को स्तर पर रखा जाना चाहिये । यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उसको ज्ञान होना चाहिये कि न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद की संभावना हो सकती है चाहे विवाह विच्छेद न भी हो और वह विवाह विच्छेद के पश्चात् ही दूसरा विवाह कर सकता है । परन्तु तो भी न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद का उपबन्ध होना चाहिये जिसका अर्थ है कि विवाह विच्छेद नहीं होगा ।

खण्ड ११ म नियम विरूद्ध विवाहों के सम्बन्ध में बताया गया है कि धारा ५ के खण्डों (१), (४) तथा (५) में दी गई शर्त्तों का उल्लंघन किये जाने पर विवाह को दोनों पक्षों के आवेदन पर नियम विरूद्ध घोषित किया जा सकता है ।

हिन्दू विवाह के पूर्णरूप से सम्पन्न होने के लिये आपने छः शर्त्तें निर्धारित की हैं परन्तु उनमें मुख्य तीन हैं जो कि खंड ५ के (१), (४) तथा (५) में दी गई हैं । यह शर्तें इस प्रकार हैं । ५ (१) विवाह के समय उसका कोई पति पत्नि जीवित नहीं होनी चाहिये । (४) दोनों पक्ष निषिद्ध पीढ़ियों के अन्तर्गत न आते हों जब तक कि रिवाज या रूढ़ि उन को ऐसा करने की अनुमति न देती हों । (५) दोनों पक्ष परस्पर सार्पन्ड न हों । जब तक कि रिवाज़ या रूढ़ि उन को ऐसा करने की अनुमति न देती हो । परन्तु मैं समझ नहीं सका कि आपने खण्ड ५ के उपखण्ड (२) को इस में क्यों नहीं रखा है जिस में दिया है कि विवाह के समय दोनों पक्षों में कोई भी पक्ष पागल अथवा वज्र मूर्ख न हो । मेरे विचार से विवाह को नियम विरूद्ध घोषित करने का एक कारण यह भी रखा जाना चाहिये ।

खण्ड ५ के उपखण्ड (६) में दिया है कि यदि कन्या की आयु अठारह वर्ष से कम हो तो उसके अभिभावक की सम्मति आवश्यक है,

[श्री ए० सी० चेटर्जी]

मेरे विचार से इस प्रकार का उपबन्ध रखने पर हमें यह व्यवस्था भी रखनी चाहिये कि यदि सम्मति प्राप्त न हो तो वह विवाह भी नियम विरूद्ध घोषित कर दिया जाये । सपिण्ड सम्बन्धों पर इतना आग्रह नहीं किया जाना चाहिये सपिण्ड सम्बन्धों अथवा निषिद्ध पीढ़ियों में भी विवाह कर के पक्ष प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं इस लिए मैं चाहता हूं कि इस शर्त्त को भी हटा दिया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैंने अपना संशोधन संख्या ३२३ प्रस्तुत किया है । उसको स्वीकार कर लेने से सभी कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी ।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं खण्ड ११ में से इन शब्दों को, कि "दोनों पक्षों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर" हटा देना चाहता हो । क्योंकि जो संविदा नियम विरूद्ध होता है तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है और वह नियम विरूद्ध घोषित कर दिया जाता है इस लिए संविदा के दोनों पक्षों तक ही इस बात को सीमित कर देने का कोई अर्थ नहीं है ।

प्रवर समिति के समक्ष यह चर्चा हुई थी कि एक अजनबी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार क्यों दिया जाये । मेरा उत्तर यह है कि इस प्रकार के विवाह लोक नीति के विरूद्ध है तथा जो कार्य लोक नीति के विरूद्ध है उसकी सूचना देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होता है । पर यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध सम्बन्धियों में से किसी से नियम विरूद्ध विवाह करता है तो उस परिवार के सभी व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये । दूसरे, विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ इस खण्ड जैसा ही है । उसमें दिया है कि इस अधिनियम के अधीन हुआ कोई भी विवाह नियम विरुद्ध घोषित किया जा सकता है यदि—ये शब्द उसमें भी नहीं रखे गये हों अथवा उसमें हों तो भी यह आवश्यक नहीं है कि हम उनको इसमें अवश्य रखें ।

इसके अतिरिक्त, किसी भी नियम विरूद्ध समझोतें की सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है तो न्यायालय से सून्य घोषित करने की प्रार्थना कर सकता है, परन्तु यह एक विशिष्ट अधिनियम है और यह कहा गया है कि विवाह के ही किसी पक्ष को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस लिये दीवानी न्यायालय में कार्यवाही अवरूद्ध हो सकती है । अतः मेरा निवेदन है कि इन शाब्दों को अवश्य हटा दिया जाना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब चेअरमैन साहब, मैंने दो ऐमेन्डमेन्ट्रस के नोटिस दिये हैं । एक तो है २३९ नं० का जो कि दफा ११ के मुताल्लिक है और दूसरा है २४१ नं० का जो दफा १२ के मुताल्लिक है । मैं इन दोनों के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं ।

जनाब मुलाहजा फरमायेंगे कि जहां तक सवाल दफा ५ का है, उस में पांच चीजें दी हुई हैं जो कि जरूरी हैं, पेश्तर इस के कि किसी शख्स की शादी हिन्दुओं में जायज हो ।

१. स्पाउस दूसरा नहीं होना चाहिये ।

२. शादी के वक्त दोनों में से कोई पार्टी लुनैटिक या इडियट नहीं होना चाहिये ।

३. ब्राइडग्रूम की उम्र १८ साल से कम नहीं होनी चाहिये और ब्राइड की उम्र १५ साल से कम नहीं होनी चाहिये शादी के वक्त ।

दूसरी जो चीजें हैं जिन का दफ़ा ४ और ५ में जिक्र है, और जिन का जिक्र आ चुका है वह यह हैं कि आपस में लड़की और लड़के को सपिन्ड नहीं होना चाहिये और प्राहिबिटेड डिग-रीज़ में नहीं आना चाहिये ।

६ठीं शर्त यह है कि अगर कोई लड़की १५ साल से ज्यादा है और १८ साल से कम है तो उस सूरत में उसको अपने गार्जियन की कंसेन्ट जरूरी होगी । मेरी निहायत अदब से गुजारिश यह है कि जहां तक गार्जियन की कंसेन्ट का सवाल है, इस की सिर्फ उन सूरतों में जरूरत पड़ेगी जब तजुर्बा यह बताये कि शादी के बाद उन की कंसेन्ट न लिए जाने से कोई खराबी पैदा हो जायेगी । लेकिन ऐसा हो सकता है कि गार्जियन की कंसेन्ट न भी हो तो भी जिस जगह लड़के और लड़की की शादी होने पर दोनो के खुश रहने की इमकान हो और लड़के और लड़की दोनों चाहते हों, तो ऐसी सुरत में यह जो शर्त हैं उस की कोई जरूरत नहीं है । इस लिये जो ऐमेन्डमेन्ट मैंने दफा १२ में लिया है वह सिर्फ इसी मकसद से कि जहां तक वायडेबुल मैरेज का ताल्लुक है उस में लिखा है कि जिस शादी में पहले गार्जियन की रजामन्दी न ली गई हो उस को भी वायडेबुल करार दिया जा सकता है । या रजा-मन्दी गार्जियन की फ्राड और फोर्स से ली गई हो । दफा १२ में यह प्राविजन है कि अगर कंसेन्ट फ्राड या फोर्स से ली गई हो तो वह शादी वायडेबुल हो जाय । लेकिन इस का कोई ठीक इलाज नहीं रक्खा गया कि अगर कंसेन्ट ली ही न जाय तो क्या हो । फ्राड और फोर्स तो बहुत थोड़े केसेज में होगा, लेकिन ला में जो प्राविजन है कि गार्जियन की कंसेन्ट बहुत जरूरी है, उसका एक इलाज यह होगा कि वह शादी वायडेबुल करार दे दी जाय, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोर्ट भी वायडेबुल उस को करार दे दे क्योंकि लड़की कह सकती है कि उस के ताल्लुकात अपने आदमी से बहुत अच्छे हैं और शादी को एफेक्ट किया जाय । यह उसकी मर्जी पर ही मुनहसिर है ।

मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि ये अलफ़ाज़ दर्ज कर दिए जायें कि अगर कन्सेन्ट बिल्कुल ही न ली गई हो, तो भी मैरिज को वायडेबुल करार दे दिया जाय दफ़ा ११ में यह लिखा हुआ है कि अगर शादी के बाद कोई झगड़ा हो जाय, और किसी शर्त को तोड़ा जाय, तो एक पार्टी के पेटीशन देने पर–सिर्फ पार्टीज के, दूसरे के नहीं–वह मैरिज वायडेबुल हो सकता है यानी वह पेटीशन सिर्फ पार्टीज़ दे सकती हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है । अगर कोई पर्सन इन्ट्रेस्टेड है, तो वह कुछ नहीं कर सकता है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

डाभी साहब ने जो वजूहात पेश की हैं, उनके अलावा मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक गोत्र के कई कई सौ गांव हैं । जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां पर कई गांवों का एक ही गोत्र है । अगर वहां पर कोई सपिंडा रिलेशनशिप से शादी कर ले, तो उसका गांव में रहना मुश्किल हो जायगा । सब लोग अंगुश्त-नुमाई करते हैं और समझते हैं कि उस शख्स ने इन्सैस्चुअस इन्टरकोर्स किया ह । ऐसा लगभग सारे हिन्दुस्तान में है यह बात अलग है कि दूसरे इलाकों में यह बात इतनी स्ट्रिक्ट् न हो । प्योरिटी आफ़ फैमिली और प्योरिटी आफ़ रेस के इन्ट्रैस्ट में यह नियम बना हुआ है और उस पर अमल किया जा रहा है । पांच पुश्तें माता की तरफ़ से और सात पुश्तें पिता की तरफ़ से छोड़ दी जाती हैं, यह कस्टम रायज रही है । लेकिन जिनकी शादी इस कस्टम को तोड़ कर की गई है, वह भी दफ़ा ५ के मुताबिक जायज़ करार दे दी गई है । वे लोग इस कस्टम को बड़े ज़ोर शोर से मानते हैं । पंजाब में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी कस्टम से गवर्न होते हैं, वे नहीं आयेंगे, लेकिन जो लोग इस नियम को बड़े ज़ोर से मानते हैं, उन के लिए तो यह और भी नुक्सान की चीज़ है । सिर्फ पार्टीज़ को इजाज़त देना ठीक नहीं है । पहले तो वे कायदे को तोड़ कर शादी करेंगे, उसके बाद क्या वे ही झगड़ा करेंगे और पेटीशन देंगे । इसका मतलब तो यह है कि यह सपिंडाशिप का कानून ही हटा लिया जाय । अगर इसका कान्ट्रावेन्शन कर लिया जायगा, तो कोई रैमेडी नहीं रहेगी ।

मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान की आबादी में तीन चौथाई लोग इस सैन्टीमेंट को मानते होंगे—अछूत, जाट, ज़मीदार सब मानते हैं । अपर इंडिया में खास तौर पर यह सैन्टीमेंट बड़ा ज़बर्दस्त है । या तो "पार्टी देयर टू" के अलफ़ाज़ हटा दिए जायें, या फिर मेरी अमेंडमेंट मन्जूर कर ली जाय कि कान्ट्रावैन्शन की सूरत में पार्टीज़ के अलावा पर्सन इन्ट्रैस्टेड को भी शादी को बायड करार देने के बारे में पेटीशन देन का अख्तियार होगा । मैं ने उसकी तारीफ़ भी दे दी है कि परसन्ज़ इन्ट्रैस्टेड में वे लोग भी शामिल होंगे, जो सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं । और जो प्राहिबिटिड डिग्री में आते हैं । कम से कम वे शख्स ऐसे हैं, जिनको इससे सख्त तकलीफ़ होगी । वे कोर्ट में जा कर कह सकें कि हमारी यह एन्शैन्ट कस्टम है और हमारी प्योरिटी आफ़ फैमिली और प्योरिटी आफ़ रेस पर इसका खराब असर पड़ेगा । डाभी साहब ने बताया है कि अगर ऐसा कोई मैरिज बायड हो जाय तो उसमें से पैदा हुआ बच्चा इल्लैजिटिमेट बन जायेगा और उसके हकूक पर असर पड़ेगा ।

जब मैंने राइटस एंड आबलिगेशन्ज़ का ज़िक्र किया, तो मेरे कई दोस्तों ने एतराज़ किया कि इसकी ला में क्या रेमेडी है । अगर दफ़ा ४ और ५ को तोड़ डालें, तो कोई रेमेडी नहीं है । जहां तक शादी का सवाल है, आप कहते हैं कि वह वायड नहीं होगी । तो फिर क्या होगा ? हमारे

पीनल कोड में एक बड़ा लैकुना है। अगर कोई इन्सैस्चुअस इन्टरकोर्स करे, तो कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है। अगर कन्सेन्ट हो, तो भी नहीं और अगर न हो, तो भी नहीं। मैंने अमेंडमेंट पेश की है कि जो ऐसी शादी में शामिल हो और उसमें हिस्सा ले, तो उसको वही सज़ा दी जाये, जो कि छोटी उम्र की शादी कराने के लिए दी जाती है। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसको पर्सन इन्टैस्टेड की तारीफ़ में बढ़ा दिया जाये। मेरी अमेंडमेंट भी वही है, जो कि श्री चैटरजी साहब की है, यानी यह कि जहां तक दफ़ा १, २, ३, ४ और ५ का सवाल है, अगर कोई शादी एसैन्शियल कन्डीशन के खिलाफ़ हो, तो यह शादी वायड हो जाये। हमने शारदा ऐक्ट में शादी को वायद करार नहीं दिया, बल्कि सज़ा रखी। इसकी वजह यह है कि उस समय ऐसा करना मुश्किल था। लेकिन अब तो ज़माना बदल गया है। आप सैक्रामेंटल मैरिज को खत्म कर चुके हैं और आप कहते हैं कि डाइवोर्स हो सकता है, शादी खत्म हो सकती है। किस तरह की शादियां अब तक होती रही हैं? मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि छोटी उम्र की शादी देश के स्टैमिना को खत्म करती है। हमने वह ऐक्ट १९२८ में पास किया था। उसके २६ वर्ष के बाद अब वक्त आ गया है कि ऐसी छोटी उम्र की शादियों को वायड करार दे दिया जाये, जिनमें लड़का १८ वर्ष से कम हो और लड़की १५ वर्ष से कम। मैं समझता हूं कि इस तरह ही इसका सद्देबाव होगा, किसी और तरीके से नहीं होगा

श्री राघवाचारी (पेनूकोंडा): मैं खण्ड ९ के रखे जाने के विरुद्ध हूं उसे एक दम हटा दिया जाये क्योंकि यह पुराने ज़माने के बारे में है जबकि विवाह विघटित नहीं हो सकते थे और इस प्रकार की बाध्यता की आवश्यकता थी परन्तु आज कल नया ज़माना है और हम नया समाज स्थापित भी करना चाहते हैं इसलिए इसका रहना एक असंगति है।

खण्ड १० में दिया है कि किसी पक्ष के किसी रोग से पीड़ित हो जाने पर न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद हो सकता है तथा बाद में विवाह विच्छेद हो सकता है। परन्तु रोग के सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है। मेरे विचार से यह अवधि एक वर्ष निश्चित की जानी चाहिये क्योंकि आजकल सभी रोग ठीक हो जाते हैं और विशेषकर रतिज रोग तो ठीक हो ही जाते हैं इसलिये आवेदन पत्र स्तुत करने की तिथि से एक वर्ष पूर्व से रोगी होना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह जानना भी बहुत कठिन है कि रोग पति से पत्नि को लगा है अथवा पत्नि से पति को। इसीलिये मेरा विचार है कि एक वर्ष की अवधि निश्चित की जानी चाहिये जिससे सम्बन्ध विच्छेद होने से पूर्व वह अपने साथी को रोग-विमुक्त कराने का प्रयत्न कर सकें। अत. मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

श्री बोगावत: खण्ड ५ के उपखण्ड (३) में वर तथा कन्या की आय निर्धारित की गई है परन्तु इस उपखंड के उपबन्धों के विरुद्ध होने वाले विवाहों पर किसी प्रतिबन्ध का उल्लेख नहीं

[श्री बोगावत]

किया गया है । बम्बई के ऐसे ही एक अधिनियम में इसका उल्लेख है और अपराध को हस्तक्षेपीय बनाया गया है । इसलिये बालविवाहों को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि निर्धारित आयु से कम आयु में विवाह करने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाये तथा उन विवाहों को नियम विरुद्ध भी घोषित किया जावे । इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार का एक उपखंड डाला जाना चाहिये ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बताया है कि विवाह को नियम विरुद्ध घोषित कराने के लिये याचिका होनी चाहिये । मैं इसको अत्यंत आवश्यक समझता हूं । हमने इस विधेयक के द्वारा स्त्रियों को स्वतंत्रता दी है परन्तु मुझे खद है कि यह स्वतंत्रता मुसलमान स्त्रि यों को नहीं दी गई है । इसलिषे मेरे विचार से संविधान के अनुच्छेद १४ के अधीन एक पत्नित्व सम्बन्धी अलग विधेयक बनाना चाहिये जो कि मुसलमान स्त्रियों को भी यह स्वतंत्रता दे सके कि वे अपने पति के दूसरे विवाह को नियम विरुद्ध घोषित कराने की याचिका दे सकें ।

मेरा विचार है कि खण्ड १० के उप खण्ड (च) को हटा देना चाहिये क्योंकि इससे स्त्रि यों की अधिक हानि होने की संभावना है क्योंकि इसका सिद्ध करना बहुत कठिन होगा, इसके आधार पर आक्षेप लगाये जायेंगे और विवाह विच्छेद होंगे । खण्ड ५ के उप-खण्ड (३) के अन्तर्गत निर्धारित विवाह की आयु से कम आयु में होने वाले विवाहों को रोकने का भी उपबन्ध किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय: हिन्दू विवाह विधेयक के खण्ड संख्या १० पर २२ संशोधन, खण्ड संख्या ११ पर ६ संशोधन और खंड संख्या १२ पर १० संशोधन हैं इसके अतिरिक्त श्री आर० एन० एस० देव के दो संशोधन संख्या ३५६ और ३५७ भी हैं । उन्होंने यह सूचित किया है कि उनके इन सशोधनों को प्रस्तुत किया जाये; किन्तु कठिनाई यह है कि ये दोनों संशोधन देर से मिले हैं, अतः परिचलित नहीं हो सके हैं । इसके लिए अब यह प्रक्रिया है कि यदि सरकार उन्हें स्वीकार करने को तैयार हो तो मैं उनके रखे जाने की स्वीकृति दे सकता हूं ।

खण्ड संख्या १० पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए गए :

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
श्री एन राचय्या	३१४
श्री साधन गुप्त	४९
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	५०
श्री विभूति मिश्र	२३८
श्री एन० राचय्या	३१५
पंडित डी० एन० तिवारी	३१६
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	५१
श्री खर्डेकर	३२
श्री वेंकटरामन्	१६०
पंडित डी० एन० तिवारी	३१७
श्री वेंकटरामन्	१६१
श्री एन० राचय्या	३१९
पंडित डी० एन० तिवारी	३२०
श्री खर्डेकर	३३
श्री बोगावत	९१
श्री राने	६
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	५४

श्री साधन गुप्त	५५
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१४०
श्री एन० सी० चटर्जी	३२१
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१४१

खण्ड संख्या ११ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए गए :—

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन संख्या**
श्री डाभी	७
पंडित डी० एन० तिवारी	३२२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	२३९
श्री एन० सी० चटर्जी	३२३
श्री राने	८
श्री राने	९

खण्ड संख्या १२ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए ग :—

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन संख्या**
श्री राने	१०
पंडित डी० एन० तिवारी	३२४
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	५६
श्री विभूति मिश्र	२४०
पंडित ठाकुर दास भार्गव	२४१
श्री बोगावत	९३
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	५७
पंडित डी० एन० तिवारी	३२५
श्री साधन गुप्त	५८
श्री एन० राचय्या	३२७

सभापति महोदय : ये सब संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इन खण्डों में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन, न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद तथा शून्य तथा शून्यकरणीय विवाहों का उल्लेख है ।

मैं दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापनों तथा न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मेरे विचार से वर्तमान परिस्थितियों जबकि विवाह सम्बन्धी हमारी विचारधारा बदल चुकी है इन दोनों बातों को एक ही विधेयक में रखना कुछ ठीक नहीं है ।

खण्ड ९ के अनुसार जब कोई पति अथवा पत्नि अपने साथी से बिना किसी कारण के अलग रहने लगता है तो पीड़ित पक्ष दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकता है तथा न्यायालय वक्तव्य की सत्यता के आधार पर इन अधिकारों के प्रतिस्थापन की आज्ञा दे देता है । यह अधिकतर तब होता है जब दोनों में कोई प्रेम नहीं रहता है अथवा पक्षों में असहमति तथा मतभेद होता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कई मामलों में पत्नि को पति के पास जाने से रोका गया है । ऐसे मामले न्यायालयों के समक्ष आये हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इन मामलों में यह बहाना किया जाता है कि मां बाप लड़की को पति के पास जाने नहीं देते हैं और इसलिये न्यायालय को दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का आदेश देना चाहिये यदि कोई पत्नि अपने पति से प्रेम करती है तो उनको किसी भी प्रकार से अलग नहीं रखा जा सकता है ।

न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद के सम्बन्ध में खण्ड १० में दिया हुआ है कि न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद की याचिका

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

तभी दी जा सकती है जबकि दूसरे पक्ष ने अपने साथी को छोड़ दिया हो और याचिका प्रस्तुत किये जाने से दो वर्ष से ऐसा हो रहा हो। यदि दोनों इतने दिनों तक पृथक् रहते हैं तो क्या आपका आशय यह है कि इतने दिनों अलग अलग रहने के बाद वह फिर मिल सकते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है। जब दोनों पक्ष दो वर्ष से एक साथ नहीं रह सके हैं तो फिर उनके एक साथ रह सकने की संभावना ही क्या है।

उपखण्ड (ख) में क्रूरता के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि जिसके द्वारा याचिका देने वाले को यह आशंका हो जाये कि दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक अथवा कष्टदायक होगा। क्या इस प्रकार की आशंका हो जाने पर भी उनके विरोध दूर किये जाकर उनमें मेल कराया जा सकता है। मैं मानता हूं कि पति पत्नि के झगड़े थोड़े समय के होते हैं परन्तु पति पत्नि न्यायालय में तभी जाते हैं जब पुनर्मिलन के सभी उपाय समाप्त हो जाते हैं। तथा इस अवस्था तक पहुंचने के पश्चात् उनके पुनर्मिलन की आशा करना दुराशा मात्र है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

रतिज रोगों विषयक उपखण्ड के सम्बन्ध में श्री राघवाचारी ने कहा है कि कोई अवधि निश्चित की जानी चाहिये। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, परन्तु खण्ड १० के अन्तर्गत जो भी मामले रखे गये हैं वह विवाह विच्छेद के समुचित कारण हैं और इस प्रकार के हैं कि उनका पनर्मिलन कराना असंभव है। यदि पुनर्मिलन संभव है तो विवाह विच्छेद की आवश्यकता नहीं है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन तथा न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद ही आवश्यक है। पति और पत्नि न्यायालय की शरण तभी लेते हैं जबकि पुनर्मिलन असंभव हो जाता है और न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है अतः न्यायिक विवाह विच्छेद सम्बन्धी खंड अनावश्यक है।

खंड १३ के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि यदि न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद की डिग्री को निराकरण नहीं कराया गया अथवा न्यायिक विच्छेद की डिग्री के पश्चात दोनों पक्ष दो वर्ष तक एक साथ न रहे तो इस बात को विवाह विच्छेद का आधार बनाया जायेगा।

हम खंड ९ या १० के अन्तर्गत दोनों पक्षों को फिर से मिलाने में असफल हो रहे हैं, किन्तु ऐसा किया ही क्यों जायें क्योंकि जब दोनों पक्ष पृथक हो जाते हैं तो वे प्रायः पृथक ही रहते हैं। यदि वे चाहें तो विवाद विच्छेद के बाद पुनः विवाह कर सकते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के बारे में जो कहा है वह मेरी समझ में नहीं आया। यदि धारा ५ के उप खंड (१) (४) और (५) में दी गई शर्तों का कोई उलंघन किया गया हो तो वह विवाह शून्य हो जायेगे। फिर उसी धारा ५ के खंड (२) के अन्तर्गत ऐसे विवाहों को शून्यकरणीय कहा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस विभेद क्या कारण है उस में कहा गया है कि जड़मूर्ख अथवा पागल के साथ हुआ विवाह शून्यकरणीय है। मैं तो समझता हूं कि जड़मूर्खता अथवा पागलपन ऐसे ही दोष हैं जैसे कि द्विबे

पर निषिद पीढ़ियों में विवाह करना है। इन सभी को एक समान समझा जाना चाहिये तब यह एक अपवाद क्यों रखा गया है। मैं चाहता हूं कि ऐसा विवाह भी जिस में कोई पक्ष विवाह के समय जड़मूर्ख या पागल रहा हो शून्य समझा जाये।

अंत में मुझे इतना और कहना है कि धारा ११ और १२ को दुबारा प्रास्तुत किया जाना चाहिये। जहां तक धारा ९ और १० का सम्बन्ध है। इन में से एक को निकाल दिया जाये और दूसरी को रखा जाये।

पंडित डी० एन० तिवारी : मेरे संशोधन हैं, ३२२, ३२४ तथा ३२५।

क्लाज ११ में मैं ने ऐमेन्डमेन्ट दिया है :

"उस के लिये किसी भी एक पक्ष द्वारा उपस्थित याचिका पर" इस को छोड़ दिया जाये।

कंडिशन आफ हिन्दू मैरेज में जो चीजें हिन्दू मैरेज के लिये जरूरी हैं वे ये हैं कि एक स्त्री के रहते दूसरी शादी नहीं होनी चाहिये, दूसरी बात आप ने क्लाज ५ के सब-क्लाज ४ में यह दिया है कि "दोनों पक्ष निषिद्ध पीढ़ियों में से नहीं हैं"

इस के बाद सब-क्लाज ५ में यह रख दिया कि सपिंडा रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिये। तो ऐसी शादी तो आप ने मना कर दिया, लेकिन वह शादि रुक कैसे सकती है और कोर्ट के सामने कैसे आ सकती है? जब स्त्री या पुरुष में से कोई दर्खास्त दे तभी तो कोर्ट के सामने आ सकती है। जब कानून इस तरह का है तो जब कोई लड़के और लड़की शादी करेंगे। तो आपस में मिलकर करेंगें। उन दोनों में से कोई भी कोर्ट के सामने लाने वाला नहीं है क्योंकि वह दोनो तो राय कर के ही शादी करते हैं। तो फ़िर कोर्ट के सामने केस कैसे जायेगा? फल यही होगा कि अनैतिकता जारी रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी शादियां न हों, और अगर ऐसी शादियां हों भी तो उन का विच्छेद हो जाये, तो आप को दूसरों को भी अख्यार देना चाहिये कि वह दर्खास्त दे सकें। यह कभी भी सम्भव नहीं है कि जो दोनों व्यक्ति मिल कर, कोल्यूजन कर के शादी करते हैं वे कोर्ट में जायें। ऐसी हालत में यदि उन के अभिभावक उन के नजदीकी रिश्तेदार, उन के नजदीक रहने वाले पड़ोसी इस मामले को कोर्ट के सामने नही लावेंगे तो यह कुप्रथा जारी रहेगी। इस लिये यह जरूरी है कि यह वाक्य हटा दिया जाये, ताकि दूसरों को यह अधिकार हो कि वह दर्खास्त दे कर ऐसे सम्बन्धों का विच्छेद करा सकें।

दूसरा एमेंडमेंट जो मेरा है वह नं० ३२४, क्लाज १२ का है।

पृष्ठ ७, पंक्ति १० ओर ११ में "whether before or" [चाहे पहले अथवा] हटा दिया जाये।

मै बहुत अदब के साथ ला मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि इस ऐक्ट के पास होने के पहले की किसी शादी पर वह हाथ न डालें। अगर देश किसी तरह से इस विधयक को बर्दाशत भी कर लेता है तो भी यदि आप इस कानून के बनने के पहले की शादियों पर हाथ डालना चाहते हैं तो शायद वह इस को बर्दाशत नहीं करेगा। आप को लोगों के लिये जो भी कायदे कानून बनाने हों

[पंडित डी० एन० तिवारी]

वह, बना दें आप डाइवोर्स की और भी लिबरल बना दें, या दिन में शादी हो और रात में ही डाइवोर्स हो जाये, ऐसा कानून बना दें । हमें इस में कोई उज्र नहीं । लेकिन इस कानून के बनने के पहले की शादियों पर आप हाथ न डालिये क्योंकि इस के खिलाफ देश में अत्यधिक भावना है क्योंकि जो लोग पहले से शादी किये हुए हैं उन की भी आफत आ जायेगी और सम्पूर्ण परिवार विच्छेद की सम्भावना हो जायेगी ।

मेरा तीसरा अमेंडमेंट ३२५ है ।

वह इस प्रकार है :—

पृष्ठ ७ में पंक्ति ४१ और ४२ हटा दी जायें ।

लाइन ४१ और ४२ को हटा देने से वह धारा इस तरह पढ़ी जायेगी :

(२) कि विवाहों के सम्बन्ध में कार्यवाही ऐसे आरंभ के बाद सम्पन्न विवाह की तारीख से १ वर्ष के भीतर संस्थित कर दी गई है ।

इस कानून के बनने से पहले जितनी शादियां हो चुकी हैं, यह सैक्शन उनको कवर करता है । उन पर हाथ न उठाया जाये, इस लिए मैं ने यह अमेंडमेंट दिया है । इस बारे में मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ये तीनों अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, हालांकि मुझे ज्ञात है कि जिस तरह सब अमेंडमेंट अब तक थ्रो-आउट किया जा रहा है, उसी तरह यह भी थ्रो-आउट हो जायगा । लेकिन मैं कानून मंत्री, पाटस्कर साहब, को अपील करूंगा कि वह देखें कि क्या यह अमेंडमेंट जायज है या नहीं ।

मेरी पहली बात यह है कि एक स्त्री के रहते हुए दूसरी शादी न हो । दूसरी बात यह है कि अगर सपिंडा रिलेशनशिप में शादी हो जाये, तो उसका विच्छेद कैसे किया जाय ? क्या आप चाहते हैं कि अगर वे व्यक्ति आपस में मिल कर मेल से, कालूयजन से उस सम्बन्ध को परपैचुएट करना चाहते हैं, तो उन्हें करने दिया जाये ? अगर आप नहीं चाहते और यह चाहते हैं कि यह कानून ठीक तरह से लागू हो, तो "आन ए पेटीशन प्रेजेन्टेड बाई आइदर पार्टी देयरटु" हटा दिए जायें । मैं समझता हूं कि इससे कोई हानि नहीं होगी । ला मिनिस्टर साहब को इसे पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि यह ज़रूरी है या नहीं मेरी फाइनल अपील यह है कि कानून के बनने से पहले जितनी शादियां हो चुकी हैं, उन पर हाथ न उठाया जाये ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान, मैं ने दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं । वे हैं संशोधन संख्या १४० तथा १४१ ।

श्री एस० एस० मोरे : कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जिन्हों ने कोई संशोधन नहीं दिये ।

सभापति महोदय : उन्हें बाद में अवसर मिलेगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक "हिन्दू" शब्द की एक आश्चर्यजनक परिभाषा से आरंभ होता है । यह हिन्दू धर्म के सभी प्रकार के विकसितलयों को मानने वाले लोगों पर लागू होगा । यह बात समझी जा सकती है किन्तु अब कुछ लोगों ने और कुछ हरिजनों ने बौद्ध धर्म

अपना लिया है । इसका एक उदाहरण यह है कि जैन धर्मावली कतिपय अग्रवालों में यदि किसी अन्य लड़की का विवाह हो जाये तो उस बेचारी को अपने पति का धर्म मानने पर वाध्य किया जाता है ।

श्री पाटस्कर : क्या दोनों हिन्दू नहीं हैं ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आप ऐसा कह सकते हैं । किन्तु जैन तथा सिक्ख तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि वे हिन्दू नहीं हैं । कोई भी सिक्ख अथवा जैन हिन्दूओं में अपनी लड़की का विवाह नहीं करते । किन्तु हिन्दूओं में ऐसी भावना नहीं है । वे ऐसा मत भेद नहीं करते । जब इन जातियों ने यह निश्चय कर लिया है कि वे अपने को हिन्दू नहीं कहलवायेंगे तो उन्हें किसी भी विधि के अन्तर्गत रखा जाये, हमें क्या ? परन्तु मेरी प्रार्थना यह है कि यदि एक हिन्दू पत्नी का हिन्दू पति सिक्ख अथवा जैन धर्म स्वीकार करता है तो उस पत्नी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह न्यायालय में इसी आधार पर अपने पति से न्यायिक पृथककरण के लिए आज्ञा माँग सके ।

सभापति महोदय : यह खंड २ से कहां तक अनुरुप तथा संगत होगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इसी लिए मैं ने एक व्याख्या दी है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या यह संशोधन नियमित होगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आप कारण बताएं कि क्यों नियमित नहीं होगा ।

मैं इस आधार पर यह बात कह रहा हूं कि जब किसी के मुसलमान या ईसाई बन जाने पर यह उपबन्ध लागू हो सकता है तो फिर सिक्ख अथवा जैन बन जाने पर क्यों न हो । यदि किसी स्त्री का पति उसकी भावना को इस प्रकार ठेस पहुंचाये तो उसे यह अधिकार मिलना चाहिए ।

दूसरे, यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री की भावनाओं का सम्मान न करे तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था होनी चाहिए ।

इसके बाद जो हमारे हां दहेज की प्रथा है वह भी बड़े २ पूंजी पतियों में ही है । निर्धन व्यक्तियों में इस प्रथा का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

मुझे दिल्ली के एक लखपति के बारे में पता है जिसके घर में कई पत्नियां हैं कोई जैन है, कोई हिन्दू है तथा कोई ईसाई । फिर बी वे विवाह विच्छद नहीं करा सकतीं । अतः मेरी प्रार्थना है कि यदि हिन्दू धर्म से कोई व्यक्ति सिक्ख या जैन बन जाये तो उसे भी न्यायिक पृथक्करण के लिए एक आधार मान लिया जाये ।

खण्ड ११ में केवल थोड़े से ही शब्द कहना चाहता हूं । खंड ५ (५) की शर्त से मैं सहमत हूं कि सपिंड विवाहों की आज्ञा नहीं होनी चाहिए । यदि ऐसा विवाह हो भी जाये तो इसे अमान्य किया जाना चाहिए। इंगलैंड में तो यह दंडनीय अपराध माना जाता है । हमने अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की किन्तु यह भी ठीक है कि ऐसा विवाह सम्पन्न न हो । इसके साथ ही मेरी यह प्रार्थना है कि ऐसे विवाहों को अमान्य घोषित कराने के लिये आवेदन करने का अधिकार विवाह पक्षों से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को होना चाहिए । लड़की के भाई अथवा कोई किसी रिश्तेदार को एसा करने का अधिकार होना चाहिए ।

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

में तो यही कहूंगा कि इसे अपराध बताया जाये तथा ऐसा करने पर दंड की व्यवस्था की जाये ।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : श्रीमान्, एक स्वतंत्र सदस्य के नाते मैं अच्छे उपबन्धों की सराहना तथा बुरे उपबन्धों की निंदा करूंगा । मैं खंड ९ का विरोध करता हूं । खंड ११ का पुनरीक्षण किया जाये तथा श्री एन० सी० चटर्जी का संशोधन स्वीकार किया जाये ।

खंड ९ का विरोध करने का कारण यह है कि इस के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्संस्थापन होता है । इस में भी कल्याणकारी बात हो सकती है--किन्तु हमें इसे सभ्य ढंग से करना चाहिए । वैसे तो हम गांधी जी के अनुयायी हैं किन्तु ऐसे गहन मामलों पर हम और ही ढंग से विचार करते हैं । मुझे दुःख होता है जब मैं समझता हूं कि इस प्रकार के वैधानिक बलात्कार में न्यायालय सहायकों का कार्य करेंगे ।

खंड १० के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई अत्याचारी पुरुष अपनी पत्नि को छोड़ दे तो उसे दो वर्ष तक आवेदन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । इसके बाद पागलपन की बात आ जाती है । एक पागल के साथ दो साल तक कैसे निर्वाह हो सकता है ? उसे सीधे आवेदन करने का अधिकार होना चाहिए ।

इसके बाद रतिज रोगों के सम्बन्ध में यह बात है कि यह रोग किसी भी प्रकार लग सकते हैं । इन रोगों के होने पर यह नहीं कहा जा सकता कि रोगी चरित्रहीन है ।

इसके बाद उपखंड (च) के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहिले मैं यह कहना चाहता हूं कि हम मनुष्य हैं देवता नहीं हैं । सभी से भूल हो सकती है ।

इसलिए हमें इस को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए । आप सिपाहियों तथा नाविकों का जीवन देखें । एक आध बार की चूक में हमें उसे दंड न देना चाहिए । हमें ऐसा विधान बनाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम जनसाधारण के लिए विधि बना रहे हैं देवताओं के लिए नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, मेरी एक एमेंडमेंट क्लाज नम्बर १० में और एक एमेंडमेंट क्लाज नम्बर १२ में है । क्लाज नम्बर १० में जो मेरी एमेंडमेंट है वह इस तरह है :

पृष्ठ ६ में पंक्ति २६ से २८ तक हटा दी जायें जो मेरी एमेंडमेंट क्लाज १२ पर है वह इस तरह है :

पृष्ठ ७ पंक्ति १६ में "proceedings" [कार्यवाहियों] के बाद "to be certified by civil surgeon with oath in open court" [असैनिक सर्जन द्वारा खुले न्यायालय में शपथ लेकर प्रमाणित करना]

इस वक्त क्लाज नम्बर १० में यह प्रौविजन है कि अगर आदमी या औरत में से किसी को भी विरूलेंट फार्म आफ लैप्रौसी हो तो उन को मैरेज वायड करार दी जा सकती है, उनके आपस में सम्बन्ध टूट सकते हैं । मेरे विचार में यह बीमारी ऐसी नहीं है जो कि ठीक नहीं हो सकती । जो विशेषज्ञों की राय हैं उनके मुताबिक अब ऐसी दवाइयां तैयार कर ली गई हैं जिनके इस्तेमाल से लैप्रौसी ठीक हो सकती है, जिनसे

कि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है । आजकल साइंस का यहां तक आविष्कार हो गया है कि किसी भी बीमारी का अब इलाज किया जा सकता है । आज विज्ञान इतना बढ़ गया है कि अब यह इतनी भयंकर बीमारी नहीं समझी जाती । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस बिना पर कि एक को लैप्रौसी हो गई है, मेरेज को वायड करार नहीं दिया जाना चाहिये ।

इसी सम्बन्ध म जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि किसी स्त्री या पुरुष को बीमारी हो जाये और उसके बच्चे हों तो इसी बिना पर उसको बीमारी हो गई है, मैरेज को वायड कर दिया जाये, यह उचित बात नहीं होगी ।

जो दूसरी मैं ने एमेंडमेंट दी है उसके जरिये मैं यह चाहता हूं कि अगर कोई इम्पौटैंट हो तो केवल यह कह देने पर कि वह इम्पौटैंट है मैरेज वायड नहीं होनी चाहिए और इस बात को कि कोई इम्पौटैंट है एक सिविल सर्जिन को एक खुली अदालत में कस्म खा कर कहना चाहिए कि जिस को इम्पौटैंट बताया जा रहा है वह वाकई में इम्पौटैंट है । यह लफ्ज मैं इस लिये जोड़ना चाहता हूं कि इपौम्टैंट का चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो किसी के खिलाफ़ भी लगाया जा सकता है । मैं ने देखा है और मेरा ख्याल है कि हमारे ला मिनिस्टर का भी यही एक्सपीरियेंस होगा कि जब कभी कोई बरात शादी के लिये देहातों में जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि किसी की किसी के साथ दुश्मनी होती है और वह कह देता है कि लड़का तो इम्पौटैंट है और इसी बिना पर शादी नहीं हो पाती और बरात वापस आ जाती है । आपने यह भी देखा होगा कि वकीलों के जो टाउट होते हैं वे आस पास के हर गांवों में रहते हैं १०-१० मील तक वे चले जाते हैं और अपने लिये मुकदमे इकट्ठे करने के लिये वे उन लोगों को जिन की किसी के साथ दुश्मनी होती है बरगलाते हैं और कहते हैं कि तुम इम्पौटैंसी की बिना पर दावा कर दो और इस बात को प्रूव करने के लिये गवाह भी तैयार कर लेते हैं । इन कारणों से मैं ने कहा है कि सिविल सर्जिन को औपन कोर्ट में आकर शपथ लेकर कहना चाहिए कि फलां आदमी इम्पौटैंट है । मैं ने कोर्ट में आकर शपथ लेने के शब्द इस लिये रखे हैं क्योंकि आज कल हम देखते हैं सिविल सर्जिन भी बीस तीस रुपये ले लेते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं कि फलां आदमी इम्पौटैंट है । इस लिये अगर उनको औपन कोर्ट में आकर शपथ लेनी पड़ेगी तो शायद वे कुछ हद तक झूठ बोलने से भागेंगे । इस वास्ते इस किस्म की कोई प्रौवीजन की जानी चाहिए ।

मैं निवेदन करता हूं कि ला मिनिस्टर साहब यह जो दो एमेंडमेंटस मैं ने दी हैं उन को मंजूर कर लें ।

श्री राने : श्रीमान में संशोधन संख्या ६, ८, ९ और १० प्रस्तुत कर चुका हूं संशोधन संख्या ६ खंड १० के बारें में है इसका उद्देश्य उपखंड (च) को निकालना तथा उसके स्थान पर ऐसा उपबन्ध रखना है कि किसी दसरे ऐसे आधार पर जो न्यायालय के स्वविवेक में ठीक तथा उचित हो, न्यायाधिक पृथक्करण प्राप्त किया जा सके ।

[श्री राने]

मने अपने संशोधन संख्या १०, जो खंड १२ के बारे में है, में उपखंड ग्रा के रूप में एक बात कही है कि यदि न्यायालय किसी कारण अथवा आधार को इस बात के लिये ठीक समझे कि निवेदनकर्ता प्रतिवादी के साथ भविष्य में अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं बिता सकता तो विवाह शून्य किया जा सकता है अथवा विवाह-विच्छेद किया जा सकता है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह बात स्त्रियों के पक्ष म है। मैं चाहता हूं कि न्यायिक पृथक्करण अथवा विवाह-विच्छेद किन्हीं और दूसरे कारणों के आधार पर होना चाहिये किन्तु वे आधार अथवा कारण इस वर्तमान विधेयक में नहीं है ।

सभापति महोदय : आपका संशोधन स्वत: बड़ा अनिश्चित है, इसम कहा गया है कि किसी दूसरे आधार पर जिसे न्यायालय ठीक और उचित समझे।

श्री राने : बम्बई द्विविवाह रोक अधिनियम तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम के कार्य संचालन के वास्तविक अनुभव के आधार पर मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। यदि आप १९५१ की जन गणना का प्रतिवेदन देंखे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि ९२ लाख व्यक्तियों के विवाह ५ से १४ वर्ष तक कि आयु में हुए हैं। हम सभी के लिये विधि बना रहे हैं। खड १२ के उपखंड उनकी विशेषता यह है कि यदि न्यायालय के सामने कोई ऐसा मामला आये जिसमें कोई विशेष कठिनाई हो तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति की व्यवस्था भी इसके द्वारा हो सकती है।

डा० सुरेशचन्द्र (औरंगाबाद) : कठिनाई से आपका क्या मतलब है ?

श्री राने : यदि आप खंड १२ और १३ पढ़ेंग तो आप को पता लगेगा कि इनके कारणों को सिद्ध करना बहुत कठिन काम है। व्यभिचार के मामले को ही लिजिए। हिन्दू पति अपनी पत्नी के व्यभिचार की बात वकील को बताने में भी शरमाता है इसी कारण मैंने खंड १२ का संशोधन १० पेश किया है। उसमें खण्ड १२ और १३ दोनों सम्मिलित हैं विधेयक के खण्ड १२ की भाषा स्पष्ट नहीं है पर मेरे संशोधन की भाषा स्पष्ट है संशोधन संख्या ६ के न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद विधेयक को अधिक सरल बनाया जाये। संशोधन ८ का संबंध शून्य विवाह से हैं। मेरा संशोधन खण्ड (१) को निकालने की सिफारिश करता है। यदि एक पत्नी के रहते हुये कोई व्यक्ति दूसरी पत्नी से विवाह करता है तो वह विवाह न केवल शून्य घोषित किया जाये बल्कि उस व्यक्ति को सजा दी जाये।

इन बातों के साथ मैं सभा से अपने संशोधन स्वीकार करनें की बात प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे संशोधन संख्या ४९, ५०, ५१, ५४ और ५५ हैं। मैं खण्ड ९, जिसमें दाम्पत्य अधिकार के प्रतिस्थापन की बात कही गयी है, को निकाल देने के पक्ष में हूं। मैंनें अपने संशोधन संख्या ५४ में बताया ह कि यदि पति-पत्नी दोनों में से कोई भी दूसरे से अलग रहता है और न्यायालय उनके बयानों की सत्यता से संतुष्ट हो जाता है तो न्यायिक संबंध विच्छेद किया जाना चाहिए। अत: मैं चाहती हूं कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थान को निकाल कर

उसके स्थान पर पति पत्नी के बीच समझौता कराने की कुछ व्यवस्था की जाये।

श्री एन० सी० चटर्जी ने विक्षिप्तता और पागलपन को भी विवाह शून्यता के कारणों में शामिल कर लेने की बात कही है, पर मैं इससे सहमत नहीं हूं ; क्योंकि इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है । यद्यपि हमने ऐसे बच्चों को कुछ सीमातर औरसता का अधिकार दिया है पर फिर भी मैं उनसे सहमत नहीं हूं ।

हमें एक और बात पर विचार करना है कि क्या किसी विवाह को रद्द करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता को हम मानते हैं ? मैं इसके पक्ष में नहीं हूं यदि पति-पत्नी में से कोई इस प्रकार की याचिका देता है तो विवाह-विच्छेद की अनुमति दी जानी चाहिए । तीसरे किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है यही मेरा संशोधन सं या ५६ है ।

खंड १० में न्यायिक संबंध-विछेच्द के बारे में अत्याचार का भी प्रश्न था । इस प्रश्न को हम न्यायालय के सविवेक पर छोड़ दें तो अच्छा है और मूल शब्दों को ही रहने दें कि याचक के साथ अत्याचार किया गया है ।

कुष्ट रोग के सम्बन्ध में हमने उग्र रूप में शब्द जोड़ दिए हैं । पर डाक्टरों की राय में भी यह रोग छूत से फैलने वाला है, अतः वह चाहे उग्ररूप में हो या न हो, पर इस आधार पर भी यदि पति-पत्नी में से कोई भी चाहे तो विवाह-विच्छेद किया जाना चाहिए ।

रतिज रोग यद्यपि चिकित्सा कराने से ठीक हो जाते हैं पर फिर भी यदि कोई चाहता है तो इस आधार पर न्यायिक सम्बन्ध-विच्छेद की अनुमति दी जानी चाहिए ।

अन्तिम बात खण्ड १८ के सम्बन्ध में है । यदि धोके से किसी की सहमति प्राप्त करली गई हो, तो धोके का पता लगने पर उसकी याचिका देने का समय एक वर्ष दिया गया है । मैं समझती हूं कि समय तथा धनादि की समस्या को ध्यान में रखना धोके के मामलों की याचिका देने का समय तीन वर्ष कर दिया जाए मेरे संशोधन संख्या ५८ में यही बात कही गयी है । मैं चाहती हूं, सभा इन संशोधनों पर विचार करे ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : खंड ९ में कहा गया है कि किसी वैधानिक आधार के न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा । वैधानिक कारण क्या है ? किन वैधानिक कारणों पर प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किया जायेगा ; इसकी व्यवस्था नहीं की गयी है ।

इसके पश्चात् खंड ११ के सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि अन्य व्यक्तियों को शून्य विवाह के संबंध में एक याचिका देने का अधिकार होना चाहिए । पर खंड ११ तथा खंड १६ दोनों को देखिए, यदि कोई शून्य विवाह रद्ध घोषित कर दिया जाता है तो बच्चों को कुछ हद तक औरस माना जाता है । पर यदि कोई शून्य विवाह न्ययालय द्वारा रद्ध नहीं घोषित किया जाता तो बाद में, यद्यपि वह शून्य विवाह था, उत्तराधिकार के झगड़े में खंड १६, बच्चों की कोई सहायता नहीं कर सकता । अतः मेरा मतलब यह है कि यदि एक निश्चित समय के अन्दर, अन्य सम्बन्धी उस शून्य विवाह को रद्ध कराने के लिए

[श्री एस० एस० मोरे]

कोई कार्यवाही नहीं करते और १५ या २० वर्ष बाद बच्चों के उत्तराधिकार का प्रश्न आता है तो बच्चों की औरसता को रोकने या चुनौती देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होना चाहिये अन्यथा इसमें बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

जहां तक खंड १६ का सम्बन्ध है, सरकार को उसमें अग्रेतर संशोधन करना होगा ताकि उसमें कोई ऐसी सीमा निश्चित हो जाए कि अमुक काल के भीतर यह काम हो जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो उस विवाह के फल-स्वरूप उत्पन्न होने वाले बच्चों को उसके लिए दण्डित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें क्या मालूम कि उनके मात-पिता का विवाह शून्य था।

श्री घुलेकर (जिला झांसी—दक्षिण): खंड ११ और १६ के प्रारूप खराब ढंग से तैयार किए गए हैं।

श्री एस० एस० मोरे: खंड १६ केवल उन्हीं बच्चों पर लागू होगा जिनके माता-पिता का विवाह शून्य एवं निरर्थक घोषित कर दिया गया हो। उनके लिए औरस संतान की अवस्था प्राप्त करने के लिए विवाह की निरर्थकता आवश्यक होगी। परन्तु बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके माता-का विवाह शून्य है अथवा शून्य सिद्ध किया जा सकता है; परन्तु किसी भी पक्ष ने उसको शुन्य घोषित कराने के लिये कोई कार्यवाही न की हो। ऐसे मामले में, बाद में, संतान की औरसता के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो सकता है।

सभापति महोदय: इस के लिए एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। मेरे विचार से यह उचित है।

श्री एस० एस० मोरे: यदि उस अवधि के भीतर सम्बन्धी लोग वैसी कोई कार्य, वाही नहीं करते हैं, तो बाद में संतान की औरसता में संन्देह प्रकट करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अतः खंड ११ में संशोधन करना होगा। उसे यथासंभव व्यापक बनाया जाये ताकि जिस किसी को भी उसमें रुचि हो, उसे अपनी बात कहने का अवसर मिल सके।

श्री राने: मेरा संशोधन संख्या ९ इसी आशय का है।

श्री एस० एस० मोरे: ऐसे संशोधन को स्वीकार करना सरकार और आने वाली पीढ़ियों के हित में होगा।

श्री वी० जी० देशपांडे: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

> पृष्ठ ७, पंक्ति ९ में अन्त में "and the provisions of section 15" ["और धारा १५ के उपबन्ध"] शब्द जोड़े जायें।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य ने पहले इसे प्रस्तुत नहीं किया था। खैर मैं इसे प्रस्तुत मान लूंगा।

श्री वी० जी० देशपांडे: मैं यह चाहता हूं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका विवाह-विच्छेद हो चुका हो, एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहता हो जिस-के साथ उसने जार-कर्म किया हो, तो उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जार-कर्म के लिये दण्डित वयक्तियों के विवाह को शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह: क्या वह चाहते हैं कि जार-कर्म के लिए दोषी

व्यक्तियों को फिर से विवाह न करने दिया जाये ?

श्री एन० सी० चटर्जी : जिसके साथ उसने जार-कर्म किया हो, उसी के साथ उस को विवाह नहीं करने देना चाहिए ।

श्री वी० जी० देशपांडे : यदि दो व्यक्तियों के विरुद्ध जार-कर्म के लिए दोषी होने का निर्णय किया गया हो, तो मैं चाहता हूं कि यदि ऐसे व्यक्ति आपस मे विवाह करना चाहें, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दी जाये ।

श्री खर्डेकर : मैं आप से सहमत हूं ।

श्री० वी० जी० देशपांन्डे : अतः मैं चाहता हूं कि खंड ११ में यह व्यवस्था की जाये ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं । मैं सिख, जैन तथा अन्य सभी ऐसे व्यक्तियों को जो इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार ह । हिन्दू मानता हूं । मैं माननीय विधि मंत्री से सविनय अनुरोध करूंगा कि वह श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ३२१ को स्वीकार करें ।

यह एक उपयुक्त संशोधन है । यदि किसी पुरातन पेथी स्त्री का पति धर्म परिवर्तन करता है, तो क्या यह पृथक्ता के लिये एक आधार नहीं है । यदि वह धर्म परिवर्तन करता है तो न्यायिक पृथक्करण की अनुमति होनी चाहिये ।

खंड ९ में आपने दाम्पत्य अधिकारों को प्रतिस्थापन की व्यवस्था की है । माना कि वह व्यक्ति ईसाई अथवा मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेता है और पत्नी उससे अलग रहती है तो खंड ९ के अधीन वह व्यक्ति दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिये आवेदन कर सकता है ; परन्तु यदि वह स्त्री न्यायिक पृथक्करण चाहे तो उसकी यह मांग नितांत न्यायसंगत है ।

मेरे विचार से इतनी शीघ्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमें किसी अच्छे प्रारूप लेखक जैसे की राने से परामर्श करके इसका मसीवदा पुनः प्रस्तुत करना चाहिये तथा आवश्यक संशोधनों के पश्चात् इस मसविदे को पुन : प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

श्री एन० राचय्या : मैं दाम्पत्य अधिकारो के प्रति स्थापन सम्बन्धी खंड का समर्थन करता हूं । यद्यपि बहुत से सदस्यों न इसका विरोध किया है, तथापि मैं इसके मसविदों का उसी रूप में समर्थन करता हूं जैसा कि मूल में है ।

मैं खंड १० का भी समर्थन करता हूं । हमारा समाज मनु के धर्म शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है । जिसन हिन्दु धर्म में कई जातियां तथा लाखों अस्पृश्य बना दिया तथा पुरुष और स्त्री में भेद भाव उत्पन्न कर दिया । इसी विषमता के कारण आज की नारी अपने अधिकारों के लिये विद्रोह कर रही है । इस दृष्टिकोण से मैं नियायिक पृथक्करण के खंड का स्वागत करता हूं ।

हम राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुशों के समान अधिकार दे चुके हैं । हमें चाहिये कि हम उन्हें सामाजिक क्षेत्र में भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करें ।

न्यायिक पृथक्करण के आधारों में से एक यह भी है कि याचिका प्रस्तुत करने के ठीक दो वर्ष पहिल स

[श्री एन० राचय्या]

त्याग दिया गया था। गयी थीइत्यादि । मैं इसे बढ़ा कर तीन वर्ष करना चाहता हूं मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इसे स्वीकार करे ।

उपखंड (ग) के सम्बन्ध में विधेयक में उल्लिखित है कि कोढ़ ग्रस्त रहने पर एक वर्ष पशचात् तथा मास्तिष्क विकृत होने पर दो वर्ष के पश्चात् याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी। इसके स्थान पर कोढ़ ग्रस्त होने के दो पर्ष पश्चात् तथा मस्तिष्क विकृत होने के एक वर्ष पश्चात् याचिका प्रस्तुत करने का उपबन्ध किया जाय । इन परिवर्तनों के साथ में खंड १० का समर्थन करता हूं ।

मैं खंड ११ तथा १२ का भी उनके मूल रूप में ही समर्थन करता हूं क्योंकि विवाह के शून्यकिरण के लिये जो आधार रखे गए हैं, वे उचित हैं । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर देने के लिये कहूंगा । हमारे पास छः बजे तक का समय है ।

श्री पाटस्कर : जहां तक समय का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्यों को भी अवसर देने को प्रस्तुत हूं । हम पहले भी कुछ समय नष्ट कर चुके हैं । यदि आप इन खंडों को आज समाप्त करना चाहते हैं तो मैं उत्तर देने को प्रस्तुत हूं ।

सभापति महोदय : आप लोग क्या चाहते हैं ?

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती : कल उप-राष्ट्र पति के हां जलपान का आयोजन है । इस लिये बहुत से सदस्य नहीं आ सकेंगे । हमें इन खंडों को आज ही समाप्त करना चाहिये ।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री उतर देंगे ।

श्री पाटस्कर : इस समय हम खंड ९, १०, ११ और १२ के जाल में फंसे हैं । जहां तक खंड ९, जो कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन से सम्बन्ध रखता है, को सम्बन्ध हैं, आधुनिक समय में निःसंदेह इसकी शब्दावली कटु मालूम होती है, किन्तु वस्तुत ; मेरे वकील मित्र जानते हैं कि ऐसे आज्ञप्ति व्यवहार प्रक्रिया संहिता--आदेश २१, नियम ३२ के अधीन कुक से ही जारी की जा सकती है । बात यह है कि ऐसे मामलों में यह उपचार कुछ उन आभागी स्त्रियों के लिये लाभदायक होगा जों कि न्यायिक पृथक्करण को सिद्ध न कर सकें अथवा उसके लिये प्रस्तुत न हों, इस खंड के अर्धीन जैसी शब्दावली है, यदि कोई वैध प्रतिबन्ध न हो तो, ऐसी आज्ञप्ति परित हो सकती है ।

यदि आप व्यवहार प्रक्रिया संहिता--आदेश २१ तथा नियम ३३ को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि पति के विरूद्ध आज्ञप्ति जारी करने के लिये वहां एक विशेष उपबन्ध है । क्योंकि वह कहता है :

"(१) नियम ३२ के उपबन्धों के रहते हुए भी, न्यायालय, पति के विरूद्ध दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की आज्ञप्ति पारित करते समय अथवा किसी समय पश्चात् भी यह आज्ञा दे सकता है कि आज्ञप्ति को इस नियम के अनुसार क्रियान्वित किया जायगा ।

(२) जहां न्यायालय ने उपनियम (१) के अधीन आदेश दिया है, इस सम्बन्ध में निश्चत की गई अवधी के भीतर आज्ञप्ति का पालन न होने पर वह यह आदेश दे सकता है कि निरणित अधर्मण, आज्ञप्ति प्राप्त करने वाले को उचित सामयिक व्यय देगा तथा यदि वह ठीक समझे तो निणति अधर्मण, आज्ञप्ति ग्रह करने वाले के लिये व्यय सुरक्षित रखेगा "

सर्व प्रथम में यह निवेदन करूंगा कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की अनुमति केवल हिन्दुओं को ही नहीं, प्रत्युत सभी को है । दूसरी बात यह है कि व्यवहार प्रक्रया संहिता के उपबन्ध इस प्रकार है कि इस खंड के रहने से स्त्रियों को कोई हानि नहीं होगी । इसके अलावा कुछ कठिन मामलों में भी इससे प्रयोजन हल हो सकता है । एक पत्नी को दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की आज्ञप्ति मिल सकती है, तथा पति के द्वारा निकाले जाने पर उसे कुछ मासिक व्यय भी दिया जा सकता है । जिस से कि वह अपना निर्वाह कर सके । मेरे विचार से यह उपबन्ध उस नारी वर्ग के लिये जो कि इस समय कठिनाई में है, बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा ; इस लिये यदि हम भावनाओं से मुक्त हो सकें तो मेरे विचार से वर्तमान उपबन्धों में कोई गलत या हानिकारक बात नहीं है । मैं आशा करता हूं कि वह सभी सदस्य, जिन्होंने इस उपबन्ध का निरसन करने की सलाह दी, मामले के इस पहलू पर भी विचार करेंगे । न्यायिक पृथक्करण क सम्बन्ध में, कोढ़ के बारे में केवल एक बात कही गई है । खंड में लिखा है घातक प्रकार के कोढ़ से ग्रस्त हो । हम जानते हैं कि कोढ़ इतना दुष्ट रोग है कि मनुष्य के निर्दोश होने पर भी यदि हम इसे देखते ही दुर भागते हैं और कभी निकट नहीं जाते । इस परिस्थिति में यह वांछनिय नहीं है कि हम पति अथवा पत्नी को साथ रहने के लिये बाध्य करें । इसी दृष्टिकोण से यह उपबन्ध किया गया है । निःसंदेह इसका यह अभिप्राय नहीं है । कि यदि पति अथवा पत्नी में से कोई कोढ़ का शिकार बन जाय तो दूसरे को न्यायालय जाना चाहिये; यदि वे पारस्परिक प्रेम, स्नेह और किसी कारण से न्यायालय न जाना चाहें तो इसे कोई रोक नहीं सकता । किन्तु यदि कोढ़ इस प्रकार का हो कि पति अथवा पत्नी यह अनुभव करें कि दूसरे के साथ रहना सुरक्षित नहीं है तो इस प्रकार के रोग में न्यायिक पृथक्करण के रूप में उपचार की व्यवस्था करना अनुचित नहीं कहा जा सकता है । आशा है कि जिन लोगों ने खंड की इस व्यवस्था के विरुद्ध शिकायतें की हैं वे मामले के इस पहलू को भी ध्यान में रखेंगे ।

अगला खंड शून्य विवाहों से सम्बन्ध रखता है । खंड यह है :

" इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् सम्पन्न हुआ कोई भी विवाह यदि वह धारा ५ के खंड (१), (४), व (५) का उल्लोघंन करता ह तो शुन्य होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी एक पक्ष द्वारा याचिका उपस्थापित किये जाने पर आज्ञप्ति द्वारा शुन्य घोषित किया जायगा । "

श्री वी० जी० देश पांडे : क्या आप धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे ?

श्री पाटस्कर : मैं इस बात पर भी आता हूं । माननीय सदस्य जरा धैर्य धारण करें । मैं किसी बात को नहीं छोड़ूंगा । वह समय चला गया जब कि सामान्य विवा में गर्मा गर्मी होती थी । हम खंडों पर शान्तिपूर्वक विचार कर रहे हैं मेरे विचार में यहां माननीय सदस्यों का एक ऐसा दल है जो कि 'इस सम्बन्ध में किसी एक पक्ष द्वारा याचिका उपस्थापित किये जाने पर' शब्दों को हटाना चाहता है । इसका क्या प्ररिणाम होगा । यदि खंड ५ के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार विवाह शुन्य है, तो क्या हम चाहते हैं कि कोई तीसरा पक्ष पर्दापण करें । निःसिंदेह वे लोग आवश्यकता होने पर निषिद्ध पीढ़ियों, इत्यादि के निर्णय के लिये न्यायालय जाते हैं किन्तु क्या यह समाज के हितों के लिये वांछनीय नहीं होगा कि किसी पक्ष के द्वारा याचिका उपस्थापित किये जाने पर विवाह शून्य करार दिया जाय । यदि इस खंड का निरसन कर दिया जाय अथवा 'इस सम्बन्ध में किसी एक पक्ष द्वारा याचिका उपस्थापित किये जाने पर' शब्दों को हटा दिया जाय, इसका तात्पर्य यह होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके सम्बन्ध, उनसे खराब होंगे, न्यायालय जा सकता है तथा बेचारे उन अभागे विवाहित व्यक्तियों को कष्ट उठाना होगा । निःसंदेह यदि धारा ५ के अनुसार इसमें कोई त्रुटि हो तो इसका निर्णय उसी प्रकार किया जायगा, किन्तु उससे भी आग बढ़ कर, उन दो व्यक्तियों के जीवन को बरबाद कर देना, जो सुखी दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं उचित नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : इस तर्क को स्वीकार करने पर शून्य विवाह का क्या परिणाम होगा ।

श्री पाटस्कर : मैं इसकी भी चर्चा करूंगा । हम विवाह की चर्चा कर रहे थे । यदि किसी विवाह में कोई कमी रह जाती है और वह निश्चित रूप से मान्य नहीं है, तो उनमें से किसी भी पक्ष को इस विवाह को शून्य घोषित करवा देने की अनुमति होगी, किन्तु क्या हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रयोजन से, वैवाहिक जीवन को समाप्त कर देने का अधिकार दे देंगे ? अतः इस प्रश्न पर पूर्णरूपेण विचार करने से पता चलेगा कि ये शब्द निकाले नहीं जाने चाहिये । यद्यपि माननीय सदस्य इन शब्दों को निकाल देने के बहुत इच्छुक हैं किन्तु ऐसा करने का यही साधन नहीं है । मैं इस खण्ड में से इन शब्दों के निकाले जाने के पक्ष में नहीं हूं ।

मेरे विचार से ऐसे मामलों में हमारा आदर्श अनावश्यक रूप से वैवाहिक सूत्र को भंग न करना चाहिये । दोनों पक्षों को तब तक सम्बन्ध विच्छेद नहीं करना चाहिये जब तक कि उनमें से कोई एक पक्ष यह अनुभव न कर ले कि इस विवाह का शून्य होना अत्यावश्यक है । इसी विचार से यह उपबन्ध रखा गया है । यदि कुछ माननीय सदस्य इससे सहमत न हों तो मैं कर ही क्या सकता हूं ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि किसी तीसरे व्यक्ति को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये किन्तु पति और पत्नि दोनों के लिए कुछ समयावधि निश्चित कर दी जानी चाहिये अन्यथा विवाह के १०, १२ या १५ वर्षों के बाद कोई भी पक्ष आकर कहेगा कि उनकी संतान भी

जारज है। विवाह के दो तीन वर्षों के अन्दर ही उन्हें पता लग जाता है कि उन्होंने खण्ड ५ के किसी खण्ड का उल्लंघन किया है, इस कारण अचानक ही कुछ वर्षों के बाद उनमें से किसी एक पक्ष को विवाह को शून्य अथवा अवैध घोषित कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री पाटस्कर : सामान्यतः जिन दो व्यक्तियों का विवाह एक दूसरे के साथ हो चुका है, और विशेषकर जिनके बच्चे हो चुके हैं, वे कोई इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि तृतीय पक्ष को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी ने खण्ड ५ के कुछ उप-खण्डों में वर्णित शर्तों के सम्बन्ध में कुछ कहा था। उनका यह कहना यहां लागू नहीं होता कि 'विवाह के समय कोई भी पक्ष मूर्ख अथवा विक्षिप्त नहीं होता।' उन्होंने खण्ड ५ के उप-खण्ड (६) का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि वधू की आयु अठारह वर्ष की न होने पर उसे अपने अभिभावक की अनुमति लेनी होगी। मान लीजिये कि किसी लड़की का विवाह हो चुका है जो अवयस्क है और अभिभावक की अनुमति नहीं ली गई है। हमने अवयस्कों के मामलों में संविधिक व्यवस्था यह की है कि अभिभावकों की अनुमति ली जानी चाहिये जिससे कि वह अवयस्कों के हितों की देख-भाल कर सकें। किन्तु मान लीजिये कि अभाग्यवश अभिभावक की अनुमति नहीं ली गई थी अथवा अभिभावक बराबर बदलते रहे हैं, तो ऐसे मामलों में उनके विवाहों को केवल इसी आधार पर कि अभिभावक की अनुमति नहीं ली गई है, शून्य घोषित कर देना वांछित न होगा। मैं समझता हूं कि इसे हटा देने पर मेरे मित्र ने भी कोई विशेष आपत्ति नहीं की थी।

दूसरी बात किसी पक्ष के मूर्ख अथवा विक्षिप्त होने के सम्बन्ध में कही गई थी जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है खण्ड १२ में इसका उपबन्ध किया गया है। यह लगभग इसी प्रकार का उपबन्ध है कि दोनों पक्षों में से कोई भी इस बात को उठा सकता है। ऐसे विवाह के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि यदि पत्नी विक्षिप्त है, तो पति के निवेदन पर यह विवाह शून्य हो जाना चाहिये। यदि पति विक्षिप्त है तो स्वभावतः पत्नी के निवेदन पर भी वही चीज लागू होनी चाहिये। अतः इसे उस श्रेणी में रखा गया है जहां खण्ड १२ में हमने शून्य किये जाने योग्य ब्याहों की व्यवस्था की है। ऐसा नहीं कि दोनों बातें इन उपबन्धों में से किसी एक में न आ जाती हों। इन सारी शर्तों और खण्ड ९, १०, ११ और १२ के उपबन्धों को देखते हुये मैं कह सकता हूं कि इनसे बीच का मार्ग निकाला गया है जससे दोनों पक्षों को थोड़ा बहुत सन्तोष प्राप्त हो सके।

श्री सिंहासन सिंह : माननीय मंत्री ने श्री एस० एस० मोरे द्वारा पूछी गई बातों का कोई उत्तर नहीं दिया कि यदि कोई विवाह किसी भी पक्ष द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाता है, किन्तु जो मूलतः शून्य होता है तो ऐसी दशा में इस विवाह से उत्पन्न बच्चों का क्या होगा?

सभापति महोदय : इस सम्बन्ध में प्रश्न कल पूछे जा सकते हैं। आज सभा स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा, बुधवार में मई, १९५५ के साढ़े दस बजे तक के लिए स्थगित हुई।